खण्ड-350, अंक-6
सोमवार, 2 चैत्र, शक संवत् 1903
(23 मार्च, 1981 ई0)

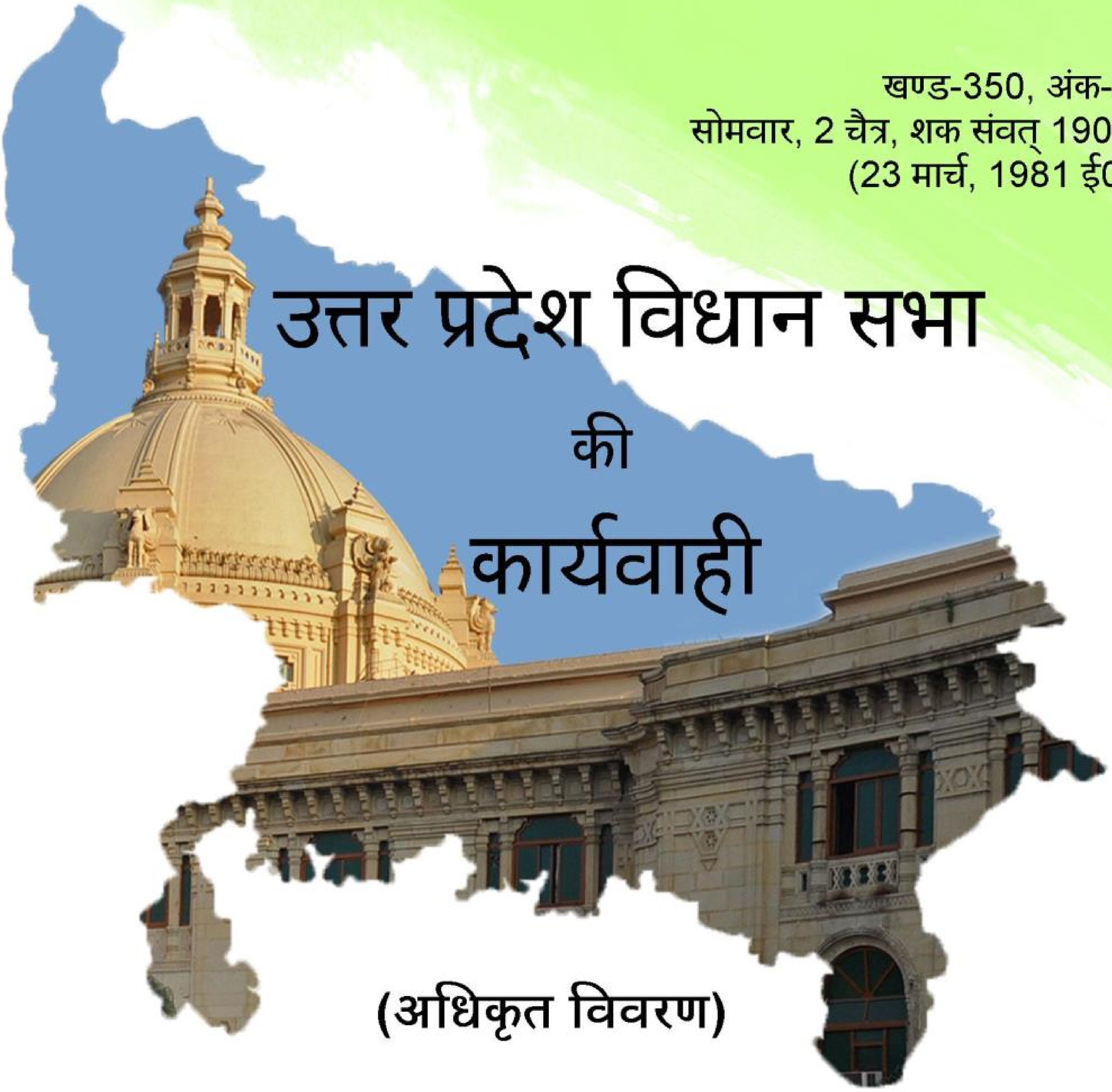

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 350 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
1983

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	625–627
प्रश्नोत्तर	629–663
भूतपूर्व सदस्य श्री सतीश चन्द्र शर्मा के निधन पर शोकोद्गार ..	663–667
भूतपूर्व सदस्य श्री राम किशोर सिंह के निधन पर शोकोद्गार ..	667–669
अमर शहीद सरदार भगत सिंह को श्रद्धांजलि	669–672
गोरखपुर की सरैया सरदार नगर डिस्टिलरी एवं शुगर मिल का गन्दा पानी फरेंदा नाले में छोड़ दिये जाने से मच्छरों का प्रकोप तथा बीमारियों की आशंका के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	672–673
श्री राम उग्रह मल्लाह, निवासी ग्राम राम चक, जिला देवरिया को रुद्रपुर थाने की पुलिस द्वारा पेड़ में बांधकर मार दिये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	673–674
लखनऊ स्थित तकमिल उत्तिब कालेज के प्राचार्य श्री हकीम जियाउद्दीन को रिश्वत लेते समय गिरफ्तारी एवं पुनः बहाली के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	674
गोरखपुर विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों में बी० एड० के प्रवेश में अनियमितता के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	674–675
हरदोई में नयी जन-वितरण प्रणाली लागू होने के बाद उपभोक्ताओं, को चीनी का वितरण न होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	675
उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री कर) (पंचम संशोधन) नियमावली, 1980 (सदन के पटल पर रखी गयी)	676
उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम की 25वीं वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा विवरण 1979–80 (सदन के पटल पर रखा गया) ..	676
उत्तर प्रदेश के उप मंत्रियों (के यात्रिक भत्तों) के (प्रथम संशोधन) नियम, 1981....(सदन के पटल पर रखे गये) ..	676
दि इन्डियन टरपेंटाइन एण्ड रोजिन कम्पनी लिमिटेड की तिरेपनवीं वार्षिक रिपोर्ट, 1976–77 (सदन के पटल पर रखी गयी) ..	676
श्रीमती गौरी देवी द्वारा दी गयी विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न को लिये जाने की मांग	677
मुरादाबाद के साम्प्रदायिक दंगों के परिप्रेक्ष्य में निरुद्ध व्यक्तियों के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की कार्यवाही समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य	678

विषय	पृष्ठ संख्या
विधान सभा की कतिपय समितियों एवं स्थायी समितियों में कार्य करने हेतु सदस्यों को नाम निर्दिष्ट करने के लिये श्री अध्यक्ष को प्राधिकृत किये जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत)	678
उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) (संशोधन) विधेयक (पुरः स्थापित किया गया) ..	679
औचित्य के प्रश्न	679–680
मंत्रियों को परिचय–पत्र जारी किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	680–686
राज भवन, लखनऊ से कीमती तलवार चोरी होने के सम्बन्ध में कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचना तथा कार्य–स्थगन प्रस्तावों की अन्य सूचनायें	686–692
1981–82 के आय–व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान––अनुदान संख्या 27––लेखन सामग्री और मुद्रण, अनुदान संख्या 63––भारी एवं मध्यम उद्योग, अनुदान संख्या 65––ग्राम एवं लघु उद्योग, अनुदान संख्या 66––खानें तथा खनिज, अनुदान संख्या 88––उद्योग विभाग–पूंजीगत परिव्यय तथा अनुदान संख्या 116––उद्योग विभाग–ऋण और अग्रिम (स्वीकृत) ..	692–728
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें	728
जालौन जिले के एटा थाना के थानाध्यक्ष श्री शारदा प्रसाद दीक्षित द्वारा चांदी लूटने के बाद फरार होने के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य	728–733
जनपद जालौन के भूतपूर्व स्पेशल मजिस्ट्रेट श्री श्याम सुन्दर पुरवार का उनकी पत्नी सहित डाकुओं द्वारा अपहरण के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य	733–737

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार दिनांक 23 मार्च, 1981

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बज कर 1 मिनट पर अध्यक्ष, श्री श्रीपति मिश्र की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य--269

अकबर अहमद, श्री (नैनीताल)
अजीत कुमार, श्री (कानपुर)
अजीत सिंह सेठी, श्री (मेरठ)
अनवार मुहम्मद खां, श्री (फर्रुखाबाद)
अब्दुल रहमान खां नश्तर, श्री (कानपुर)
अमर नाथ सिंह, श्री (उर्फ अनिल सिंह) (फतेहपुर)
अमर सिंह, श्री (सहारनपुर)
अम्बिका सिंह, श्री (बस्ती)
अम्मार रिजवी, श्री (सीतापुर)
अलमेलु अम्माल, कुमारी (बस्ती)
अशोक कुमार बाजपेयी, श्री (इलाहाबाद)
इन्द्रजीत, श्री (फतेहपुर)
इन्द्र प्रताप सिंह, श्री (लल्लू) (बहराइच)
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री (गाजियाबाद)
ईश्वर शरण विद्यार्थी, श्री (इलाहाबाद)
उमेश्वर प्रताप सिंह, श्री (गोंडा)
उर्मिला अग्निहोत्री, कुमारी (एटा)
ऊबल, श्री (वाराणसी)
ए० सी० ग्राइस, श्री (कानपुर)
ओम प्रकाश जिन्दल, श्री (आगरा)
कन्हैया लाल, श्री (मथुरा)
कन्हैया लाल महेन्द्रू, श्री (लखनऊ)
कमला देवी, श्रीमती (हरदोई)
कमला प्रसाद सिंह, श्री (जौनपुर)
कमला साहनी, श्रीमती (बस्ती)
कल्याण सिंह, श्री (बरेली)
कल्लू राम, श्री (मिर्जापुर)
काशीनाथ मिश्र, श्री (बलिया)
किशोरी शुक्ला, श्रीमती (गोरखपुर)
कुदसिया बेगम, श्रीमती (हरदोई)
कुबेर भण्डारी, श्री (देवरिया)
कृष्ण कुमार शुक्ल, श्री (रायबरेली)
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज) (फतेहपुर)
कृष्ण प्रकाश तिवारी, श्री (इलाहाबाद)
कृष्ण मगन सिंह, श्री (बाराबंकी)
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर (आगरा)
केदारनाथ सिंह, श्री (गोरखपुर)
केशरी प्रसाद, श्री (जौनपुर)
केशोराम, श्री (बदायूं)
कैलाश टण्डन, श्री (वाराणसी)
कैलाश प्रसाद, श्री (गोरखपुर)
खान गुफरान जाहिदी, श्री (फतेहपुर)
खुशहाल सिंह रांगड़, श्री (टिहरी गढ़वाल)
खैरुल बशर, श्री (आजमगढ़)
गंग सागर शंखवार, श्री (कानपुर)
गजेन्द्र सिंह, श्री (इटावा)
गजेन्द्र सिंह, श्री (बाराबंकी)
गया सिंह, श्री (उन्नाव)
गेंदा देवी, श्रीमती (बस्ती)
गोपाल राम दास, श्री (अल्मोड़ा)
गोपी नाथ दीक्षित, श्री (उन्नाव)
गोपी नाथ वर्मा, श्री (फैजाबाद)
गोरे लाल शाक्य, श्री (इटावा)
गौरी देवी, श्रीमती (गोरखपुर)
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री (इटावा)
चन्द्रबली ब्रह्मचारी, श्री (आजमगढ़)
चन्द्र शेखर त्रिवेदी, श्री (लखनऊ)
चारु चन्द्र ओझा, श्री (पिथौरागढ़)
छत्तर सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
छेदा लाल चौधरी, श्री (खीरी)
जंग बहादुर, श्री (जौनपुर)
जगदीश प्रसाद, श्री (इलाहाबाद)
जगदीश सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
जटाशंकर सिंह, श्री (बहराइच)
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री (गोरखपुर)
जमुना प्रसाद, श्री (बाराबंकी)
जसवन्त सिंह बिष्ट, श्री (अल्मोड़ा)
जियाराम शुक्ल, 'विकल साकेती', श्री (फैजाबाद)
जीराज सिंह मौर्य, श्री (मुरादाबाद)
जैर ज गौतम, श्री (सुल्तानपुर)
झिलमिट राम, श्री (गाजीपुर)
तपेश्वर, श्री (आजमगढ़)
तेज बहादुर सिंह, श्री (जौनपुर)
तेज बहादुर गंगवार, श्री (पीलीभीत)
त्रिवेनी, श्री (आजमगढ़)
थम्मन सिंह गहलौत, श्री (बिजनौर)
दयाल कृष्ण, श्री (मथुरा)
दलगंजन सिंह, श्री (जालौन)

बल सिंगार, श्री (आजमगढ़)
दामोदर शर्मा, श्री (मेरठ)
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री (बस्ती)
दीना नाथ, श्री (बस्ती)
दीपू उर्फ दीप नारायण, श्री (आजमगढ़)
दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री (देवरिया)
दूधनाथ राजभर, श्री (आजमगढ़)
देवी प्रसाद, श्री (बहराइच)
देवेन्द्र पाण्डेय, श्री (सुल्तानपुर)
देवेन्द्र बहादुर सिंह, श्री (कानपुर)
धनेश्वरी देवी, श्रीमती (वाराणसी)
धर्मपाल, डाक्टर (अलीगढ़)
धर्मवीर सिंह त्यागी, श्री (मुजफ्फरनगर)
धर्म सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
ध्रुप राय, श्री (देवरिया)
नत्थू लाल, श्री (हरदोई)
नन्द किशोर सिंह, श्री (देवरिया)
नन्द राम, श्री (बरेली)
नरेन्द्र सिंह बिष्ट, श्री (पिथौरागढ़)
नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री (हरदोई)
नियाज हसन खां, श्री (प्रतापगढ़)
निर्भय नारायण सिंह, श्री (बलिया)
(उर्फ लाल बाबू)
पंचानन, श्री (आजमगढ़)
पन्नेलाल, श्री (गोरखपुर)
परमाई लाल, श्री (हरदोई)
प्रवीन कुमार शर्मा, श्री (बुलन्दशहर)
परागी लाल चौधरी, श्री (सीतापुर)
पहलवान, श्री (जौनपुर)
पारवती देवी, श्रीमती (बाराबंकी)
पूरन चन्द्र, श्री (अलीगढ़)
प्रताप नारायण द्विवेदी श्री (हमीरपुर)
प्रदीप कुमार यादव, श्री (बाराबंकी)
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री (प्रतापगढ़)
प्रभू नारायण सिंह, श्री (जौनपुर)
प्रमोद कुमार, श्री (प्रतापगढ़)
प्रियदर्शी जेतली, श्री (फैजाबाद)
प्रेमवती तिवारी, श्रीमती (लखनऊ)
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री (गोरखपुर)
बनवारी राम, श्री (वाराणसी)
बलबीर सिंह, श्री (फर्रुखाबाद)
बल्देव सिंह आर्य, श्री (उत्तर काशी)
बाबू लाल, श्री (पीलीभीत)
बाबू लाल, श्री (गोंडा)
बाबू लाल, श्री (हमीरपु)
बिहारी लाल श्री (नैनीताल)
बिहारी लाल दोहरे, श्री (फर्रुखाबाद)
बैजनाथ प्रसाद, कुशवाहा, श्री (इलाहबाद)
भगवती सिंह विशारद, श्री (उन्नाव)
भगवतीन कुशवाहा, श्री (कानपुर)
भागीरथ, श्री (झांसी)
भास्कर पांडेय, श्री (देवरिया)
भोखा लाल, श्री (उन्नाव)
भूधर नारायण मिश्रा, श्री (कानपुर)
भूपसिंह केन, श्री (गाजियाबाद)
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री (गोरखपुर)
मण्डलेश्वर सिंह, श्री (आगरा)
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री (बस्ती)
मन्जूर अहमद, श्री (मेरठ)
मसरूर जाफरी, श्री (उर्फ शबरोज)
(गोंडा)
महाबीर सिंह, श्री (सहारनपुर)
महारानी दोहरे, श्रीमती (इटावा)
महेश उपाध्याय, श्री (आगरा)
महेश चन्द्र, श्री (मेरठ)
महेश प्रसाद, श्री (देवरिया)
माण्डवी प्रसाद सिंह, श्री (वाराणसी)
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री (बस्ती)
माधव प्रसाद, श्री (फैजाबाद)
मान पाल सिंह एडवोकेट, श्री (एटा)
मान बहादुर, श्री (गोंडा)
मारकण्डेय चन्द्र, श्री (गोरखपुर)
मित्रसेन, श्री (फैजाबाद)
मीर मजहर अली, श्री (बदायूं)
मुईद अहमद, श्री (सुल्तानपुर)
मुख्तार अनीस, श्री (सीतापुर)
मुरलीधर मुनीम, श्री (गोंडा)
मोती लाल देहलवी, श्री (कानपुर)
मोहन लाल, श्री (हमीरपुर)
मोहन सिंह, श्री (देवरिया)
मोहम्मद अबरार अहमद, श्री (बदायूं)
मोहम्मद अमीन, श्री (इलाहाबाद)
मोहम्मद उमर, डाक्टर (गोंडा)
मोहम्मद नबी, श्री (बस्ती)
मोहम्मद रफी सिद्दीकी, श्री (लखनऊ)
मोहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री
(वाराणसी)
यदुनाथ, श्री (मिर्जापुर)
यशपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
यशपाल सिंह, श्री (सहारनपुर)
योगेन्द्र सिंह, कुंवर (फर्रुखाबाद)
योगेश चन्द्र, श्री (वाराणसी)

रघुराज प्रसाद उपाध्याय, श्री (गोंडा)
रघुवीर सिंह यादव, श्री (मैनपुरी)
रतीराम, श्री (बिजनौर)
रमाकान्त मिश्रा, श्री (इलाहाबाद)
रमेश चन्द्र, श्री (रायबरेली)
राज किशोर राव, श्री (बहराइच)
राज कुमार राय, श्री (आजमगढ़)
राजपति देवी, श्रीमती (सुल्तानपुर)
राजमंगल पाण्डेय, श्री (देवरिया)
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री (सीतापुर)
राजेन्द्र त्रिपाठी, श्री (इलाहाबाद)
राधेश्याम पटेल, श्री (इलाहाबाद)
राम अवध प्रसाद, श्री (बस्ती)
राम आसरे पासवान, श्री (बस्ती)
राम आसरे वर्मा, श्री (हरदोई)
राम औतार दीक्षित, श्री (हरदोई)
राम करन श्री (वाराणसी)
राम कुंवर सिंह, श्री (आजमगढ़)
राम कुमार भार्गव, श्री (सीतापुर)
राम कृष्ण माहेश्वरी, श्री (मुरादाबाद)
राम चन्द्र, श्री (वाराणसी)
राम चरण सिंह, श्री (मिर्जापुर)
राम धनी, श्री (गाजीपुर)
राम नारायण पाठक, श्री (कानपुर)
राम प्यारे पाण्डेय, श्री (फतेहपुर)
राम प्रसाद, श्री (जालौन)
राम प्रसाद, श्री (मुजफ्फरनगर)
राम भजन लाल, श्री (खीरी)
राम यश सिंह, श्री (सहारनपुर)
राम लाल, श्री (सीतापुर)
राम लाल वर्मा, श्री (हरदोई)
राम शिरोमणि, श्री (जौनपुर)
राम समुझावन, श्री (जौनपुर)
राम सागर, श्री (बाराबंकी)
राम सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
राम सिंह खन्ना, श्री (बरेली)
राम सेवक, श्री (सुल्तानपुर)
राम हर्ष मिश्र, श्री (बहराइच)
राम हर्ष राय, श्री (गाजीपुर)
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री (बरेली)
रामेश्वर प्रसाद, श्री (बांदा)
रिजवानुर्रहमान किदवाई, श्री (बाराबंकी)
रियासत हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
रुद्र प्रताप सिंह, श्री (देवरिया)
रूप राम, श्री (शाहजहांपुर)
रूल्हा सिंह, श्री (सहारनपुर)
लल्लू सिंह चौहान, श्री (मैनपुरी)
वासुदेव सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
विजय कुमार, श्री (लखनऊ)
विजय पाल सिंह, श्री (गाजियाबाद)
विजय शंकर सिंह, श्री (गाजीपुर)
विद्या सागर नौटियाल, श्री (टिहरी गढ़वाल)
विनोद कुमार तिवारी, डाक्टर (पीलीभीत)
विमल प्रसाद तिवारी, श्री (फर्रुखाबाद)
विशन लाल, श्री (बिजनौर)
विश्राम दास, श्री (इलाहाबाद)
विष्णु दयाल वर्मा, श्री (मैनपुरी)
वीरेन्द्र कुमार चौधरी, श्री (सीतापुर)
वीरेन्द्र सिंह ढाना, कुंवर (गाजियाबाद)
शंकर सिंह, श्री (जालौन)
शम्भूनाथ, श्री (आजमगढ़)
शिरोमणि, श्री (बांदा)
शिव दर्शन, श्री (रायबरेली)
शिव नरेश, श्री (बांदा)
शिव नारायण सिंह नेगी, श्री (नैनीताल)
शिव बालक, श्री (रायबरेली)
शिवराज सिंह, श्री (अलीगढ़)
शिवानन्द नौटियाल, डाक्टर (पौड़ी गढ़वाल)
शेर बहादुर, श्री (फैजाबाद)
श्याम नारायन तिवारी, श्री (गोरखपुर)
श्याम लाल वाजपेयी, श्री (बाराबंकी)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री (इलाहाबाद)
श्रीकृष्ण गोयल, श्री (बदायूं)
श्रीपति मिश्र, श्री (सुल्तानपुर)
संकठ प्रसाद शास्त्री, श्री (वाराणसी)
संजय सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
सत्यपाल सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
सन्त बक्स रावत, श्री (लखनऊ)
सन्तोष कुमारी, श्रीमती (बदायूं)
साहब सिंह, श्री (गाजीपुर)
सीताराम निषाद, श्री (फैजाबाद)
सुखदा मिश्रा, श्रीमती (इटावा)
सुखबीर सिंह गहलौत, श्री (गाजियाबाद)
सुनीता चौहान, श्रीमती (रायबरेली)
सुन्दर सिंह, श्री (बहराइच)
सुमन लता दीक्षित, कुमारी (कानपुर)

सूरेन्द्र कुमार, श्री (उर्फ मुन्नी) (गाजियाबाद)
सुरेन्द्र प्रताप नारायण, श्री (बस्ती)
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री (अलीगढ़)
सुरेश दत्त पालीवाल, श्री (जालौन)
सूबेदार सिंह, श्री (मैनपुरी)
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री (जौनपुर)
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री (हमीरपुर)
हरगोविन्द वर्मा, श्री (सीतापुर)
हरदेव, श्री (बलिया)
हरवंश प्रसाद पाण्डेय, श्री (बांदा)
हरिद्वार पाण्डेय, श्री (गोरखपुर)
हरि प्रसाद, श्री (उन्नाव)
हरिवंश सहाय, श्री (देवरिया)
हरि सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
हरी किशन श्रीवास्तव, श्री (कानपुर)
हरीशंकर, श्री (हरदोई)

नोटः—मुख्य मंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह भी सदन में उपस्थित थे।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

प्रश्नोत्तर

सोमवार 23 मार्च, 1981

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

गोरखपुर जिले में खाद एवं बीज पर दी गयी छूट

*1--श्रीमती गौरी देवी--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर जिले के किसानों को खाद, बीज पर मिलने वाली छूट के सम्बन्ध में मुख्य विकास अधिकारी, जिला परियोजना अधिकारी एवं कृषि अधिकारी ने विकास खण्ड अधिकारियों को अलग-अलग भिन्न-भिन्न निर्देश वर्ष 1980 में भेजे जिससे 15 नवम्बर तक किसानों को खाद व बीज में छूट नहीं मिल सकी ? यदि हां, तो क्यों ?

कृषि मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव)--

जी हां, शासनादेशों के प्रसारण हेतु ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्रीमती गौरी देवी--

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि मुख्य विकास अधिकारी, परियोजना अधिकारी एवं कृषि अधिकारी ने क्या निर्देश भेजे थे ? क्या तीनों के निर्देशों से विकास खण्ड अधिकारी भ्रमित हो गये थे ? (2) क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि 15 नवम्बर तक कितने किसानों को छूट दी गयी थी ?

श्री बलराम सिंह यादव---

मान्यवर, शासनादेश 3 हुए हैं और उन शासनादेशों के होने से जहां तक छूट मिलने का संबंध है, उसमें कोई विरोधाभास वाली बात नहीं है । पहला शासनादेश जो जारी हुआ है, उसमें यह था कि जून, 1979 से पहले जहां 50 प्रतिशत तक नुकसान खरीफ में हुआ है, रबी में 50 प्रतिशत जहां फसल बोई ही न गयी हो, यह शासनादेश था, खरीफ में जहां 50 प्रतिशत से ज्यादा नुकसान हुआ है, ऐसे कृषकों को अनुदान मिलेगा । दूसरा जो संशोधित शासनादेश गया कि इससे पात्र व्यक्ति जो हैं, वह बहुत कम होंगे, तो दूसरा शासनादेश जारी हुआ और वह शासनादेश संशोधित किया गया, उसमें यह कहा गया कि जहां 50 प्रतिशत रबी और खरीफ में नुकसान हुआ है ऐसे पात्र व्यक्ति को अनुदान की सुविधा होगी । इससे भी जब यह देखा गया कि कम लोगों का फायदा हो रहा है, तो तीसरा शासनादेश गया कि जहां खरीफ में 50 प्रतिशत नुकसान हुआ हो और रबी की फसल चाहे बोई गयी हो या नहीं बोई गयी हो, ऐसे पात्र व्यक्ति को, सभी को अनुदान मिलेगा ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा---

मान्यवर, मंत्री जी ने शासनादेश को पूरी तरह नहीं पढ़ा । मान्यवर, पहले शासनादेश यह था कि जहां खरीफ में आधे से ज्यादा नुकसान हुआ हो, उनको

छूट दी जाय। सरकार यहीं कम से कम बता दे कि कहां पर खरीफ की बोवाई नहीं हुई और जो दूसरा शासनादेश हुआ इससे भी जब कवर नहीं हुआ तो तीसरा शासनादेश हुआ तो मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि 15 नवम्बर तक जो आपने अश्वासन दिया था छूट पर, क्या मेरी सूचना को सही मानकर कि 15 नवम्बर तक 10 प्रतिशत भी छूट नहीं दी गयी, इस पर शीघ्र कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ?

श्री बलराम सिंह यादव--

मान्यवर, नवम्बर, 1980 तक 30 लाख रुपये का अनुदान गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया गया, लेकिन अगर कहीं स्पेसिफिक शिकायत माननीय सदस्य को है और उनको जानकारी है कि फलां जगह पर अनुदान नहीं दिया गया, तो उस संबंध में बता दें, जो दोषी अधिकारी होंगे, उनको सजा दी जायगी।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि उन्होंने जो धनराशि बतायी कि 30 लाख की खाद अनुदान के रूप में बांटी गयी, लेकिन हम लोग किसान हैं, निश्चित रूप से जानते हैं कि वह खाद जहां पहुंचनी थी, वहां पहुंची नहीं। कुछ हेरा-फेरी करके इधर-उधर करके भेजी गयी। माननीय ओझा जी भी जानते हैं, गोरखपुर में, महाराजगंज में 2 ट्रक-3 ट्रक खाद गोण्डा के देवेन्द्र पाण्डेय ने महाराजगंज में बेची, जो पकड़ी भी गयी। छूट की खाद यहां से वहां ले जाकर बेची गयी। तो क्या माननीय मन्त्री जी इसकी जनरल जांच करवा लेंगे ताकि यह स्पष्ट हो जाय कि खाद जिनको मिलनी है, उनको नहीं मिल पा रही है ?

श्री बलराम सिंह यादव--

मान्यवर, जनरल जांच कराना तो बहुत मुश्किल बात होती है, लेकिन इतना जरूर है कि अगर किसी ब्लाक या किसी गांव के बारे में माननीय सदस्य स्पेसिफिक रूप से शासन को सूचित करेंगे तो उसके बारे में निश्चित रूप से जांच करायी जायगी।

*2--श्री जंग बहादुर--

[6ठे बुधवार के 38(2) में अतारांकित प्रश्न संख्या 1 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

मस्जिद एवं मजार बाबा तुराबशाह, आवास विकास कालोनी राजाजीपुरम, लखनऊ का इन्द्राज

*3--श्री अशफाक अहमद अन्सारी (अनुपस्थित) तथा श्री हरवंश प्रसाद पाण्डेय (अनुपस्थित)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मस्जिद एवं मजार बाबा तुराबशाह की भूमि एफ० सेक्टर, आवास विकास कालोनी, राजाजीपुरम (ताल कटोरा), लखनऊ का इन्द्राज नगर महापालिका, लखनऊ के रजिस्टर कब्रिस्तान सआदतगंज वार्ड और सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड के वक्फ सम्पति रजिस्टर में है ? यदि हां, तो इसका इन्द्राज वर्तमान खसरा और खतौनी में क्यों नहीं किया गया ? क्या शासकीय आदेश संख्या 40(30)-68, दिनांक 29-3-68 तथा अर्द्ध शासकीय आदेश संख्या 1812(4)-52--688-76, दिनांक 5-9-80 के अनुसार उपरोक्त प्रश्नगत वक्फ सम्पति की चौहद्दी आदि निर्धारित करा कर सुरक्षा की व्यवस्था कर दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पंचायती राज मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

जी हां। यह सम्पत्ति बन्दोबस्त 1304 फसली के नगर महापालिका, लखनऊ के नकल रजिस्टर में तथा सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड के सम्पत्ति रजिस्टर में दर्ज है। इसका इन्द्राज वर्तमान खसरा और खतौनी में न किये जाने के बारे में जांच कराई जा रही है। शासन के आदेशों के अनुपालन में मस्जिद और मजार व सन्निद्ध भूमि को पार्क के भाग के रूप में छोड़ दिया गया है। मजार व मस्जिद अपने स्थल पर विद्यमान हैं। चौहद्दी बनाकर सुरक्षा की व्यवस्था के बारे में जानकारी की जा रही है।

[दिनांक 23 मार्च, 1981 के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

न्याय पंचायतों के पुनर्गठन की मांग

*1--श्री मित्रसेन--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनता को सस्ता न्याय सुलभ कराने हेतु न्याय पंचायतों को पुनर्जीवित एवं सक्षम बनाने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी नहीं।

क्योंकि वर्तमान व्यवस्था ही पर्याप्त है।

श्री मित्रसेन--

मान्यवर मैंने माननीय मंत्री जी से यह जानने की इच्छा की थी कि जो वर्तमान न्याय पंचायतें हैं, उनके कार्य से और उनकी पद्धति से और उनको जो क्षमता है, क्या सरकार उससे सन्तुष्ट है ? यदि नहीं, तो क्या कोई ऐसा अधिकार और आर्थिक अनुदान या कोई ऐसी व्यवस्था करेगी कि वे न्याय पंचायतें पुनर्जीवित हो सकें और सक्रिय हो सकें और न्याय व्यवस्था, जिसकी ग्रामीण जनता उनसे अपेक्षा करती है, उसमें सुधार हो सके। माननीय मंत्री जी ने कहा कि वर्तमान व्यवस्था ही काफी है, तो क्या इन न्याय पंचायतों को आर्थिक सहायता या आर्थिक अनुदान सक्रिय करने के लिये और संवैधानिक अधिकार इन न्याय पंचायतों को देने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, जहां तक पुनर्जीवित करने का प्रश्न था, मैंने आपके द्वारा सम्माननीय सदस्य को सूचना दी, जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग का संबंध है आर्थिक सहायता का, तो न्याय पंचायत प्रणाली को सक्रिय करने के लिये और कार्यशील करने के लिये सरकार हमेशा प्रयत्नशील है। इस सुझाव पर हम लोग विचार कर सकते हैं कि किस प्रकार से इन्हें और भी ज्यादा "एक्टीवाइज" किया जाय। नयी प्रणाली बनाना विचाराधीन नहीं है।

श्री ऊदल--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पूरा देहाती ढांचा किस तरह का हो जिसका परिषद् स्तर तक इस पर अशोक मेहता साहब की कमेटी ने बहुत अरसे से एक सिफारिश करके सरकार के पास भेज दी है, दो साल से ऊपर हो गये। उसके संबंध में अब तक क्या कार्यवाही हुई और उस पर विचार कब तक होता रहेगा ?

श्री अध्यक्ष--

यह तो अलग की चीज है।

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, अगर इजाजत हो, तो स्पष्ट कर दूं ।

20-4-79 को राज्य सरकार ने एक पत्र लिखकर केन्द्र सरकार को, अशोक मेहता साहब की रिपोर्ट, जो सन् 78 में दाखिल हुई थी, कि किस प्रकार से उनका कार्यान्वयन किया जाय । सारे भारतवर्ष भर में सारे राज्यों से प्रतिक्रियायें भारत सरकार ने इस संबंध में मंगायीं । उत्तर प्रदेश से भी मंगायी गयीं । वहां से अब तक कोई उत्तर नहीं मिला, जब केन्द्रीय सरकार का मार्गदर्शन प्राप्त हो जायगा उस समय इस सुझाव पर विचार किया जायगा ।

श्री भोखालाल--

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जनता को सस्ता न्याय दिलाने के लिये ही इन न्याय पंचायतों की स्थापना की गयी थी, जो इस वक्त मृत हैं । शासन ने बताया कि वर्तमान व्यवस्था ही उपयुक्त है, तो क्या मृत न्याय पंचायतों को उपयुक्त समझते हैं? यदि नहीं, तो पुनर्जीवित करने में क्या दिक्कत है ?

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, जो न्याय पंचायतों की इस समय प्रणाली है, वह कार्य कर रही है । चूंकि वह ग्राम सभाओं से जुड़ी हैं और जब उनके चुनाव होंगे तो उसी समय न्याय पंचायतों का भी चुनाव होगा, इसलिये जो व्यवस्था है, वह पर्याप्त है और उसमें किस प्रकार से सुधार लाया जाय जिससे वह सक्रिय हो सकें उस पर विचार किया जा सकता है । लेकिन किसी नई प्रणाली का सोचना मान्यवर, संभव नहीं है ।

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, यह देखते हुये कि न्याय पंचायतों का रूप जब से पंचायत राज स्थापित हुआ है, दो-तीन बार चेन्ज हो चुका है । कभी 25 गांवों पर पंचायत अदालत थी और अब 12-13 गांवों पर । परन्तु इस समय भी जो असली मतलब है वह हासिल नहीं हो पा रहा है और केवल पंचायत अदालतें उसी जगह पर काम कर रही हैं जहां सरपंचों का व्यक्तिगत स्वार्थ है और बाकी जगह नहीं । आपने जो चुनाव की तिथि बताया है वह 31 मार्च, 1982 तक, तो इससे पहले क्या मंत्री जी ऐसी व्यवस्था के ऊपर विचार करेंगे जिससे इस आने वाले ग्राम सभाओं के चुनाव में प्रभावशाली तरीका अपनाया जा सके जिससे ग्राम पंचायतों को सस्ता न्याय आसानी से मिल सके ?

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, यह प्रश्न महत्वपूर्ण है और इसमें जो सरकार की ओर से हो सकता है उस पर विचार किया जायेगा और माननीय सदस्य का जो मार्गदर्शन है वह अपेक्षित है ।

श्री राम आसरे बर्मा--

मान्यवर, मंत्री जी ने बताया है कि जो अशोक मेहता की रिपोर्ट थी, उस पर विभिन्न राज्यों की सरकारों ने अपनी प्रतिक्रिया भेजी है और हमारी सरकार ने भी भेजी है, तो मैं जानना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने जो प्रतिक्रिया भेजी है उसका भाव क्या है ?

श्री अध्यक्ष--

इसके लिये अलग से प्रश्न करलें ।

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, इसके लिये अलग से प्रश्न करलें, तो उचित होगा ।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर दिलवा दें ।

श्री अध्यक्ष--

मैंने तो पहले ही कहा था कि अलग से प्रश्न होना चाहिये ।

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, इसके बारे में अलग से प्रश्न करने की आवश्यकता है और सूचना की आवश्यकता है ।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर आज नहीं तो कल दे दें ।

श्री अध्यक्ष--

अब तो कह दिया है कि अलग से सूचना की जरूरत है ।

श्री मित्रसेन--

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि न्याय पंचायतों को आर्थिक रूप से सक्षम करने के लिये चूंकि एक विचार था कि न्याय पंचायतों को लगान वसूली में कुछ प्रतिशत देंगे और पंचायत कर वसूल करेंगे, तो मंत्री जी इसके बारे में क्या कर रहे हैं ?

श्री अम्मार रिजवी--

इस प्रश्न का उत्तर पहले ही दे दिया गया है कि न्याय पंचायतों को आर्थिक रूप से सक्रिय करने के लिये शासन विचार करेगी ।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

मेरे कहने का मतलब है माननीय सदस्य ने अपने प्रश्न में कहा, यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, न्याय पंचायतों का क्षेत्र बहुत बड़ा है, यह सभी समझ रहे हैं । न्याय पंचायतों में एक पंचायत सेवक होता है उसे गांव सभाओं की मीटिंग में भी जाना पड़ता है, न्याय पंचायतों की मीटिंग में भी जाता है, किन्तु उसको कोई यात्रा भत्ता नहीं दिया जाता । जो प्रमुख होते हैं, उनको यात्रा भत्ता देते हैं, उनको कुछ नहीं मिलता है, इसलिये वह अपने दिल में सोचते हैं कि वह क्यों जायं और कोरम नहीं होता है जिस न्याय की दृष्टि से न्याय पंचायतों की स्थापना की गई थी गांधी का एक संकल्प था तो उस दृष्टि से क्या माननीय मंत्री जब तक चुनाव नहीं होता तब तक उन पंचायतों में कुछ भत्ता देंगे जिससे यह मृत पड़ी न्याय पंचायतें सुचारु रूप से कार्य कर सकें ?

श्री अम्मार रिजवी--

ऐसा कोई प्रस्ताव या प्रश्न शासन के विचाराधीन नहीं है ।

*2--श्री कुबेर भण्डारी, श्री हरिवंश सहाय, श्री मोहन सिंह तथा श्री नन्द किशोर सिंह--

[आश्वासन समिति के विचारार्धीन होने के कारण निरस्त]

*3--श्री प्रियदर्शी जेतली, श्री शेर बहादुर सिंह तथा श्री गोरे लाल शाक्य--

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

*4--श्री राम स्वरूप वर्मा--

[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर स्थगित]

ब्लाक ककवन, जिला कानपुर के अन्तर्गत खाद पर दी गयी छूट

*5--श्री मोती लाल देहलवी (अनुपस्थित)--

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या उन्हें यह जानकारी है कि जनपद कानपुर के अन्तर्गत ब्लाक ककवन में दिसम्बर, 9180 से 33-1/3 प्रतिशत छूट की यूरिया खाद 104 रु0 में तथा डी0 ए0 पी0 खाद 148 रु0 में बिना रसीद दिए हुए नकद दाम पर बेची जाती रही है और जब इसकी लिखित शिकायत मध्य दिसम्बर में कृषि मन्त्री व जिलाधिकारी, कानपुर से की गयी तो जांच में उपरोक्त भ्रष्टाचार किसानों द्वारा प्रमाणित किया गया ? यदि हां, तो सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जी नहीं ।

जिलाधिकारी के पास शिकायत प्राप्त होने पर जांच कराई गई । जांच में आरोप सही नहीं पाये गये ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लघु सिंचाई विभाग के प्राविधिक सहायकों के उच्चीकरण के सम्बन्ध में शासनादेश

*6--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि लघु सिंचाई विभाग में कार्यरत प्राविधिक सहायकों की अपग्रेडिंग के सम्बन्ध में अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश लघु सिंचाई विभाग अवर अभियन्ता संघ ने, जिन प्राविधानों के अन्तर्गत उन्हें अप-ग्रेड किया गया है, के शासनादेश की जानकारी अपने पत्र दिनांक 12-10-80 के द्वारा चाही थी ? यदि हां, तो क्या उन्हें यह शासनादेश उपलब्ध करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्या बिना शासनादेश के ही अप-ग्रेड कर दिया गया है तथा सभी के साथ समान नीति अपनाई गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जी, हां ।

लघु सिंचाई विभाग में 85 टेक्निकल असिस्टेंट थे जिसमें समान रूप से यह नीति अपनाई गई कि 7 वर्ष की सेवा के बाद अपग्रेडिंग की जायेगी । केवल 4 मामलों में स्थानीय प्रबन्ध के अन्तर्गत प्रोन्नति दे दी गई । शासन द्वारा इन मामलों में यथोचित कार्यवाही की जा रही है ।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि शासनादेश की जानकारी सम्बन्धित संगठन को कब कराई गई और जो स्थानीय प्रबन्ध की बात माननीय मंत्री जी ने कही है क्या स्थानीय प्रबन्ध के लिये कोई सिद्धान्त है यदि है, तो क्या है ?

श्री बलराम सिंह यादव--

हमारे पास जो सूचना है उसके अनुसार शासनादेश की जानकारी लिखित रूप से भेज दी गई है और आपका दूसरा प्रश्न क्या था ?

श्री राम आसरे वर्मा--

मेरा प्रश्न यह था कि शासनादेश की जानकारी कब दी गई, दूसरा यह था कि स्थानीय प्रबन्ध के अन्तर्गत, जो मंत्री जी ने कहा, स्थानीय प्रबन्ध के लिए कोई सिद्धान्त है ?

श्री बलराम सिंह यादव--

13-3-81 के पत्र द्वारा इसकी सूचना भेज दी गई है और जहां तक स्थानीय प्रबन्ध का प्रश्न है, वह जिलाधिकारी ने जहां आवश्यकता रही होगी स्थानीय प्रबन्ध कर लिया होगा ।

श्री राम आसरे वर्मा--

मेरी जानकारी को सही मानते हुये स्थानीय प्रबन्ध की जो, व्यवस्था होती है, उसके लिये भी वरिष्ठता का ध्यान दिया जाता है । क्या मेरी जानकारी को सही मानते हुए कि स्थानीय प्रबन्ध में वरिष्ठता का आधार नहीं माना गया ? क्या माननीय मंत्री जी इसकी जांच करायेंगे और कार्यवाही करेंगे ?

श्री बलराम सिंह यादव--

यह मामला शासन के विचाराधीन है शासन स्तर से निर्णय किया जायेगा । यह 3--4 लोग हैं जिनको एडहाक तौर पर प्रमोट कर दिया गया है इस के मामले में न्याय विभाग से और सामुदायिक विकास विभाग से परामर्श लिया गया है शासन शीघ्रही इस बात का निर्णय लेने वाला है कि इनको रिवर्ट किया जाय या न किया जाय ।

वनवासी आश्रम, मिर्जापुर के सम्बन्ध में सतर्कता अधिष्ठान की जांच

*7--श्री ऊदल--

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या वनवासी आश्रम, मिर्जापुर में बहुत अनियमितताएं हैं और भ्रष्टाचार का अड्डा भी बना है और इसको विदेशों के कई देशों से काफी धन मिला है उसका कोई हिसाब-किताब नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच करेगी और इस आश्रम की गतिविधियों को देखने की कृपा करेगी ? क्या यह सत्य है कि जनता शासन में इसकी जांच एक उपमन्त्री ने की थी और सरकार को रिपोर्ट दी थी ? वह रिपोर्ट क्या है ?

श्री अम्मार रिजवी--

वनवासी सेवा आश्रम, मिर्जापुर में एक स्वायत्तशासी संस्था के रूप में कार्य कर रहा है। इस संस्था को विगत वर्षों में भारत सरकार तथा विदेशों से आर्थिक सहायता प्राप्त हुई है। इस आश्रम के मामलों के सम्बन्ध में जनता शासन में तत्कालीन उप मन्त्री से कोई जांच रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई थी वरन् श्री बाबूलाल वर्मा, तत्कालीन उप मन्त्री, क्षेत्रीय विकास विभाग से एक भ्रमण टिप्पणी प्राप्त हुई थी जिसमें अन्य आरोपों के अतिरिक्त अनियमितताओं व भ्रष्टाचार के आरोप थे, आरोपों की जांच अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा की जा रही है। आरोपों की पुष्टि जांच रिपोर्ट उपलब्ध होने के उपरान्त सम्भव हो सकेगी। चूंकि यह संस्था शासन के नियन्त्रण में नहीं चल रही है अतः इसके कार्यकलापों में सरकारी धन के उपयोग के मामले को छोड़ अन्य मामलों में शासन द्वारा हस्तक्षेप सम्भव नहीं है।

श्री ऊदल--

मान्यवर, मैं दो बातें जानना चाहता हूं कि भारत सरकार से कितना रुपया मिला, कब-कब मिला और विदेशों से कहां-कहां से रुपया मिला? दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि माननीय बाबू लाल वर्मा जी ने जो भ्रमण टिप्पणी शासन को दी थी उसमें कौन-कौन सी ऐसी अनियमिततायें थीं और क्या-क्या आरोप थे?

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, जो स्टेट गवर्नमेन्ट से पैसा उनको दिया गया तो 1973-74 में 1 लाख रुपया, 74-75 में एक लाख 20 हजार रुपया दिया गया, 75-76 और 76-77 में कुछ नहीं दिया गया। 77-78 में 2 लाख 96 हजार रुपया, 1978-79 में 2 लाख 78 हजार रुपया उनको दिया गया है। मान्यवर, जो फारेन की एजेंसीज हैं, उनसे भी पैसा मिला है। 1977-78 में 73,228 रुपया वार आन वांट, लन्दन से मिला, प्रोटेस्टेंट सेन्ट्रल एजेंसी, वेस्ट जरमनी से 28,15,852·49/8 रुपये 100 गावों के डेवलपमेन्ट के लिये मिले। 8088 रुपये एक्शन इन डिस्ट्रेस, यूनाइटेड किंगडम से मिला 2,651 रुपये मारजोरी रोब, कनाडा से मिला, 95,270 रुपये ब्रेड फार द वर्ल्ड, वेस्टर्न जरमनी से मिला। 1978-79 में 16,83,837·86 रुपये ब्रेड फार द वर्ल्ड, वेस्टर्न जरमनी से रिलीफ वर्क के लिये मिला, 8,003 12 रुपये क्रिश्चियन चिल्ड्रेन फंड, नई दिल्ली से मिला, 1 लाख रुपया, ब्रेड फार द वर्ल्ड वेस्टर्न जरमनी से मिला, 20,81,281·77 पय प्रोटेस्टेंट सेन्ट्रल एजेंसी, वेस्टर्न जरमनी से मिला। 1979-80 में 8 लाख रुपये ब्रेड फार द वर्ल्ड, वेस्टर्न जरमनी से मिला, 1,11,259·70 रुपया क्रिश्चियन चिल्ड्रेन फंड, नई दिल्ली से मिला? 35,78,482.49 रुपया प्रोटेस्टेंट सेन्ट्रल एजेंसी से मिला, 10 लाख रुपये, ब्रेड फार द वर्ल्ड, वेस्टर्न जरमनी से मिले।

जो मुख्य-मुख्य शिकायतें थीं, जो उन्होंने अपने नोट में लिख कर भेजा वह इस प्रकार हैं--

(1) 50 लाख रुपये की एक बंधी अन्य किसी योजना में बनायी गई थी। आश्रम ने इस बंधी को अपने कार्यक्रम में सम्मिलित कर लिया था तथा उसको अपने व्यय से बनाया दिखाया गया था।

(2) आश्रम के कार्य क्षेत्र में कृषि विधियों का प्रसार कराना, अच्छे बीज उपलब्ध कराना और कृषि यन्त्र देना था। परन्तु कोई प्रगति नहीं हुयी है। यह सारे कार्य आश्रम में ही किये गये हैं।

(3) भूदान आन्दोलन के अन्तर्गत 1,300 भूमिहीनों को गांवों की 4,500 एकड़ भूमि को वितरित दिखाया गया है परन्तु किसी भी भूमिहीन को भूमि नहीं मिली है ।

(4) 1965 से 1967 तक बुद्धी क्षेत्र में सूखा और अकाल पड़ा था जिसके लिए लाखों रुपये का अनाज, कपड़ा और दवाइयां मिली थीं जिसका कोई लेखा-जोखा उपलब्ध नहीं है ।

(5) "काम करो गल्ला पाओ" योजना के अन्तर्गत कई लाख टन गल्ला मिला जिसके अन्तर्गत भूमि सुधार और बंधी निर्माण कार्य हुआ जबकि वास्तविकता में कोई बंधी नहीं बनाई गई ।

(6) "बार आन वांट" इंगलैंड तथा सर्व सेवा संघ एवं गांधी स्मारक निधि से 1967 में एक संस्था एगिन्डल नाम से आश्रम में स्थापित की गई जिसका उद्देश्य कृषि उद्योग स्थापित करना था परन्तु इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गई ।

(7) 1967-68 में आश्रम को 250 एकड़ भूमि पर कृषि प्रयोग फार्म स्थापित किया गया जिसका लाभ वहां के निवासियों को नहीं मिला ।

(8) 1975-76 में 1,200 एकड़ भूमि का समतलीकरण किया परन्तु आश्रम के अलावा किसी गांवों के कृषक की भूमि समतल नहीं की गयी ।

(9) 1968-69 में सूखा पड़ा, तब से 1972 तक आश्रम ने 50 कूपों और 100 नलकूपों का निर्माण कराया परन्तु कूप और नलकूप कहां बने, ज्ञात नहीं ।

(10) प्रशिक्षण योजना में आवासीय विद्यालय निर्माण पर रुपया 79,829 तथा व्यवहारिक साक्षरता पर 1,95,623 रुपया व्यय हुआ । इस धनराशि का सही उपयोग नहीं हुआ ।

(11) आश्रम की गौशाला में 46 गायें हैं। इन गायों के बच्चों का गोधन विकास के लिए उपयोग होना चाहिए था परन्तु सारा लाभ आश्रम तक ही सीमित है ।

(12) 1971 में ग्राम सिरही में एक उपकेन्द्र खोला गया। 1974 में 8 उपकेन्द्रों के माध्यम से 150 गांवों में विकास कार्यों का संगठन किया गया परन्तु गावों में कोई भी विकास कार्य दिखायी नहीं पड़ा ।

(13) 1972 में आदिवासी हरिजनों के लिए एक जूनियर हाई स्कूल खोला गया तथा साक्षरता भवन बनाया गया परन्तु इसका लाभ ग्राम के किसी परिवार को नहीं हुआ ।

(14) विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत आदिवासियों को बैल आदि का वितरण दिखाया गया है जबकि उन्हें ऋण दिया जाता है और उस पर 10 प्रतिशत सर्विस चार्जेज वसूल किये जाते हैं और वसूली डरा धमका कर की जाती है ।

(15) आश्रम निवासियों के शोषण का अड्डा और अराजक तत्वों का केन्द्र बन गया है। आश्रम राजनैतिक गतिविधियों का केन्द्र और सी0 आई0 ए0 का अड्डा है।

मान्यवर, यह जो मुख्य-मुख्य आरोप थे, वह श्री बाबूराम वर्मा के मुख्य-पत्र में थे।

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि जब आश्रम में राजनैतिक गतिविधियों के केन्द्र और सी0 आई0 ए0 का अड्डा है, तो माननीय मन्त्री जी ने अब तक इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की और दूसरे जब माननीय मन्त्री जी के संज्ञान में यह बात है कि केन्द्र सरकार ने विदेशों से धन लेना किसी संस्था के किए वंचित कर दिया है, क्योंकि इनके द्वारा देश की खुफिया बातों का आदान-प्रदान होता है। इस पर आपने अब तक क्या कार्यवाही की ?

श्री अम्मार रिजवी--

माननीय मोहन सिंह जी ने जो प्रश्न उठाया है, उसके सम्बन्ध में निवेदन करना है कि इन सभी मुद्दों पर फाइनेन्स विंग द्वारा जांच हो रही है। इसके साथ ही एक बात और कहनी है कि यह मामला 1977 से लेकर 1979-80 के बीच का है और जब विदेशों से सारा पैसा उत्तर प्रदेश आश्रम पर लगाया गया, उस समय आप यहां विद्यमान थे।

श्री मोहन सिंह--

जी हां, इस मामले की जांच कार्यवाही हमारे मन्त्री ने ही करवाई थी और उस पर ऐक्शन लेना आपकी जिम्मेदारी थी, जिस पर आपने अभी तक कुछ किया नहीं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया कि मामले की जांच अपराध अनुसंधान शाखा द्वारा कराई जा रही है। जबकि इससे पूर्व में शासन को इस मामले की तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गयी, तब उस संदर्भित संस्था पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी और अगर नहीं कराई गयी तो इसके क्या कारण हैं ?

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, अप्रैल, 1978 में श्री बाबू लाल वर्मा का यह पत्र मिला था मैं राजेन्द्र कुमार गुप्त जी के प्रश्न से सहमत हूं कि तत्कालीन सरकार को जब इसकी रिपोर्ट प्राप्त हो गयी थी, तो उस पर उसकी कार्यवाही कर देनी चाहिए थी, जो नहीं की गयी। परन्तु अब यह सरकार फाइनेन्स विंग के जांच के उपरांत तुरन्त कार्यवाही करेगी।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मैं इस झगड़े में नहीं पड़ता कि किस सरकार ने क्या-क्या कार्यवाही की या नहीं। मान्यवर, मैं कई बार कह चुका हूं उन बातों को ले कर कि यह सरकार कब तक उन बातों का छिपायेगी या छिपाती रहेगी। मंत्री जी की रिपोर्ट

पर शासन ने कुछ नहीं किया । जांच अपनी जगह हो रही है लेकिन मंत्री जी की रिपोर्ट बड़ी तथ्यात्मक है और सब बातें साफ-साफ दिखाई देती हैं परन्तु उस पर कोई भी कार्यवाही न करने के क्या कारण हैं ? इस सरकार ने उस पर अभी तक कोई कार्यवाही क्यों नहीं की ?

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, पहले जांच पूरी हो । जांच खतम करके ही कोई उप मंत्री की रिपोर्ट को आधार बना करके कोई कार्यवाही की जाती तो कहा जाता कि नेचुरल जस्टिस के खिलाफ यह चीज हो रही है, तो इस पर एकानामिक आफेन्सेज की जांच करने का जो विंग है, वह जांच कर रहा है । जांच में जो भी दोषी पाया जायेगा, उसे छोड़ा नहीं जायेगा, उसके खिलाफ कार्यवाही जरूर की जायेगी । अगर इसमें कोई दोषी पाया जाता है जो इस देश के खिलाफ या प्रदेश के खिलाफ काम कर रहा है, तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी ।

श्री भीखा लाल--

माननीय मंत्री जी ने बताया कि इस संस्था के आर्थिक मामले की जांच वे आर्थिक अनुसंधान शाखा से जांच करा रहे हैं । लेकिन जो वहां सी0 आई0 ए0 का अड्डा है क्या उसके सम्बन्ध में भी मंत्री जी जांच करा रहे हैं ?

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, पूरी स्थिति की जांच की जा रही है ।

श्री रियासत हुसैन--

माननीय मंत्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में मैं यह जानना चाहता हूं कि यह संस्था 15 सालों से राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का अड्डा बनी हुई है और अब श्री बाबूलाल वर्मा जी के चार्जेज के आधार पर सरकार जांच करा रही है, तो इन 15 सालों में मिर्जापुर में जो जिलाधिकारी रहे, क्या उन्होंने इस सम्बन्ध में कोई सूचना शासन को या एल0 आई0 यू0 को नहीं दी और जब शासन का एक मंत्री वहां पर पहुंचा तो यह सारी चीजें सामने आयीं हैं । तो उन 15 सालों के दौरान जो जिलाधिकारी, मिर्जापुर में रहें उन्होंने सी0 आई0 ए0 को छिपाने का जो काम किया, तो मंत्री जी ने उनके खिलाफ कोई कार्यवाही की ।

श्री अम्मार रिजवी--

जांच के बीच में जो भी सम्बन्धित अधिकारी जानकारी में आयेंगे, अभी तो जांच चल रही है । पहले जांच की प्रक्रिया पूरी हो जाय, तो उसके अन्तर्गत जो भी अधिकारी दोषी पाये जायेंगे उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी ।

श्री रियासत हुसैन--

मेरा प्रश्न यह नहीं है । मेरा प्रश्न साफ है कि जो जिला अधिकारी उन दिनों वहां पोस्ट थे, जिलाधिकारी जो कि आर्डिनेटेड अथारिटी होता है, उसने क्या शासन को बतलाया कि यहां पर राष्ट्र विरोधी गतिविधियां होती रहती हैं ? एल0 आई0 यू0 को यह बात क्या बतलाई ? अगर इन्टेलीजेन्स को अवगत नहीं कराया तो क्या उस अधिकारी के खिलाफ, जिसने यह सारे तथ्य छिपाने के प्रयास किए, कोई कार्यवाही करेंगे ?

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, इसमें जिस अधिकारी का इन्वाल्वमेन्ट होगा, यह बात हो सकती है लेकिन अभी तो जांच ही नहीं पूरी हुई है । अभी तो जो चार्जेज हैं, जो इलजाम श्री बाबू लाल वर्मा जी ने लगाये हैं इसकी सत्यता अभी प्रमाणित नहीं हुई है । जांच की रिपोर्ट आने के बाद जो भी अधिकारी इसमें दोषी पाये जायेंगे, उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी लेकिन यह जांच पूरी होने के उपरान्त ही हो सकेगा ।

श्री ऊदल--

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि 1977-78 के बाद भी इस संस्था को विदेशों से बहुत धन मिला है और अभी तक मिलता जा रहा है जब कि श्री बाबू लाल वर्मा जी ने इसकी गतिविधियों को राष्ट्र विरोधी बताया है और इसकी गतिविधियां अब भी ज्यों की त्यों बनी हुई हैं । तो क्या सरकार 1977-78 के आंकड़ों की जांच करायेगी कि कौन-कौन संस्थाओं से उसे पैसा मिला है ?

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, अवश्य कराया जायेगा । मैंने अभी सूचना दी थी कि 77-78, 79-80 तक बाहर से विदेशों से पैसा आया है, उसके बाद कोई सूचना नहीं है ।

श्री मोहन सिंह--

इसमें चूंकि विदेशों से पैसा प्राप्त होता है और उस पर प्रतिबन्ध लगाने का काम दिल्ली सरकार के अधीन है, तो क्या माननीय मंत्री जी अपनी तरफ से केन्द्र सरकार को कोई पत्र लिखेंगे कि विदेशों से मिलने वाली सहायता बन्द हो और इसके अन्य मामलों की जांच, सी० आई० ए० के वे लोग हैं, सी० बी० आई० से की जाये ?

श्री अम्मार रिजवी--

ये सब बातें जांच के बाद ही हो सकती हैं ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

जो यह संस्था है, इसके पदाधिकारी कौन-कौन से लोग हैं, क्या कुछ राजनीतिक लोगों का संरक्षण प्राप्त है और क्या वे पदाधिकारी विदेशी हैं जो यहां रहते हैं ?

श्री अम्मार रिजवी--

जो प्रबन्ध समिति/मण्डल में लोग हैं वे श्री विचित्र नारायण शर्मा, श्री राधा कृष्ण उपाध्यक्ष हैं, श्री अक्षय कुमार करण उपाध्यक्ष हैं, प्रेम भाई, पंडित कमला पति त्रिपाठी, सतीश चन्द्र जी, रघुनाथ कोल, बज भूषण मिश्रा, किस्तम राम जी हैं । पंडित कमला पति त्रिपाठी जी के सम्बन्ध में जो सूचना मिली है, उन्होंने इससे इस्तीफा दे दिया है ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, असल मामला पकड़ में आया है, चोर अब पकड़ में आया है ।

*8—श्री मित्रसेन—

[7वें सोमवार में तारांकित प्रश्न सं0 19 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

अल्मोड़ा जिले के ग्राम बन्थरा चक चौक को ग्राम सभा जाजली में सम्मिलित किये जाने की मांग

*9—श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम बन्थरा चक चौक, डा0 जाजली, ग्राम सभा जाजली, तहसील रानीखेत, जिला अल्मोड़ा के ग्राम को शासन ने ग्राम सभा ईड़ा में मिलाया है जबकि ग्राम बन्थरा चक चौक ग्राम जाजली में था ? यदि हां, तो क्यों ? क्या शासन पुनः बन्थरा चक चौक को जाजली में ही मिलाने के प्रश्न पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

ग्राम बन्थरा चक चौक राजस्व अभिलेखों के आधार पर राजस्व ग्राम ईडा का तोक है जो कि पट्टी विचला दौरा में स्थित है अतः ग्राम बन्थरा चक चौक को गांव सभा ईडा में मिलाया नहीं गया है वरन् स्वतः सम्बद्ध है क्योंकि राजस्व ग्राम की सम्पूर्ण इकाई को जिसमें तोक एवं मजरे शामिल होते हैं, उसी राजस्व ग्राम में निहित माना जाता है ।

ग्राम बन्थरा चक चौक ग्राम जाजली में सम्मिलित नहीं था । अतः ग्राम बन्थरा चक चौक को ग्राम सभा जाजली में मिलाये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

मंत्री जी ने उत्तर दिया है, वह जो उनको रिपोर्ट मिली है, उससे दिया है । लेकिन जिसके बारे में मैंने प्रश्न किया था वह पहले जाजली में सम्मिलित था । जाजली मतदान केन्द्र भी रहा है, लेकिन बीच में जाजली से जहां आपका मतदान केन्द्र है वह 5 कि0 मी0 दूर है जबकि उनके घर पर मतदान केन्द्र है । इससे उनको मतदान में परेशानी होती है और उनके हक-हकूक भी नहीं मिल पाते हैं, तो मैं जानना चाहता हूं कि वह पहले जाजली में कैसे था और उनका मतदान केन्द्र भी जाजली था, अब कैसे हट गया ?

श्री अम्मार रिजवी—

माननीय जसवन्त सिंह जी ने जो प्रश्न किया है वह नहीं उठता है । इनकी तहसील रानीखेत है और उसके बाद 2 पट्टी पड़ी हैं । बिचला दौरा और तल्ला दौरा । राजस्व ग्राम ईडा है और चक चौक बन्थरा आता है । यह रेवेन्यू विलेज है, राजस्व ग्राम जो होते हैं उनको अलग नहीं किया जा सकता । यह जाजली, दूसरी ग्राम सभा, जिसके बारे में माननीय सदस्य ने कहा है, न तो मिला था और न ही मिलाया जाना सम्भव है ।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

मान्यवर, मेरी जानकारी को सही मान कर कि इससे पूर्व बन्थरा चक चौक ग्राम जाजली में था और ईडा में शामिल कर लिया, आज उनका मतदान केन्द्र घर

पर हैं फिर भी उन्हें 5 कि0 मी0 दूर जाना पड़ता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि जैसा पहले था जाजली में ही शामिल किया जाये, तो इसमें शासन को दिक्कत क्या है ?

श्री अध्यक्ष--

माननीय जसवन्त सिंह जी, आप बैठ जायें। इन्होंने उत्तर दे दिया है।

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, जैसे विष्ट जी स्वतंत्र हैं वैसे ही इनका गांव भी स्वतन्त्र है। जब ये किसी से सम्बद्ध हो जायेंगे तब उनका गांव भी सम्बद्ध हो जायेगा।

विकास क्षेत्र, बदलापुर, जिला जौनपुर में नलकूप निर्माण की योजना

*10--श्री जंग बहादुर--

क्या सरकार को जानकारी है कि जौनपुर जनपद के बदलापुर विकास क्षेत्र में लघु नलकूप लगाने की योजना एस0 एफ0 डी0 ए0 द्वारा विचारणीय है तथा समस्त लोगों की धनराशि जल निगम वाराणसी, के यहां जमा कर दी गई है और 25 स्थानों पर चयन फ्री आफ कास्ट कर ली गई है और सिंचाई विभाग शारदा सहायक खंड 36 से नो-आबजेक्शन प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया गया है ? यदि हां, तो बदलापुर विकास क्षेत्र में नलकूप निर्माण का कार्य प्रारम्भ न करने के क्या कारण हैं ? सरकार इसे शीघ्र प्रारम्भ करायेगी ?

श्री अम्मार रिजवी--

लघु कृषक विकास योजना जौनपुर के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश नलकूप निगम के माध्यम से 100 सामूहिक नलकूपों का एक प्रोजेक्ट स्वीकृत किया गया जिसमें बदलापुर विकास क्षेत्र के लिए 25 नलकूप प्रस्तावित थे। इन नलकूपों के लिए नलकूप निगम को 46.20 लाख रुपए का अग्रिम अनुदान दिया गया। उक्त विकास खंड में नलकूपों के लिए स्थल चयन के सम्बन्ध में हुए सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ कि नलकूप छिद्रण की गहराई 1000 फुट से अधिक है जबकि स्वीकृत प्रोजेक्ट में मात्र 400 फिट गहराई तक छिद्रण का प्राविधान है। अतएव छिद्रण की गहराई प्रोजेक्ट प्राविधान के अनुसार न होने के कारण उत्तर प्रदेश नलकूप निगम ने इस विकास खंड में अब सामूहिक नलकूप लगाना सम्भव नहीं बताया है।

श्री जंग बहादुर--

मंत्री जी के उत्तर के सम्बन्ध में जौनपुर जनपद में 100 सामूहिक नलकूपों का प्रोजेक्ट स्वीकृत किया गया। इसमें बादशाहपुर तथा गढ़वाला ब्लाक थे और यह बदलापुर के निकट ही हैं। वहां यह योजना सफल रही और बदलापुर में लोगों ने निजी पम्पिंग सेट लगा रखे हैं, जिससे काफी पानी आता है। ऐसी स्थिति में मैं मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा और आश्वासन चाहूंगा कि वे बदलापुर के लिए आदेश दे दें।

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, जब मैंने इसे देखा, माननीय सदस्य के प्रश्न को देखा, तो मैंने दुबारा वहां पर सर्वेक्षण के आदेश दे दिए हैं और इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि 400 फीट के बाद 1000 फीट तक उसी पैसे के अन्दर नलकूप लगाये जायें, ऐसे आदेश दे दिए हैं।

बस्ती जिले में खाद्यान्न योजना के लिए अनुसूचित जाति के जूनियर इंजीनियरों की नियुक्ति

*11—श्री मुहम्मद नबी खां (अनुपस्थित)—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जनपद में दिनांक 22 सितम्बर, 1980 को जूनियर इंजीनियरों का (खाद्य योजना अन्तर्गत) जो चुनाव किया गया है उसमें 6 व्यक्ति अनुसूचित जाति के चुने गए हैं जिसमें चार व्यक्ति द्वितीय श्रेणी के योग्यता रखने वाले हैं और प्रथम श्रेणी के योग्यता रखने वाले श्री बसन्त लाल (धोबी) की नियुक्ति करने से वंचित रखा गया है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी पुनः हरिजन अभ्यर्थियों के चुनाव कराने की व्यवस्था, प्रथम चुनाव को रद्द करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

जनपद बस्ती में खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत जूनियर इंजीनियरों की नियुक्ति हेतु 22 सितम्बर, 1980 को जिला सेवा योजन कार्यालय, बस्ती से प्राप्त सूची के अनुसार अभ्यर्थियों का चुनाव किया गया था। इसके अन्तर्गत शैक्षिक योग्यता एवं इंटरव्यू में प्राप्त अंकों के आधार पर 6 अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों का चयन जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला विकास अधिकारी, अधिशासी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं सहायक अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा द्वारा किया गया था जिसमें 3 अभ्यर्थी सिविल इंजीनियरिंग प्रथम श्रेणी में तथा शेष 3 अभ्यर्थी द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण किए गए थे। शैक्षिक योग्यता एवं इन्टरव्यू में प्राप्त अंकों के योग के आधार पर श्री बसंत लाल (धोबी) उत्तीर्ण नहीं हो पाये जिससे उनकी नियुक्ति नहीं की जा सकी। श्री बसन्त लाल (धोबी) का नाम जिला सेवायोजन कार्यालय से नहीं आया था।

सभी जूनियर इंजीनियरों की नियुक्तियां शासन के निर्देशानुसार जिलाधिकारी द्वारा अब समाप्त की जा चुकी हैं। वर्णित परिस्थिति में पुनः हरिजन अभ्यर्थियों का चुनाव करने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री चन्द्रपाल सिंह, सहायक लेखाकार, कृषि विभाग, बुलन्दशहर का स्थानान्तरण

*12—श्री रियासत हुसैन—

क्या कृषि मंत्री को यह ज्ञात है कि श्री चन्द्रपाल सिंह, सहायक लेखाकार, जनपद बुलन्दशहर का स्थानान्तरण हो जाने के बाद भी उसको रिलीव नहीं किया गया जबकि इस जिले में उन्हें 5 वर्ष से ज्यादा हो गये हैं और उनके विरुद्ध काफी शिकायतें भी हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

श्री रियासत हुसैन—

मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि वह एक पर्टीकुलर आदमी के रिलीव करने की बात है, तो वह सूचना किस चीज की एकत्र कर रहे हैं ?

श्री बलराम सिंह यादव--

मान्यवर, जिले से सूचना नहीं आ पाई थी डिटेल्स में । वैसे थोड़ी सी जानकारी जो अधिकारियों ने दी है, वह अपूर्ण है और उसके बारे में यही कहना है कि चूंकि उसकी पत्नी ने रिप्रेजेन्ट किया था कि वह हार्ट का मरीज है, इस वजह से मानवीय आधार पर उनको वहां पर रोक दिया गया था । डिटेल सूचना आने के बाद मैं माननीय सदस्य को अवगत करा दूंगा ।

श्री अध्यक्ष--

यह जिले से सूचना आ जानी चाहिए थी । आप कृपया एक हफ्ते के अन्दर इसकी सूचना दे दें ।

श्री बलराम सिंह यादव--

जी हां, एक हफ्ते के अन्दर दे दूंगा ।

*13--श्री शिवानन्द नौटियाल तथा श्री कुंवर सिंह नेगी--

[25वें मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 13 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

बीज भण्डार खैराबाद, जिला सीतापुर के सम्बन्ध में शिकायती-पत्र

*14--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि कृषि बीज भंडार खैराबाद, जिला सीतापुर में खाद की बिक्री में व्याप्त भ्रष्टाचार की शिकायत से सम्बन्धित प्रश्नकर्ता के शिकायती-पत्र दिनांक 18-8-1980 (कृषि मंत्री को सम्बोधित) जिसकी स्वीकारोक्ति मंत्री जी ने अपने पत्र संख्या 7595/बारह 15-80--कृषि अनु0-5, दिनांक 26 सितम्बर, 1980 द्वारा दी है, के बारे में अब तक शासन द्वारा कोई जांच कराई गई ? यदि हां, तो जांच के परिणामस्वरूप क्या तथ्य प्रकाश में आये तथा उन पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जी हां । जांच से यह तथ्य प्रकाश में आया कि उर्वरक बिक्री की धनराशि प्रभारी द्वारा समय से कोषागार में जमा नहीं की गई ।

दोषी प्रभारी को समय से धन जमा न करने के लिये कठोर चेतावनी दे दी गई है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, वैसे मंत्री जी क्या उत्तर देंगे, यह तो आप नहीं टोक सकते हैं, लेकिन प्रश्न का उत्तर तो आना जरूरी है और मैंने मंत्री जी को पत्र भी लिखा था, वह पत्र भी मेरे पास है और जो मंत्री जी ने उत्तर दिया है वह भी मेरे सामने है । मान्यवर, मैंने पत्र यह लिखा था और शायद स्मरण होगा, सदन में भी यह प्रश्न उठाया था कि जब खाद के दाम एकदम बढ़ा दिये गये, सीतापुर जिले में यह हुआ था, कि रात को सभी भंडारों में फर्जी नाम से खाद की बिक्री दिखा दी गई । मैंने आपको पत्र लिखा और पूरी लिस्ट उस के साथ थी । इन सब लोगों ने बयान दिये कि हमने कोई खाद नहीं भरी थी । अब उत्तर में यह आ रहा है कि उन्हें जो शेष पैसा था, उसको जमा न करने का दोषी पाया गया । बात साफ है कि समय से पहले जो सूची मैंने दी है, उनके नाम खाद की बिक्री दिखा दी गई । जब इन्क्वायरी हुई तो लिखा पढ़ा कर शेष पैसा जमा

करने की बात की गई । मैं यह जानना चाहता हूं कि जो पत्र मैंने लिखा था तथा जिन फर्जी नामों पर वह बिक्री दिखा दी गई, उस के सम्बन्ध में क्या तथ्य प्रकाश में आये उसके जांच के फलस्वरूप ?

श्री बलराम सिंह यादव--

हमारे पास जो सूचना आई है विभाग से वह है कि इस मामले में तिलहन विकास अधिकारी, लखनऊ को जांच के लिए भेजा था और इन्होंने वहां पर जांच की । हमारे पास यह भी सूचना है कि माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी को भी एक पत्र लिखा कर सूचित किया गया था कि वह कृपा कर जांच स्थल पर पहुंच जायं और उनके सहयोगी जिन्होंने शिकायत की है उनको भी स्थल पर लाने का कष्ट करें । जिला कृषि अधिकारी से भी जांच अधिकारी ने मौखिक रूप से यह कह दिया था कि वह माननीय गुप्त जी से सम्पर्क कर उन्हें यह सूचित कर दें कि फलां तारीख को जांच करने जा रहे हैं, वे वहां पहुंच जायं । लेकिन हमारे पास जो सूचना है उस के अनुसार न गुप्त जी पहुंच सके और न उनके व्यक्ति पहुंच सके । कुछ व्यक्ति मौके पर मौजूद थे उनके जरूर बयान लिये गये । वह डिटेल्ड रिपोर्ट है अगर माननीय गुप्त जी कहें, तो पढ़ कर सुना दूं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मंत्री जी ने जो मुझे जानकारी दी मेरे मित्र हैं, मैं नहीं कह सकता कि वह झूठ बोल रहे हैं, यह धृष्टता मैं नहीं कर सकता, लेकिन मान्यवर, मैं चुनौती इस बात की देता हूं कि अगर कहीं भी इस प्रकार की सूचना फाइल में हो तो जो सजा मंत्री जी देना चाहें मैं स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। यह बिलकुल अनर्गल झूठी बात है, मैं कल ही सीतापुर से आया । वहां पर होली के अवसर पर सभी कार्यकर्त्ता मौजूद थे । उन्होंने मुझसे कहा कि गुप्त जी आप ने सवाल किया था उस का जवाब नहीं आया । बिलकुल झूठी बात है । मुझे इसके बारे में नहीं बतलाया गया । असलियत उल्टी है । इस प्रश्न की सूचना मैंने पिछले सत्र में भी दी थी । मामला दबा रहा । इस सत्र में फिर से मैंने उसे रिपीट किया । मैं चाहता हूं माननीय मंत्री जी कि क्या मेरे पत्र को फिर से देख कर क्या किसी दूसरे वरिष्ठ अधिकारी को फिर से भेजेंगे और इसकी इनक्वायरी करायेंगे इस पहलू पर कि इन लोगों ने कहा है कि हमको किसी तरह का खाद नहीं मिला रजिस्टर कैसे भरा गया ? बुलाने की क्या जरूरत थी, दस्तखत मिलाने की बयान लेने की जरूरत थी । इस पहलू पर क्या फिर से जांच करायेंगे ?

श्री बलराम सिंह यादव--

मान्यवर, माननीय गुप्त जी का प्रश्न बहुत अच्छा है और मैं यह समझता हूं कि भ्रष्टाचार रोकने के लिए आप ने बहुत ही अच्छी सूचना दी है । जहां तक आपका प्रश्न है कि आपको सूचित नहीं किया गया, मेरे पास पत्र तो नहीं है, मेरे पास लिखित इनफारमेशन आई है वह मैं बता रहा हूं । लेकिन अगर आप संतुष्ट नहीं हैं, इस पर हमारा सहयोग करते हैं भ्रष्टाचार रोकने के सिलसिले में तो मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि किसी दूसरे उच्च अधिकारी को भेज कर इसकी निश्चित रूप से जांच करा दी जायगी ।

*15--श्री सत्यपाल सिंह--

[12वें शुक्रवार में तारांकित प्रश्न सं0 5 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

चक गंजरिया फार्म, लखनऊ के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ की मांग

*16--श्री सन्त बख्श रावत--

प्रश्नकर्ता के तारांकित प्रश्न संख्या 6 दिनांक 6-10-1980 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या पशुपालन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मांगों की शासन द्वारा स्वीकृति की सूचना कर्मचारी संघ को कब दी गयी है? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव--

कर्मचारी संघ की मांगों के सम्बन्ध में हुये समझौते के निर्णयों पर की गई कार्यवाही की सूचना कर्मचारी संघ को दिनांक 12-11-1980 को दी जा चुकी है ।

श्री सन्त बख्श रावत--

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है वह असत्य एवं निराधार है । मेरी जानकारी है कि कर्मचारी संघ को अभी तक कोई सूचना नहीं दी गई है । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यदि कोई सूचना दी गई हो तो उसका विवरण क्या है ?

श्री बलराम सिंह यादव--

मान्यवर, पत्र है--कार्यालय उप निदेशक, पशुपालन (प्रक्षेत्र) उत्तर प्रदेश, लखनऊ। संख्या 3880/उ0 नि0 क्षे0/5/स्था-ए-12 दिनांक 12 नवम्बर, 1980 श्री जाधा सिंह विष्ट प्रान्तीय मंत्री, च0 श्रे0 क0 सं0 पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ। विषय--चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी चक गंजरिया फार्म की मांगों के सम्बन्ध में। आपके पत्र संख्या 157/च0 प्र0 का0 च0 श्रे0 क0 संघ लखनऊ दिनांक 31-10-1979 जो उपरोक्त विषय में है के सन्दर्भ में आपको यह अवगत कराना है कि दिनांक 6-11-1979 को चक गंजरिया फार्म पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों द्वारा हड़ताल को समाप्त करते हुये कर्मचारियों व अधिकारियों के बीच हुये समझौते में लिये गये निर्णयों पर की गई कार्यवाही की प्रति सूचनार्थ संलग्न की जाती है ।

मान्यवर, यह उनका पत्र था । उनकी 11 मांगें थीं । यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं उन्हें भी पढ़कर सुना दूं ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय सन्त बख्श रावत जी, आपका क्या प्रश्न था ?

श्री सन्त बख्श रावत--

पिछले सत्र में माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया था इन कर्मचारियों की 13 मांगों में से 12 मांगे मान ली गई है । किन्तु मेरी जानकारी है कि अभी उनकी मांगों पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है । यदि कार्यवाही हुई है तो क्या हुई है और किस तारीख से वह लागू हुई है ? वे मांगे क्या थीं ?

श्री बलराम सिंह यादव--

मान्यवर, उनकी पहली मांग थी कि वार्षिक वेतन वृद्धियों का दिया जाना इसमें प्रक्षेत्र के सभी कर्मचारियों को देय वार्षिक वेतन वृद्धि लगा दी गई है । दूसरी थी बकाया वेतन दिये जाने की मांग--इसमें बकाया वेतन का भुगतान कर दिया गया

है । तीसरी मांग थी, सेवा निवृत्त आश्रित की नियुक्ति तथा बकाया भुगतान, इसमें जिन कर्मचारियों की मृत्यु सेवाकाल में हुई, उनके आश्रितों को शासकीय नियमों के अनुसार सेवा में ले लिया गया तथा उनके देयों का भुगतान कर दिया गया है । चौथी मांग थी कि नियुक्ति के आधार पर सेवा लेने की मांग, इसमें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से यथा सम्भव उनके नियुक्ति पद के अनुसार ही प्रक्षेत्र की परिस्थितियों को देखते हुये कार्य लिया जाता है । मान्यवर, पांचवीं मांग थी, वेतन पहली तारीख से तीन तारीख तक भुगतान की मांग—इसमें वेतन वितरण सामान्यतः सभी सरकारी कार्यालयों की तरह होता है । छठी थी दैनिक मजदूरों को हटाकर उनके स्थान पर नई नियुक्ति न किये जाने की मांग । इसमें प्रक्षेत्र की आवश्यकतानुसार ही दैनिक श्रमिकों को रखा जाता है और उन्हें श्रम विभाग की विज्ञप्ति के अनुसार ही रेस्ट तथा मजदूरी दी जाती है । सातवीं बेगार प्रथा समाप्त करने की मांग थी, इसमें ऐसी कोई प्रथा प्रक्षेत्र पर नहीं है । आठवीं तीन वर्ष से अधिक सेवा में लगे कर्मचारियों के स्थायीकरण की मांग—इसमें तीन वर्ष से अधिक सेवा में लगे पात्र 6 कर्मचारियों में से सभी को स्थायी किया जा चुका है । 9वीं—दैनिक मजदूरों को स्थायी स्थानों पर रखे जाने की मांग थी, इसमें दैनिक मजदूरों को रिक्त स्थानों पर उनके कार्य एवं व्यवहार तथा वरिष्ठता को ध्यान में रखते हुये ही किया जा रहा है । 10वीं मांग थी कि दैनिक मजदूरों को निदेशालय स्तर पर दैनिक मजदूरी दिये जाने के बारे में था, इसमें दैनिक मजदूरों को मजदूरी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अन्तर्गत सरकारी गजट संख्या 3375/5/36-1024 टी0 डी0/ 1-71, दिनांक 23-9-1975 के अनुसार ही दी जा रही है तथा इसमें कोई परिवर्तन किया जाना सम्भव नहीं है । ग्यारहवीं मांग यह थी कि फार्म मैनेजर व श्री हृदय नरायन सिंह, कनिष्ठ लिपिक का स्थानांतरण किया जाय । इसमें श्री हृदय नरायन सिंह कनिष्ठ लिपिक का स्थानांतरण कर दिया गया है । क्षेत्र प्रबन्धक, गंजरिया के स्थानांतरण का औचित्य प्रतीत नहीं हुआ ।

मान्यवर, 12वीं मांग यह थी कि माह में हटाये गये श्रमिकों को कार्य पर ले लिया जाय । यह मांग मान ली गई है । 13वीं मांग यह थी कि हड़ताली कर्मचारियों को हड़ताल के दिन के लिये उपार्जित अवकाश । आकस्मिक अवकाश, जो भी अनुमन्य हो, स्वीकृत किया जाय । यह मांग भी मान ली गई है ।

पर्यटन विकास निगम के कर्मचारियों के बोनस का भुगतान

*17—श्री पंचानन—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम के कर्मचारियों को बोनस का भुगतान कब से नहीं किया गया है ? क्या मन्त्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि यह भुगतान कब तक किया जायेगा ?

श्री अम्मार रिजवी—

उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के कर्मचारियों को वर्ष 1979-80 के बोनस का भुगतान कर दिया गया है । वर्ष 1978-79 में एलोकेबल सरप्लस न होने के कारण नियमों के अन्तर्गत बोनस दिया जाना सम्भव नहीं है । शेष वर्षों 1976-77 तथा 1977-78 के बोनस भुगतान के सम्बन्ध में निगम द्वारा नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

श्री पंचानन--

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या कारण है कि 1979-80 वर्ष के बोनस का भुगतान तो कर दिया गया है और 1976-77 और 1977-78 के वर्षों का भुगतान नहीं किया गया है, तो पहले 1979 वर्ष पड़ता है या पहले 1976 वर्ष पड़ता है ?

श्री अध्यक्ष--

यह तो आपको पता है, कौन पहले पड़ता है ? आप क्या चाहते हैं ?

श्री पंचानन--

1976-77 के सम्बन्ध में कार्यवाही कब तक पूरी हो जायेगी ?

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, जो बोनस का तरीका, है वह यह है कि पहले 5 साल तक, जो प्राफिट और लास तथा डिप्रिसियेशन आदि तमाम चीजें हैं, उनको मिलाकर, जो डिफरेंस निकलेगा, उसमें अगर प्राफिट होगा तो उसमें बोनस दिया जायेगा । इसके साथ ही यह भी प्राविधान है कि 5 साल के बाद यदि कारपोरेशन रहता है तो उसमें सरप्लस वगैरह नहीं निकाला जायेगा बल्कि फ्लैट रेट में 8·33 के हिसाब से हर एक को बोनस दिया जायेगा । 1979-80 में 5 वर्ष पूरे हो जाते हैं इसलिए किसी प्रकार का विचार करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि फ्लैट रेट में, 8·33 परसेंट बोनस दे दिया गया लेकिन पहले के जो साल हैं 1976-77, 1977-79 के उनका हिसाब-किताब निकालना है । कार्यवाही हो रही है, जैसे ही पूरी होगी, दे दिया जायेगा ।

महमूदाबाद क्षेत्र, सीतापुर में विकास प्रदर्शनी के आयोजन पर व्यय की गयी धनराशि

*18--श्री श्याम लाल बाजपेयी (अनुपस्थित)--

क्या ग्राम्य विकास एवं पंचायत राज मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सीतापुर जनपद के महमूदाबाद क्षेत्र में हुई विकास प्रदर्शनी पर कितना राजकीय धन व्यय हुआ ? उसकी उपलब्धियां क्या हुयी ? क्या शासन बाराबंकी जनपद के सूरतगंज ब्लाक में 18-1-81 को हुई विकास प्रदर्शनी के व्यय का विवरण देंगे ? क्या यह सत्य है कि विकास प्रदर्शनी की साज-सज्जा हेतु मार्ग बनाने में सैकड़ों छोटे किसानों की खड़ी फसलें कटवा दी गई, यदि हां, तो क्या सरकार किसानों को फसल का मुआवजा अदा करेगी ?

श्री अम्मार रिजवी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

प्रदेश की राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, एकीकृत ग्राम्य विकास योजना एवं अन्त्योदय योजना

*19--श्री विजय सिंह राना (अनुपस्थित)--

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि भूत पूर्व लोक दल सरकार ने ग्रामीण विकास की जो योजना लागू की थी जैसे श्रम के बदले खाद्यान्न

योजना अन्योदय योजना, एकीकृत ग्राम विकास योजना आदि क्या उसी प्रकार कार्यरत हैं ? यदि नहीं, तो इन योजनाओं के बारे में सरकार की क्या नीति है ?

श्री अम्मार रिजवी--

श्रम हेतु खाद्यान्न योजना के स्थान पर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना चलाई जा रही है । एकीकृत ग्राम्य विकास योजना का विस्तार करके 2-10-80 से प्रदेश के सभी विकास खंडों में चलाया गया है । प्रदेश के समस्त ग्रामीण अंचलों में 1 फरवरी, 1978 से आरम्भ की गई स्थानिक विकास योजना तथा इसके अन्तर्गत 2 अक्तूबर, 1978 से आरम्भ की गयी अन्त्योदय योजना पूर्ववत चल रही है ।

आजमगढ़ जिले में पंचायत सेवकों की नियुक्ति

*20--श्री दूधनाथ राजभर--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद आजमगढ़ में पंचायत सेवक पद रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए लिखित एवं साक्षात्कार परीक्षा को किन्हीं कारणोंवश गत वर्ष स्थगित कर दिया गया था और अब उसकी पूर्ति बिना किसी परीक्षा अथवा साक्षात्कार के किया जा रहा है ? यदि हां, तो उसका आधार क्या है ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी हां, बाद में जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा बिना किसी परीक्षा के पंचायत सेवकों के पदों पर तदर्थ नियुक्ति की गई थी जो बाद में निरस्त कर दी गई हैं ।

श्री दूधनाथ राजभर--

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि इस परीक्षा के लिए इम्तहान लेने और साक्षात्कार की तिथि निर्धारित की गयी थी और फिर क्यों तदर्थ नियुक्ति की गयी ?

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, पंचायत सेवकों के 43 जगहों के लिए पहले चुनाव 3 अगस्त, 1980 को होने वाले थे लेकिन काफी संख्या में लोग आ गये, परीक्षा में कुछ गड़बड़ी हुई और परीक्षा स्थगित कर दी गयी । बाद में वहां के, जो पंचायत राज अधिकारी थे, उन्होंने कुछ तदर्थ नियुक्तियां बगैर परीक्षा के कर ली । जब यह जानकारी जिलाधिकारी को मिली और उन्होंने शासन को बतायी और माननीय सदस्यों ने ध्यान आकर्षित किया तो वह सब नियुक्ति निरस्त कर दी गयी । मैं एक सूचना माननीय सदस्य को देना चाहता हूं कि 31 जनवरी, 1981 को यह पंचायतराज अधिकारी रिटायर हो चुके हैं ।

नोट--तारांकित प्रश्न संख्या 20 के उपरान्त तारांकित प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

के0 जी0 मेडिकल कालेज एवं गांधी मेमोरियल अस्पताल, लखनऊ के प्रिंसिपल तथा अधीक्षक के विरुद्ध कथित शिकायती-पत्र

**1--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चिकित्सा विभाग के पांच संगठनों (जूनियर डाक्टर्स फेडरेशन, इन्डियन मेडिकल कांग्रेस, राजकीय नर्सेस संघ, यू0 पी0 नर्सेस एण्ड मिडवाइफ वेलफेयर एसोसियेशन और मेडिकल स्टूडेन्ट फोरम) के प्रतिनिधियों ने जनवरी, 1981 में शासन से यह मांग की है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के भू0 पू0 न्यायाधीश श्री ए0 एन0 मुल्ला की अध्यक्षता में सात सदस्यों का एक कमीशन नियुक्त किया जाय जो के0 जी0 मेडिकल कालेज के प्रिंसिपल तथा गांधी मेमोरियल अस्पताल के अधीक्षक के कार्यकलापों तथा उनके द्वारा की गई अनेक अनियमितताओं तथा गड़बड़ियों की जांच करें। यदि हां, तो पूर्ण तथ्य क्या हैं और शासन ने अब तक इस पर क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

जन स्वास्थ्य राज्य मंत्री (श्री हरि सिंह)--

शासन को शिक्षा अथवा चिकित्सा विभाग में ऐसी कोई मांग प्राप्त नहीं हुई है। अतः प्रश्न पैदा नहीं होता।

श्री राम आसरे वर्मा--

क्या माननीय मंत्री जी को जानकारी है कि 5-5 संगठनों के सदस्यों ने सामूहिक रूप से जनवरी, 1980 में माननीय राज्यपाल और माननीय मुख्य मंत्री जी को तथा लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति से मिलकर मौखिक रूप से उनसे शिकायत की ? यदि हां, तो वह शिकायतें क्या हैं और कोई ज्ञापन दिया था ?

श्री हरि सिंह--

मान्यवर, इस सम्बन्ध में जो प्रश्न था उससे यह भिन्न प्रश्न है, उन्होंने पूछा है कि कोई एप्लीकेशन माननीय राज्यपाल और माननीय मुख्य मंत्री जी को मिली थी, तो इसके लिए मैं सूचना की आवश्यकता समझता हूं।

श्री राम आसरे वर्मा--

माननीय मंत्री जी मंत्रिमंडल के सदस्य हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी को पांच संगठनों के प्रतिनिधियों ने मिल कर शिकायत की और वह माननीय मंत्री के सामने रखी थी, तो क्या इस बात की जानकारी माननीय मंत्री जी को है या नहीं ?

श्री हरि सिंह--

इसकी मुझे निश्चित जानकारी है कि उनका कोई प्रतिवेदन या मांग-पत्र शासन या सरकार को नहीं प्राप्त हुआ है। यही नहीं मैं कहना चाहता हूं कि जनवरी माह में ही नहीं, बल्कि उसके आगे-पीछे भी कोई ऐसा नहीं प्राप्त हुआ है।

ग्रामीण क्षेत्रों में शादी-विवाह हेतु चीनी का परमिट

**2--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री कृपया बतायेंगे कि विवाह-शादी के लिए विशेष चीनी देने का आदेश विगत वर्षों की तरह वर्तमान समय में सरकार ने कर दिया है। यदि नहीं, तो क्यों ? तथा आदेश कब तक हो जायेगा ?

खाद्य तथा रसद मंत्री (श्री वासुदेव सिंह)--

जी हां। ग्रामीण क्षेत्रों में शादी-विवाह के लिये 25 किलोग्राम तक लेवी चीनी का विशेष परमिट दिये जाने की व्यवस्था कर दी गई है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जो ग्रामीण क्षेत्र के लिए 25 किलो चीनी की व्यवस्था की गई है, यह आदेश मात्र गांवों के लिए रहेगा या शहरों के लिए भी प्रभावी होगा ?

श्री वासुदेव सिंह--

शादी-ब्याह जहां होगा वहीं लागू होगा, वह शहर हो या गांव हो।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या मंत्री जी बताएंगे कि यह परमिट काटने का अधिकार किसको है अर्थात् यह कहां से मिलेगा ?

श्री वासुदेव सिंह--

परमिट जिलाधिकारी, एस0 डी0 एम0 और सप्लाई अफसर से होगा और यह भी सोचा जा सकता है कि यदि ब्लाक स्तर पर बी0 डी0 ओ0 यह काम कर सकें, तो उन्हें भी अधिकृत कर दिया जाए। लेकिन बी0 डी0 ओ0 का, जो एसोसियेशन है, वह अपने को इन सब कामों से अलग रखना चाहता है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

शादी का एक दौर गुजर गया है और मंत्री जी तय नहीं कर पाये हैं कि इसे कौन देगा, तो गांव का कौन आदमी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या एस0 डी0 एम0 के पास जाएगा, उसके लिए यह कितना मुश्किल होगा, तो क्या मंत्री जी स्पष्ट आश्वासन देंगे कि फलां आदमी परमिट काटेगा, जिससे गांवों के आदमी आसानी से चीनी पा सकें ?

श्री वासुदेव सिंह--

मुझे तो माननीय ओझा जी के ज्ञान पर तरस आता है, वह तो पंडित हैं और उन्हें इस बारे में इतना मालूम होना चाहिए कि आज कल शुक्रास्त है और आजकल शादी-विवाह नहीं हो रहे हैं, यह अब मई की तरफ होंगे। आधी रात से खांसी आवे, सामने से मुंह फैलाने वाली यह बात है।

(व्यवधान)

श्री रियाजत हुसैन--

यह देखते हुए कि इस वर्ष सरकार ने सल्फर-प्लांट पर भी लेवी लगाई है, क्या मंत्री जी इस बात पर विचार करेंगे कि लड़कियों की शादी पर 40 किलो और लड़कों की शादी पर 30 किलोग्राम चीनी देने के आदेश कर दिए जाएं ?

श्री वासुदेव सिंह--

यह प्रश्न उपयुक्त है और इसका पालन इसकी उपलब्धता पर निर्भर करता है।

श्री भीखालाल--

मंत्री जी ने कहा कि शुक्रास्त है, इसलिए आजकल शादी-ब्याह नहीं होते, तो क्या शादी ब्याह के परमिट देने के लिए ध्यान किसी विशेष कम्युनिटी पर है, पूरे प्रदेश के लिए नहीं ?

श्री वासुदेव सिंह--

मुझको तो कोई कम्युनिटी नहीं पूरा देश दिखाई देता है ।

श्री मित्रसेन--

देहातों में जिनके यहां शादियां होती हैं, वे बहुत कम कार्ड्स आदि छपवाते हैं, वहां तो हल्दी और सुपाड़ा ही चलती है, और अधिकारी शादी की पुष्टि के लिए कार्ड मंगवाते हैं, तो क्या मंत्री जी शादियों की अप्लीकेशन की पुष्टि के लिए कोई ऐसी व्यवस्था करायेंगे जिससे किसी को दिक्कत न हो ?

श्री वासुदेव सिंह--

प्रक्रिया सरल से सरलतम कर दी जाएगी ।

श्री नन्द किशोर सिंह--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि पिछली बार अर्थात् 2-3 महीने पूर्व जो विवाह शादियों के अवसर पर परमिट दिए गए थे वे 6 रुपये 30 पैसे प्रति किलो वाली चीनी के थे, तो क्या अगली बार जो एस0 डी0 एम0 आदि से परमिट जारी किए जायेंगे वे 3 1/2 रुपये प्रति किलो वाली चीनी के परमिट होंगे ?

श्री वासुदेव सिंह--

जी हां, वे 3 1/2 रुपय वाली चीनी के परमिट होंगे ।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

मान्यवर, पहाड़ों की स्थिति विचित्र है । चूंकि हमारे यहां पर तहसील हेड क्वार्टर भी 150-150 या 175-175 किलोमीटर्स पर होते हैं तो क्या वहां पर चीनी का परमिट देने की व्यवस्था बी0 डी0 ओ0 द्वारा करने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

आप कृपया बैठ जायें । आप बिना मेरी आज्ञा के ही प्रश्न पूछने लगे । मैं इसका उत्तर नहीं दिलाऊंगा ।

अतारांकित प्रश्न

ऊसर भूमि सुधार योजना के अन्तर्गत सिबरी, फार्म, लखनऊ के मजदूरों की मजदूरी

1--श्री भीखा लाल--

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ऊसर भूमि सुधार योजना के अधीन सिबरी फार्म, जिला लखनऊ में धान रोपाई के लिए मजदूरों को किस दर से मजदूरी

नोट--अग्रसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 2 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

दी जाती है ? क्या यह सही है कि विभिन्न चकों में मजदूरों को विभिन्न दर से मजदूरी दी गई है ? यदि हां, तो यह दरें क्या हैं और इस विभिन्नता के क्या कारण हैं ? क्या यह भी सही है कि कुछ मजदूरों को मजदूरी का भुगतान पिछले पांच महीनों से अभी तक नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों ? ऐसे मजदूरों की कितनी संख्या है और उनको कितनी मजदूरी देय है ?

श्री बलराम सिंह यादव--

ऊसर भूमि सुधार योजना के अधीन जिला लखनऊ के सिबरी प्रक्षेत्र पर धान की रोपाई के लिए रखे गए मजदूरों को शासन द्वारा निर्धारित दरों पर मजदूरी दी जाती है ।

जी नहीं ।

जी हां, 44 श्रमिकों को 1,922 रु0 की मजदूरी औपचारिकतायें पूर्ण न होने के कारण नहीं दी गई है । कुछ मजदूरों को बिना स्वीकृति प्राप्त किये रख लिया गया और स्वीकृत मापदण्ड के अनुसार कार्य नहीं लिया गया । इस सम्बन्ध में अपेक्षित कार्यवाही की जा रही है एवं निर्णय होने पर मजदूरी का भुगतान कर दिया जायेगा ।

मण्डी परिषद् के सहायक सचिवों के प्रत्यावर्तन आदेश का निरस्तीकरण

2--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि मण्डी निदेशक ने अपने आदेश दिनांक 12-8-80 द्वारा विभिन्न मण्डी समितियों में सचिव पद पर नियुक्त 14 सचिवों को उनके मूल विभाग (कृषि विपणन विभाग) को प्रत्यावर्तित कर दिया है ? यदि हां, तो दिनांक 10-9-80 तक ऐसे सचिव कौन-कौन हैं जिन्होंने अपना चार्ज नहीं छोड़ा ? क्या सरकार द्वारा इनमें से कुछ आदेशों को रद्द कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों तथा किन-किन का आदेश रद्द कर दिया गया है ?

श्री बलराम सिंह यादव--

दिनांक 12-8-80 को बारह सचिवों तथा दो सहायक सचिवों को उनके मूल विभाग को प्रत्यावर्तित किये जाने के आदेश पारित किये गये थे ।

सर्वश्री राजेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, प्रेम सिंह कुशवाहा, घासीराम झा, बदरुद्दीन अंसारी, दरबारी लाल सिंह, पीर मोहम्मद अंसारी, विद्याराम शर्मा, योगेश कुमार, रतन लाल सिंह तेवरिया, कृष्ण कुमार गौतम, रमेश चन्द्र वर्मा ने दिनांक 10-9-80 तक चार्ज नहीं छोड़ा था ।

शासन द्वारा कोई आदेश रद्द नहीं किया गया । मण्डी परिषद् ने प्रत्यावर्तित व्यक्तियों द्वारा प्रत्यावर्तन के विरुद्ध दिये गए प्रार्थना-पत्रों पर गम्भीरतापूर्वक विचार के पश्चात् प्रत्यावर्तन के सभी आदेश निरस्त कर दिए हैं ।

कस्बा स्याना, बुलन्दशहर के मत्स्य प्रक्षेत्र (नर्सरी) से मछलियों की पैदावार एवं जांच किये जाने की मांग

3--श्री छत्तर सिंह--

क्या मत्स्य पालन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कस्बा स्याना, जनपद बुलन्दशहर में तालाब में मत्स्य विभाग की नर्सरी (मीन शाला) है ? उस पर

कितना व्यय वर्ष 1979–80 में किया गया था ? कितनी संख्या में मछलियां तैयार हुई तथा कहां–कहां वितरित की गईं ? कितना लाभ अथवा कितनी हानि हुई ?

श्री अम्मार रिजवी––

कस्बा स्याना, जनपद बुलन्दशहर में विभाग का एक मत्स्य प्रक्षेत्र (नर्सरी) स्थित है । इस प्रक्षेत्र पर वर्ष 1979–80 में एक मछुआ नियुक्त रहा जिसके वेतन पर 3,600 रु0 का व्यय हुआ है । उक्त वर्ष में मछलियों का उत्पादन व वितरण नहीं हो सका क्योंकि यह मत्स्य प्रक्षेत्र वर्षा ऋतु में बाढ़ग्रस्त हो गया था और ग्रीष्म ऋतु में सूख गया था । अतः लाभ हानि का प्रश्न नहीं उठता ।

4––श्री छत्तर सिंह––

क्या मत्स्य पालन मन्त्री को ज्ञात है कि कस्बा स्याना, जनपद बुलन्दशहर के तालाब में, जो विभागीय नर्सरी (मीनशाला) है वह केवल कागज पर है, स्थान पर नहीं ? यदि नहीं, तो क्या इसकी जांच विधायकों की किसी समिति द्वारा करायेंगे ?

श्री अम्मार रिजवी––

कस्बा स्याना जनपद बुलन्दशहर में विभागीय मत्स्य प्रक्षेत्र स्थित है अतः किसी प्रकार की जांच का प्रश्न नहीं उठता ।

जिला परिषद्, अलीगढ़ के कार्य अधिकारी, श्री श्योदान सिंह पाण्डे के स्थानान्तरण की मांग एवं उनके विरुद्ध शिकायतों की जांच

5––श्री लटूरी सिंह––

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि अलीगढ़ जिला परिषद् के कार्य अधिकारी (श्री श्योदान सिंह पाण्डे) सेन्ट्रल ला ट्रांसफिरेबुल कैडर के नियम संख्या 28 के विरुद्ध दो वर्ष से अपने गृह जनपद अलीगढ़ में कार्यरत हैं और इसी जनपद में कार्य करते हुए कुल मिलाकर लगभग 30 वर्ष हो गये हैं ? यदि हां, तो इनका स्थानान्तरण न किए जाने का क्या कारण है ?

श्री अम्मार रिजवी––

श्री श्योदान सिंह पाण्डे, जिला परिषद्, अलीगढ़ में 11 जून, 1979 से कार्य अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं । इनकी नियुक्ति तदर्थ रूप से उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (केन्द्रीय संक्राम्य संवर्ग) नियमावली–1966 (यथा संशोधित) के नियम संख्या 33-क के अन्तर्गत कार्य अधिकारी के पद पर की गई है । उक्त नियमावली का नियम संख्या 28 इस सम्बन्ध में लागू नहीं होता है क्योंकि अभी इनकी नियुक्ति नियमित रूप से नहीं हुई है । श्री पाण्डे 11 जून, 1979 के पूर्व जिला परिषद् के अकेन्द्रीयित सेवा के कर्मचारी थे । अतः उनके स्थानान्तरण का प्रश्न ही नहीं था ।

6––श्री लटूरी सिंह––

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि श्री श्योदान सिंह पाण्डे, कार्याधिकारी, जिला परिषद्, अलीगढ़ के विरुद्ध कितने भ्रष्टाचार सम्बन्धी शिकायतें जिला परिषद् अलीगढ़ के अधिकारियों की जांच में इस समय हैं व कितनी जांच होकर शासन को गयी ? जांच रिपोर्ट के आधार पर उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री अम्मार रिजवी—

श्री श्योदान सिंह पान्डे कार्य अधिकारी जिला परिषद् अलीगढ़ के विरुद्ध 3 भ्रष्टाचार सम्बन्धी शिकायतें जिला परिषद् अलीगढ़ के अधिकारी की जांच में इस समय हैं। शासन के समक्ष अभी तक कोई जांच आख्या नहीं आई है। अतएव फिलहाल उनके विरुद्ध किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

7–8—श्री राम स्वरूप वर्मा—

[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर स्थगित।]

9—श्री प्रभू नारायण सिंह—

[5वें मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 59 के अन्तर्गत उत्तरित।]

मस्जिद एवं मजार बाबा तुराब शाह, राजाजी पुरम, तालकटोरा, लखनऊ की भूमि एवं भवन का अधिग्रहण के सम्बन्ध में सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड का अधियाचन

10—श्री गजेन्द्र सिंह—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आवास विकास कालोनी, तालकटोरा (राजाजीपुरम्) लखनऊ में मस्जिद तकिया एवं मजार बाबातुराव शाह तकिया और उसकी भूमि थी जिसे भवन एवं पार्क बनाने के लिए अध्याप्त कर लिया गया है ? यदि हां, तो मस्जिद एवं कब्रों की भूमि को रेवेन्यू मैनुअल के वाल्यूम 1 पैरा 411 (2) के अनुसार अलग किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां। मस्जिद एवं मजार बाबा तुराब शाह आवास विकास कालोनी, ताल कटोरा (राजा जी पुरम) और इसकी भूमि भवन एवं पार्क बनाने के लिये अध्यापित कर ली गई है। चूंकि मस्जिद तकिया एवं मजार अध्याप्ति के समय भूलेखों में अंकित नहीं थे अतः रेवन्यू मैनुअल के पैरा 411 (2) के अनुसार उक्त भूमि अध्याप्ति से अलग नहीं की गई। बहरहाल मस्जिद तकिया एवं मजार उसी रूप में विद्यमान हैं।

11—श्री गजेन्द्र सिंह—

उक्त मस्जिद एवं तकिया की भूमि को पुनः प्राप्त करने के लिए मुस्लिम वक्फ ऐक्ट, 1980 की धारा 57–ए के अन्तर्गत जो अधियाचन दिनांक 28 अप्रैल, 1980 तथा दिनांक 4 जून, 1980 जिलाधिकारी, लखनऊ को सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ने भेजा है ? यदि हां, तो उस पर जिला प्रशासन क्या विधिक कार्यवाही कर रहा है ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां। उक्त भूमि को पुनः प्राप्त करने के लिये सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड ने कलेक्टर लखनऊ को उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ ऐक्ट 1960 (न कि 1980) की धारा 57–ए के अन्तर्गत जो अधियाचन भेजे थे वे त्रुटिपूर्ण थे। अतः उन्हें बोर्ड को जिलाधिकारी द्वारा सुधार हेतु वापस कर दिया गया।

प्रदेश की फसल बीमा योजना

12--श्री नन्द किशोर सिंह--

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार फसल बीमा योजना कब से लागू करने जा रही है ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव--

फसल बीमा योजना वित्तीय वर्ष 1981-82 में प्रदेश में लागू करने का निर्णय सिद्धान्तः ले लिया गया है ।

योजना की विस्तृत रूप-रेखा के विचाराधीन है ।

गाजीपुर जिले के लघु कृषकों एवं लघु सीमान्त कृषकों की संख्या

13--श्री राम नरायन--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वर्ष 1980 में गाजीपुर जनपद में सभी विकास खण्डों में लघु कृषकों एवं लघु सीमान्त कृषकों की कितनी संख्या जिला प्रशासन द्वारा तैयार की गयी थी और कितने कृषकों को खाद का वितरण कितने-कितने मात्रा में किया गया है ?

श्री अम्मार रिजवी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा में जूनियर नोटर ड्राफ्टर एवं नोटर ड्राफ्टर की चयन समिति में अनुसूचित जाति के सदस्य

14--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा के मुख्यालय पर जूनियर नोटर ड्राफ्टर/नोटर ड्राफ्टर के पद पर पदोन्नति हेतु गठित चयन समिति में राष्ट्रीय एकीकरण के शासनादेश संख्या 15/25/73 रा० एकी०, दिनांक 19 मई, 1976 का अनुपालन करते हुए किसी अनुसूचित जाति/जन जाति के अधिकारी को समायोजित किया गया है, यदि हां, तो वह अधिकारी कौन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी, हां ।

श्री कालू राम, अविशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा प्रखन्ड शाहजहांपुर जो अनुसूचित जाति के हैं, को ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा के मुख्यालय पर जूनियर नोटर ड्राफ्टर व नोटर ड्राफ्टर के पद पर पदोन्नति हेतु गठित चयन समिति में सम्मिलित किया गया है ।

बुन्देल खंड के झांसी एवं देवगढ़ में पर्यटन आवास गृह का निर्माण

15--श्री चन्द्र प्रकाश शर्मा--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या बुन्देलखंड में पर्यटन को बढ़ाने के लिए कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

श्री अम्मार रिजवी--

बुन्देलखन्ड क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विभाग की छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) में निम्नांकित योजनायें प्रस्तावित हैं :

(1) झांसी में 50 शैयायुक्त पर्यटक आवास-गृह का निर्माण।

(2) देवगढ़ (ललितपुर) में 20 शैयायुक्त पर्यटक आवासगृह का निर्माण।

16--श्री चन्द्र प्रकाश शर्मा--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र में देशी तथा विदेशी पर्यटकों के लिए मूल सुविधाओं के बारे में कोई अध्ययन किया गया है और बुन्देलखंड की पर्यटन क्षमता का विकास करने हेतु क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी हां।

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में पर्यटन क्षमता के विकास हेतु विभाग की छठी पंचवर्षीय योजना काल में झांसी तथा देवगढ़ (ललितपुर) में एक-एक पर्यटक आवासगृह के निर्माण की योजना है।

खण्ड विकास अधिकारी, कप्तानगंज, जिला देवरिया के विरुद्ध चावल की चोरी की जांच

17--श्री मित्रसेन--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि विकास खण्ड, कप्तानगंज, जिला देवरिया के अधिकारी द्वारा 16-12-80 को दो ट्रक चावल की चोरी का मामला प्रकाश में आया है ? क्या अतिरिक्त जिलाधिकारी श्री विनोद कुमार श्रीवास्तव जनपद देवरिया द्वारा इसकी जांच की जा रही है ? यदि हां, तो उक्त मामले में अब तक क्या कार्यवाही हुई है और कार्यवाही में विलम्ब होने का क्या कारण है ?

श्री अम्मार रिजवी--

दिनांक 16-12-80 नहीं अपितु दिनांक 17 नवम्बर, 1980 को श्री नरेन्द्र सिन्हा की ओर से एक शिकायती तार अतिरिक्त जिलाधिकारी (परियोजना) देवरिया को इस आशय का प्राप्त हुआ था कि खण्ड विकास अधिकारी कप्तानगंज ने 4 ट्रक चावल भारतीय खाद्य निगम देवरिया से निकाला जिसमें से एक ट्रक बाहर ही बाहर बेच दिया।

यह सही है कि इसकी जांच अतिरिक्त जिलाधिकारी (परियोजना) देवरिया द्वारा की जा रही है। जांच का कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है जिसे शीघ्र पूरा करने के निर्देश दे दिया गया है।

पशु चिकित्सकों के स्थायीकरण की मांग

18--श्री पंचानन--

क्या पशुपालन मंत्री कृपया बतायेंगे कि पशु चिकित्सकों के पदों पर 1964 तथा 65 में नियुक्त व्यक्तियों का स्थायीकरण अभी तक (9-1-81) नहीं

[श्री पंचानन—]

किया गया है ? यदि हां, तो स्थायीकरण न किए जाने का क्या कारण है और इन व्यक्तियों के स्थायीकरण की कार्यवाही कब तक पूर्ण कर ली जायेगी ?

श्री बलराम सिंह यादव—

पशु चिकित्सकों के पदों पर वर्ष 1964 तथा 1965 में नियुक्त किए गये व्यक्तियों में से दिनांक 9-1-1981 तक 46 व्यक्तियों का स्थायीकरण किया जा चुका है। शेष व्यक्तियों के बारे में चरित्र प्रविष्टियां पूरी करने, विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण होने तथा स्वास्थ्य परीक्षा प्रमाण-पत्र प्राप्त करने आदि औपचारिकताएं पूरी करने की कार्यवाही शीघ्रता से पूरी कराने का प्रयास किया जा रहा है।

श्री बाबू, ग्राम कासौटी, जिला आगरा का मेसर्स अग्रवाल ब्रदर्स के विरुद्ध शिकायती-पत्र

19—श्री बदन सिंह—

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री बाबू, पुत्र रामपति, निवासी कासौटी, पो० अछनेर, जिला आगरा द्वारा मेसर्स, अग्रवाल ब्रदर्स, आगरा डीलर, जीटर ट्रैक्टर्स के विरुद्ध, दिनांक 11-12-80 को भेजा हुआ कोई शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो सम्बन्धित किसान को ट्रैक्टर दिलाने में सरकार ने अब तक क्या मदद की है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी हां।

इस संबंध में, इस केस की जांच उपकृषि निदेशक, आगरा मंडल, आगर द्वारा कराई जा रही है।

प्रदेश के उर्वरक कारखानों का उत्पादन

20—श्री गोपीनाथ वर्मा—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में उर्वरक कारखानों की संख्या क्या है तथा प्रति वर्ष उर्वरक उत्पादन की मात्रा क्या है ? क्या किसानों को सही मूल्य पर उर्वरक वितरण कराया जा रहा है ? क्या यूरिया की कमी है ? यदि हां, तो उसका क्या कारण है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

प्रदेश में 6(ख) उर्वरक कारखाने हैं। इनमें वर्ष 1979-80 में निम्न प्रकार उत्पादन हुआ :—

उर्वरक कारखाना	उर्वरक का नाम	उत्पादित मात्रा हजार टनों में
1—एफ० सी० आई० गोरखपुर	यूरिया	111.0
2—आई० ई० एल० कानपुर	,,	334.0
3—इफको फूलपुर	यूरिया उत्पादन शुरु नहीं हुआ।	

उर्वरक कारखाना	उर्वरक का नाम	उत्पादन मात्रा हजार टनों में 69
4--हरीफर्टिलाइजर, वाराणसी	अमोनियम क्लोराइड	2.3
5--गिररम फर्टिलाइजर ऐन्ड केमिकल, शिकोहाबाद	सुपरफास्फेट	2.8
6--रैलिस इंडिया, उन्नाव	"	50.1

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

21--श्री अकबाल हुसैन--

[8 वें बुधवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 3 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

श्री गोविन्द सिंह राणा, ग्राम डिडोली, जिला चमोली के पम्पिंग सेट का तकावी ऋण

22--श्री कुंवर सिंह नेगी--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री गोविन्द सिंह राणा, निवासी ग्राम डिडौली, पो0 आ0 मेठाणा, जिला चमोली को जो उनके बाढ़ में बह गए पम्पिंग सेट का ऋण आदेश सं0 664/38-4, दिनांक 11-11-76 द्वारा माफी किया गया था क्या वह धनराशि उनको लौटा दी गई है जो उन्होंने जमा की थी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी--

श्री गोविन्द सिंह राणा निवासी ग्राम, डिडौली, पो0 ओ0 मेठाणा, जिला चमोली वं कतिपय अन्य कृषकों द्वारा पम्पिंग सेट क्रय करने हेतु लिये गये तकावी ऋण के अवशेष की वसूली मय ब्याज के माफ करने का निर्णय शासनादेश संख्या 664/38-4, दिनांक 11-11-77 द्वारा लिया गया था ।

औपचारिक आदेश निर्गत करने की कार्यवाही की जा रही थी तथा पत्रावली शासन के वित्त विभाग को भेजी गई थी । खेद है कि पत्रावली काफी खोज करने के बावजूद वित्त विभाग में उपलब्ध नहीं हो पायी जिसके कारण माफ की गई धनराशि सम्बद्ध कृषक को नहीं लौटाई जा सकी है । अब विकल्प में सम्बन्धित कागजात की प्रतिलिपि तथा अन्य वांछित विवरण प्राप्त करने हेतु अतिरिक्त जिलाधिकारी (विकास) चमोली को लिखा गया है जिसके प्राप्त होते ही यथाशीघ्र मामले के निस्तारण की कार्यवाही की जायेगी ।

फीडर बेलेंरिंग डेरी, मेरठ में सहायक प्रबन्धक की नियुक्ति एवं कर्मचारी

23—श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फीडर बेलेंरिंग डेरी, मेरठ में पिछले 6 माहों में तीन असिस्टेंट मैनेजरों की नियुक्ति हुई है ? यदि हां, तो वह चयन किन नियमों के अधीन की गयी है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी हां ।

सहायक प्रबन्धक (विपणन) के पद पर नियुक्ति शासन द्वारा गठित चयन समिति की संस्तुति पर की गई ।

सहायक प्रबन्धक (उत्पादन) के पद पर एफ० बी० डी०, मेरठ में दिनांक 6-6-80 से ट्रेन्ड डेरी टेक्नोलोजिस्ट के रूप में कार्यरत कर्मचारी को तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया ।

सहायक प्रबन्धक (प्रशासन) के पद पर संस्था में दिनांक 9-9-1978 से अपरेन्टिस असिस्टेंट मैनेजर (प्रशासन) के रूप में कार्यरत कर्मचारी की तदर्थ आधार पर नियुक्ति की गई ।

24—श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फीडर बेलेंरिंग डेरी, मेरठ में कितने कर्मचारी तदर्थ रूप से एवं कितने डेली वेजेज पर कार्य कर रहे हैं ? और उन्हें अभी तक नियमित क्यों नहीं किया गया है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

प्रादेशिक कोआपरेटिव डेरी फेडरेशन की फीडर बेलेंरिंग डेरी में दिनांक 22 फरवरी, 1981 की स्थिति के अनुसार 125 कर्मचारी तदर्थ रूप से कार्य कर रहे हैं जिसमें से 101 कर्मचारी वेतनमान में, 8 कर्मचारी कन्सालीडेटेड वेतन पर तथा 16 कर्मचारी दैनिक वेतन पर कार्यरत हैं । तदर्थ आधार पर कार्यरत कर्मचारियों के नियमितीकरण का मामला शासन के विचाराधीन है ।

प्रदेश के हेलीकाप्टर के पेट्रोल पर व्यय की गयी धनराशि

25—श्री माता प्रसाद पाण्डेय, श्री दिवाकर विक्रम सिंह तथा श्री मोहन सिंह—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि माह जून, 1980 से 31 दिसम्बर, 1980 के बीच राज्य सरकार के हेलीकाप्टर पर कितने रुपए का पेट्रोल खर्च हुआ तथा मुख्य मंत्री के अतिरिक्त इस हेलीकाप्टर का किन-किन मंत्रियों ने उपयोग किया ?

श्री अम्मार रिजवी—

जून 1, 1980 से दिसम्बर 31, 1980 तक राज्य सरकार के हेलीकाप्टर पर 1,62,803 रु० (एक लाख बासठ हजार आठ सौ तीन रुपया) का पेट्रोल व्यय हुआ ।

उक्त अवधि में मुख्य मंत्री के अतिरिक्त इस हैलीकाप्टर का प्रयोग निम्न मंत्रियों द्वारा भी किया गया :

1--श्री केदार पाण्डे, केन्द्रीय सिंचाई मंत्री ।

2- श्री ज्ञानी जैल सिंह, केन्द्रीय गृह मंत्री ।

3--श्री कमलापति त्रिपाठी, भुतपूर्व केन्द्रीय रेल मंत्री ।

4--श्री ब्रह्मदत्त, वित्त नियोजन एवं विद्युत मंत्री, उ0 प्र0 ।

5--श्री वीर बहादुर सिंह, सिंचाई मंत्री, उ0 प्र0 ।

6--श्री अम्मार रिजवी, ग्राम्य विकास, पंचायती राज व नागरिक उड्डयन मंत्री, उ0 प्र0 ।

7--श्री बलराम सिंह यादव, कृषि मंत्री, उ0 प्र0 ।

8--श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी, राज्य मंत्री, पर्वतीय विकास, उ0 प्र0 ।

मुख्य मंत्री की लखनऊ से दिल्ली हवाई यात्रा

26--श्री मोती लाल देहलवी--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मुख्य मंत्री ने मुख्य मन्त्री पद की शपथ ग्रहण करने के पश्चात् से 17 जनवरी, 1981 तक लखनऊ से दिल्ली तक कुल कितनी बार हवाई यात्रा की और इस यात्रा में कुल कितना धन खर्च हुआ ?

श्री अम्मार रिजवी--

मुख्य मंत्री ने मुख्य मंत्री पद की शपथ ग्रहण करने के बाद से 17 जनवरी, 1981 तक लखनऊ से दिल्ली तक 32 बार हवाई यात्रा की और इस यात्रा में कुल 54 967.40 रु0 खर्च हुआ ।

किसानों की बोरिंग पर लगाया गया कथित कर

27--श्री विजय सिंह राना--

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि खेती की सिंचाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले किसानों के बोरिंग पर कोई कर लगाया गया है ? क्या सरकार इस कर को समाप्त करने की घोषणा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव--

सिंचाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले किसानों की बोरिंग पर सरकार द्वारा कोई कर नहीं लगाया गया है, इसलिए उसे समाप्त करने का प्रश्न नहीं उठता है ।

ब्लाक ककवन, जिला कानपुर के अन्तर्गत उर्वरक पर दी गई छूट

28--श्री मोती लाल देहलवी--

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ब्लाक ककवन, जनपद कानपुर में जुलाई से जनवरी, 81 तक छूट की कितनी-कितनी खाद यूरिया व डी0 ए0 पी0 तथा पाईराइट दी गई तथा किसानों को किस हिसाब से उपरोक्त तीनों किस्म की खादें वितरित करने का निदेश सरकार की ओर से दिया गया था ?

श्री बलराम सिंह यादव--

ब्लाक ककवन, जनपद कानपुर में जुलाई, 1980 से जनवरी, 1981 तक छूट की 324.540 टन यूरिया 97.704 टन डी0 ए0 पी0 तथा 43.750 टन पाईराइट दी गई ।

किसानों को निम्न विवरण के अनुसार खाद छूट पर दी जाने का प्राविधान किया गया--

1--खरीफ 1979 में सूखे से प्रभावित लघु, सीमांत एवं जनजाति के कृषकों को सभी प्रकार के उर्वरकों के क्रय पर क्रमशः 25%, 33⅓% तथा 50% अनुदान,

2--खरीफ 80 में बाढ़ से प्रभावित लघु एवं सीमांत कृषकों को सभी प्रकार के उर्वरकों के क्रय पर क्रमशः 25 प्रतिशत तथा 33⅓ प्रतिशत अनुदान,

3--लघु एवं सीमांत कृषकों के अतिरिक्त अन्य कृषकों को केवल फास्फेटिक एवं पोटैशिक उर्वरकों के क्रय पर 1'0 प्रतिशत का अनुदान,

4--पाईराइट के क्रय पर 3 हेक्टर तक के कृषकों को 75 प्रतिशत एवं 3 हेक्टर से अधिक जोत वाले कृषकों को 50 प्रतिशत का अनुदान ।

सीतापुर जिले के चांदपुर मीरानगर-मेड़िका घाट सड़क का निर्माण

29--श्री सन्त बख्श रावत--

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1979 में चान्दपुर में मीरानगर वाया मेड़िका घाट, ब्लाक रामपुर, मथुरा जनपद में खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत सड़क निर्माण हुआ था ? यदि हां, तो इस सड़क पर कितना कार्य पूरा हुआ तथा कितना खाद्यान्न वितरित किया गया ?

श्री अम्मार रिजवी--

वर्ष 1979 में सीतापुर जनपद में चांदपुर से मीरानगर वाया मेड़िका घाट सड़क का निर्माण कार्य स्वीकृत नहीं था अपितु खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत चांदपुर से मेड़िका घाट 4 कि0 मी0 तथा मीरानगर से मेड़िका घाट 4 कि0 मी0 लम्बे सम्पर्क मार्गों का निर्माण कार्य स्वीकृत था जिस पर क्रमशः 2.860 कि0 मी0 तथा 3-525 कि0 मी0 तक कार्य किया जा चुका है ।

उपरोक्त दोनों सड़कों पर कुल 320.53 कुन्तल गेहूं तथा 39.23 कुन्तल चावल का वितरण मजदूरी के रूप में किया गया है ।

दीनदयाल शोध संस्थान, गोंडा की सिंचाई व्यवस्था

30--श्री अकबाल हुसेन--

क्या यह सही है कि गोंडा जनपद के आठ सौ राजस्व गांवों को नानाजी देशमुख द्वारा संचालित दीनदयाल शोध संस्थान द्वारा पूर्णतयः सिंचित कराया गया है ? यदि ऐसा नहीं है तो क्या सरकार इस संस्थान द्वारा किये जा रहे भ्रामक प्रचार के खिलाफ कार्यवाही करने पर विचार करेगी ?

श्री अम्मार रिजवी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

गोंडा जिले के परसपुर-पसका सड़क का निर्माण

31--श्री उमेश्वर प्रताप सिंह--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोंडा जिले में परसपुर-पसका मार्ग, जो विगत 5 वर्षों से निर्माणाधीन है, पर कितना धन व्यय हो चुका है तथा इसके कब तक पूर्ण होने की आशा है ?

श्री अम्मार रिजवी--

गोंडा जनपद के परसपुर-पसका मार्ग के निर्माण का कार्य ग्रामीण जनशक्ति योजना के अन्तर्गत वर्ष 1966-67 में लिया गया था तथा वर्ष 1974-75 तक उस पर 6·32 लाख रुपया व्यय किया गया । सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा उक्त मार्ग का निर्माण 1980-81 की नई मांगों के प्रस्तावों में सम्मिलित करने हेतु विचार किया जा रहा है ।

पन्तनगर में गोली कांड से मृतकों के आश्रितों का मुआवजा

32--श्री मित्रसेन--

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि अप्रैल, 1978 में पन्तनगर में हुए गोली कान्ड से घायल और मृतकों को मुआवजे की धनराशि कितनी है और अभी तक भुगतान न किए जाने का क्या कारण है ?

श्री बलराम सिंह यादव--

अप्रैल 1978 में पन्तनगर में हुए गोलीकांड से घायल एवं मृतकों को मुआवजे की धनराशि 1,05,500.00 रु० (एक लाख पांच हजार पांच सौ रुपए मात्र) वितरित की गयी है । दो घायल व्यक्ति मुआवजा प्राप्त करने हेतु न तो स्वयं उपस्थित हुये और न ही कोई प्रार्थना-पत्र दिया । एक मृतक व्यक्ति के आश्रितों का पता नहीं चल पाया एवं चार मृतकों की पुलिस द्वारा भरसक प्रयास करने पर भी शिनाख्त नहीं हो पायी । इसके कारण उनको मुआवजे का भुगतान नहीं किया जा सका ।

[समय 12 बजकर 6 मिनट]

भूतपूर्व सदस्य, श्री सतीश चन्द्र शर्मा के निधन पर शोकोद्गार

*मुख्य मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह)--

माननीय अध्यक्ष जी, श्री सतीश चन्द्र शर्मा जी का अपहरण 17/18 नवम्बर की रात को हुआ था, 13 मार्च को उनकी लाश नगला ग्राम में मिली । जिस्म को तो दफनाया जा सकता है, लेकिन जुर्म को नहीं । माननीय शर्मा जी का कंकाल उनके ऊपर हुए अत्याचार की शहादत लिए हुये आया । शहादत भी लाया और हमारे सामने एक प्रश्न चिन्ह भी । श्री शर्मा जी अपने जीवनकाल में हर अन्याय से लड़ते रहे, कभी डरे नहीं और हमेशा सच का पक्ष अपनाये रहे । आज मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि किसी की भी हैसियत चाहे जैसी, राजनैतिक अथवा

[श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--]

अन्य हो, हथकड़ी को नहीं रोक पायेगी। माननीय शर्मा जी हमारे बीच से नहीं गये, हमारे बीच से छीन लिये गये और छीनने वाले हाथ कितना भी छिपाना चाहें, ये छिप नहीं सकेंगे, मैं यह आश्वासन देना चाहता हूं। वे इस सम्मानित सदन के सदस्य रहे हैं। शुरू से ही जनसंघ दल के सदस्य रहे हैं और उनके निधन से एक बहुत बड़ा समाज सेवी हमारे बीच से उठ गया। मैं अपनी श्रद्धांजलि दिवंगत आत्मा के प्रति अर्पित करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि आप हमारी संवेदना का सन्देश उनके शोक सन्तप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

*श्री मोती लाल देहलवी--

अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता सदन ने स्वर्गीय श्री सतीश चन्द्र शर्मा जी के असामयिक निधन पर जो शोकोद्गार व्यक्त किए हैं, उनसे मैं अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं। मान्यवर, यह अफसोस इतना न होता यदि उनकी मृत्यु किसी बीमारी आदि के कारण हुई होती। लेकिन उनकी जघन्य हत्या जिस प्रकार से एक स्वार्थवश की गयी है, उससे हम सबको बहुत ही दुख है और इससे हम सभी को बहुत आघात पहुंचा है। मेरी जानकारी के अनुसार जिस समय श्री शर्मा की हत्या की जाने वाली थी, उस समय उनके सामने एक निजी स्वार्थ का प्रस्ताव आया जिसको उन्होंने अनुचित और गलत होने के कारण स्वीकार करने के बजाय मृत्यु को आलिंगन करना अधिक पसन्द किया। उस अनुचित प्रस्ताव के आगे उन्होंने अपना सर नहीं झुकाया और मौत को पसन्द किया। मान्यवर, जिस तरह से सरदार भगत सिंह ने आजादी की लड़ाई के लिए, कभी भी जुल्म के आगे सर नहीं झुकाया, नतमस्तक नहीं हुये और फांसी की सजा को पाया, उसी तरह से स्वर्गीय श्री शर्मा जी भी अपने सिद्धान्तों के आगे अडिग रहे, मौत का आलिंगन करना पसन्द किया, पर अनुचित प्रस्ताव के सामने झुके नहीं। इन शब्दों के साथ मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप मेरी तथा मेरे दल की शोक श्रद्धांजलि उनके संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

*श्री राम हर्ष राय--

मान्यवर, स्वर्गीय श्री सतीश चन्द्र शर्मा जी के निधन पर जो विचार माननीय नेता सदन, माननीय उपनेता, लोकदल ने अभी व्यक्त किए हैं, उनसे मैं अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं। माननीय शर्मा जी जितने निडर राजनैतिक कार्यकर्ता थे, वह हम सभी को ज्ञात है और हम लोगों के लिए तो वे एक आदर्श स्वरूप थे। लेकिन जिन परिस्थितियों में और जिस तरह से उनकी हत्या की गयी है, उससे हम सभी लोगों को बड़ा आघात पहुंचा है। शर्मा जी के प्रति वास्तव में सच्ची श्रद्धांजलि तो तभी होगी जब हमको इस सदन द्वारा यह आश्वासन मिले कि इससे सम्बन्धित अपराधियों को, चाहे वे किसी भी वर्ग के हों, बेनकाब किया जायगा और उनको दन्डित किया जायगा। मैं आपके माध्यम से यह चाहता हूं कि आप हमारी संवेदना उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

*राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, स्वर्गीय श्री सतीश चन्द्र शर्मा जी के निधन के सम्बन्ध में जो विचार हमारे माननीय नेता सदन, तथा अन्य माननीय नेताओं ने व्यक्त किए हैं,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उनसे मैं अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं। माननीय सतीश चन्द्र जी से मेरा बड़ा ही निकट का सम्बन्ध रहा है और वे जनसंघ के निष्ठावान कार्यकर्ता रहे हैं। वे विधान सभा के सदस्य के रूप में भी यहां चुनकर आए और सदा ही आजीवन शोषण के खिलाफ संघर्ष करते रहे। वे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कानून के छात्र रहे और एल0 एल-बी0 करने के बाद अपने प्रतिष्ठित परिवार के साथ कृषि कार्य करने लगे। जिस क्षेत्र के वे रहने वाले थे, वह डाकुओं के आतंक से पीड़ित क्षेत्र था। राजनैतिक नेताओं से संरक्षण प्राप्त क्षेत्र था। ये शब्द मुझे नहीं कहने चाहिए, लेकिन मेरे दिल से निकल रहे हैं। जिन्दगी भर वह संघर्ष करते रहे। मैं इस घटना की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। लटूरी सिंह एक बड़े भारी कत्ल में फंसे हुए थे। जितने गवाह थे सब ने शपथ-पत्र दाखिल कर दिया था कि श्री लटूरी सिंह का उससे कोई सम्बन्ध नहीं था। केवल सतीश चन्द्र शर्मा ही एक आदमी थे जिन्होंने शपथ-पत्र दाखिल नहीं किया था। कई वर्षों से मुकदमा विचाराधीन था। एक दिन महाबीर सिंह तथा लटूरी सिंह द्वारा उनका अपहरण करवाया गया। सरकार द्वारा शंडो भी उनके साथ था। मैंने विधान सभा में वह घटना बतलाई थी। फतेहगढ़ के कुछ लोगों ने डाकुओं के गिरोह के साथ एक आदमी को घसीटते हुये देखा। उनकी आंख पर पट्टी बंधी हुई थी। उनको पहचाना गया कि वह सतीश चन्द्र शर्मा हैं। मैंने सदन को यह जानकारी दी। काश सरकार उस दिन जागरूक हुई होती और पता चला होता तो यह दिन आज न आता। उनसे कहा गया कि दस्तखत कर दो। लेकिन जब नहीं किए तो अगोछा से उनकी गर्दन दबा दी गयी और उनकी हत्या कर दी गयी। मुख्य मंत्री ने कहा कि हथकड़ियों से ऐसा व्यक्ति बच नहीं सकेगा। मुझे यह सुनकर खुशी हुई तथा सन्तोष हुआ, लेकिन साहित्यिक तथा अलंकारिक भाषा वह बोलते ही रहते हैं। प्रश्न कई उजागर हो गए हैं। लटूरी सिंह के एक नहीं, कई छिपे हुए मामले सामने आ गये हैं। किन्तु लटूरी सिंह पकड़े नहीं गए और प्रातःकाल तक की मेरी जानकारी यह है कि 82-83 की कार्यवाही भी उनके खिलाफ नहीं हुई।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

हो गयी है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

धन्यवाद। मान्यवर, यह चीज इस प्रदेश में शान्ति व्यवस्था के लिए कलंक है। जो राजनीतिक क्षेत्र में आदर्शों तथा सिद्धान्तों के लिए काम करते हैं, उनके लिए काम करना कठिन होता जा रहा है। इन शब्दों के साथ में उस महा-मानव के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिसका यह आदर्श था कि किसी भी क्षेत्र में काम करते हुए अत्याचार के आगे वह सर नहीं झुकायेगा, उसके लिए चाहे कितनी बड़ी से बड़ी कुर्बानी क्यों न देनी पड़े? छोटे-छोटे उनके बच्चे हैं लेकिन उनके बीच से वह चले गये। मैं उनके प्रति अपने दल और अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और यह अपेक्षा करता हूं कि हमारी भावनायें उनके परिवार तक पहुंचा दी जायं और जैसा कि मुख्य मंत्री जी ने वचन दिया है, मुझे आशा है कि उसको कार्यान्वित किया जायगा। कुछ जानकारी मुझे भी है जो मैं उनको दूंगा हालांकि इस समय में उसका लाभ नहीं उठाऊंगा। लेकिन जो वायदा उन्होंने किया है वह शीघ्र पूरा होना चाहिये। इन शब्दों के साथ में पुनः अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

*श्री भीखा लाल--

माननीय नेता सदन तथा अन्य विरोधी दल के नेताओं ने जो उद्गार स्वर्गीय श्री सतीश चन्द्र शर्मा के प्रति प्रकट किए हैं, उससे मैं अपने तथा अपने दल को सम्बद्ध करता हूं। मौत सब की आती है लेकिन जो अस्वाभाविक तौर पर श्री सतीश चन्द्र शर्मा की मौत हुई, वह बहुत अफसोसनाक चीज है। केवल अफसोसनाक ही नहीं, हम सभी लोगों के लिए जो यहां बैठे हैं, शासन के पक्ष के लोगों की ज्यादा, हम लोगों की भी कम नहीं, सबके लिए बड़ी चिन्ता और शर्म की बात होनी चाहिए, हम लोगों का प्रयास होना चाहिए, निश्चित रूप में होना चाहिए कि जो माननीय नेता सदन ने आज विश्वास दिलाया है कि वह किसी प्रकार का भी अपराधी हो, उससे निपटने में शासन पीछे नहीं रहेगा, इसको अमल में लाकर दिखाया जाय, ताकि हमारे प्रदेश की जो हालत इस समय शासन व्यवस्था की बिगड़ रही है और हत्यायें जो इतनी सीमा तक पहुंच गई हैं, इसको रोका जाय। इन शब्दों के साथ मैं दिवंगत आत्मा के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और यह निवेदन करता हूं कि यह संवेदना उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

*श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, स्वर्गीय सतीश चन्द्र शर्मा के सम्बन्ध में जो नेता सदन, उप नेता लोक दल तथा अन्य दलों के नेताओं ने अपने विचार प्रकट किये हैं, मैं अपने को और अपने दल को उससे सम्बद्ध करता हूं। श्रीमन्, कई बार इस माननीय सदन के अन्दर इसी तरह की घटनाओं से सम्बन्धित शोक प्रस्ताव पारित हुए हैं। आज मैं फिर यह महसूस करता हूं कि नेता सदन के लिए, मुख्य मंत्री जी के लिए श्री स्वर्गीय सतीश चन्द्र शर्मा जी का निधन जिस तरीके से हुआ है, वह एक बहुत बड़ी चेतावनी है और साथ ही साथ में यह भी महसूस करता हूं कि इस तरीके की घटना जो डाकुओं के द्वारा राजनीतिक लोगों के संरक्षण में इस तरीके की, की जाय और माननीय नेता सदन की जिम्मेदारी और भी हो जाती है। आज के समाचार-पत्र में ऐसे समाचार छपे हैं जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि राजनैतिक लोग भी इस तरह की घटनाओं में शामिल हैं। तो वे जो राजनैतिक नेतागण जो असामाजिक लोग हैं, ये सब मिलकर जो इस प्रदेश पर असर डाल रहे हैं और जिससे ला-एण्ड-आर्डर की हालत जो इस प्रदेश की दिन-ब-दिन धूमिल होती चली जा रही है, यह माननीय मुख्य मंत्री जी के लिए चेतावनी है और इन सब चीजों को देखते हुए मैं आशा करता हूं कि स्वर्गीय शर्मा जी का निधन जो हुआ है, इस पर मजबूती के साथ कदम उठाकर एक मिसाल कायम करेंगे ताकि इस प्रकार की घटनाएं फिर न हो सकें। यही बात कह कर मैं अपनी तरफ से तथा अपने दल की तरफ से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि उनके दुःखी परिवार को मेरी शोक संवेदना पहुंचाने की कृपा करें।

*श्री प्रदीप कुमार यादव--

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो माननीय नेता सदन, उप नेता लोक दल तथा अन्य दल के नेताओं ने स्वर्गीय सतीश चन्द्र शर्मा जी के प्रति जो शोक संवेदना प्रकट की हैं, मैं अपने को और अपने दल को उससे सम्बद्ध करता हूं। मान्यवर, माननीय शर्मा जी इस माननीय सदन के सदस्य रहे, लेकिन जिस प्रकार से एक दुःखद तरीके से उनकी मृत्यु हुई है, उसके बारे में हम सभी सदन के माननीय सदस्यों को गहरी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चिन्ता होनी चाहिये और माननीय नेता सदन से मेरा निवेदन है कि इस सम्बन्ध में एक कोई निश्चित रूप-रेखा जो है, सुनिश्चित करें ताकि भविष्य में जो राजनैतिक घटनाएं हमारे बीच में हो रही हैं, वह न हों। मान्यवर, इन शब्दों के साथ में दिवंगत आत्मा के प्रति अपनी ओर से और अपने दल की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और मेरा निवेदन है कि मेरी संवेदना उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

*श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, स्वर्गीय श्री सतीश चन्द्र शर्मा के निधन पर जो माननीय नेता सदन और विरोधी दल के अन्य नेताओं ने अपने विचार व्यक्त किये हैं, मैं अपने को और अपने प्रगतिशील विधायक दल को उससे सम्बद्ध करता हूं और आपसे अपेक्षा करता हूं कि हमारी ओर से श्रद्धांजलि के शब्द उनके शोक संतप्त परिवार के इष्ट जनों तक पहुंचाने की कृपा करें।

श्री, अध्यक्ष—

मैं माननीय नेता सदन, माननीय उप नेता लोक दल तथा अन्य सभी माननीय नेतागण द्वारा व्यक्त भावना से अपने को सम्बद्ध करता हूं।

श्री सतीश चन्द्र शर्मा जी का निधन अत्यन्त दुखदायी है और जिन परिस्थितियों में वह हुआ, वह बहुत कष्टकारक और चिन्ताजनक है। माननीय शर्मा जी का साहस, उनकी कार्य क्षमता और जैसा उप नेता लोक दल ने कहा कि मृत्यु के मुंह में जाते हुए भी अपने आदर्श के प्रति उनकी दृढ़ता, यह एक अत्यन्त ही हम लोगों के लिए गर्व की बात है। मैं आप सबके विचारों को शर्मा जी के परिवार तक पहुंचाऊंगा और आपकी भावनाओं से उनको अवगत कराऊंगा। अब हम दो मिनट के लिए मौन खड़े होंगे।

(सभी सदस्य अपने-अपने स्थान पर दो मिनट तक के लिए मौन खड़े हुए।)

भूतपूर्व सदस्य, श्री रामकिशोर सिंह के निधन पर शोकोद्गार

*मुख्य मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह)—

मान्यवर, स्वर्गीय राम किशोर सिंह जी 15 मार्च को हम लोगों के बीच से चले गए। आपका जन्म 1903 ई0 में बस्ती जिले में हुआ था और 1967 में इस सम्मानित सदन के सदस्य रहे। आपने अपना राजनीतिक जीवन और जनजीवन एक-एक कदम जनता से लगा करके नीचे से शुरू किया और ग्राम प्रधान रहे, फिर ब्लाक प्रमुख रहे, फिर इस सम्मानित सदन के सदस्य रहे। शिक्षा से उनको बहुत ही प्रगाढ़ प्रेम था और नेशनल इण्टर कालेज के वे सदस्य भी रहे हैं और भी शिक्षा संस्थाओं से उनका सम्बन्ध रहा। उनके निधन से एक महान् समाजसेवी हमारे बीच से उठ गया। आपके माध्यम से मैं अपनी संवेदनायें व्यक्त करता हूं।

*श्री मोतीलाल देहलवी—

माननीय अध्यक्ष महोदय, स्वर्गीय श्री राम किशोर सिंह के निधन से शिक्षा जगत को काफी क्षति हुई है और मान्यवर, शिक्षा के क्षेत्र में जैसा कि माननीय

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मोती लाल देहलवी--]

नेता सदन ने कहा उनकी काफी रुचि थी और वे ब्लाक प्रमुख थे। जैसा अभी बताया कि वे ब्लाक प्रमुख रहे और सामाजिक कार्यों में बहुत ही उनकी अभिरुचि थी। तो इससे प्रदेश में एक रिक्तता आयी है, प्रदेश को एक हानि हुई है, जो प्रदेश ने शिक्षा में रुचि रखने वाले, सामाजिक कार्यों में रुचि रखने वाले एक नेता को खो दिया है। इस सम्बन्ध में माननीय नेता सदन ने जो शोकोद्गार व्यक्त किए हैं, मैं उनसे अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं और उनकी आत्मा की शान्ति के प्रति हार्दिक कामना करता हूं तथा आपसे आग्रह करता हूं कि मेरे और मेरे दल के शोकोद्गार उनके शोक सन्तप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

श्री राम हर्ष राय--

मान्यवर, स्वर्गीय राम किशोर सिंह जी के निधन के सम्बन्ध में जो विचार माननीय नेता सदन और माननीय उप नेता लोक दल ने व्यक्त किए हैं, उनसे मैं अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं।

मान्यवर, श्री सिंह सामाजिक और राजनैतिक क्षेत्र के कार्यकर्ता थे और उनके निधन से प्रदेश की एक अपूर्णनीय क्षति हुई है। निकट भविष्य में उस क्षति की पूर्ति सम्भव नहीं है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से श्री सिंह के शोक सन्तप्त परिवार तक अपनी संवेदना भेजना चाहता हूं। आप उसे भेजने की कृपा करें।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, स्वर्गीय श्री राम किशोर सिंह जी के सम्बन्ध में जो उद्गार व्यक्त किए गये हैं, उनसे मैं अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं। श्री राम किशोर सिंह जी अपने व्यवहार और आदर्शों के कारण अपने क्षेत्र में बहुत लोकप्रिय थे और केवल राजनैतिक क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि उसके साथ-साथ रचनात्मक कार्य में भी उन्हें रुचि रहती थी और विशेष रूप से सामाजिक कार्यों के साथ-साथ शिक्षा के कार्यों में उनका योगदान उल्लेखनीय है। उनके, हमारे बीच से चले जाने से एक सामाजिक क्षेत्र में रिक्तता उत्पन्न हो गई है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनके हमारे बीच न रहने से जो रिक्तता उत्पन्न हो गई है, उसे पूरा करने की क्षमता हमें दें। इन शब्दों के साथ मैं अपनी ओर से और अपने दल की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि मेरी भावनाएं उनके शोक सन्तप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

श्री रियासत हुसैन--

स्वर्गीय राम किशोर सिंह के बारे में जो नेता सदन, उप नेता लोक दल और अन्य नेताओं ने जो विचार प्रकट किए हैं, उनसे मैं अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं, और आपसे अनुरोध करता हूं कि मेरी तथा मेरे दल की ओर से श्रद्धांजलि उनके दुखी परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री प्रदीप कुमार यादव--

मान्यवर, स्वर्गीय राम किशोर सिंह जो कि बस्ती के निवासी थे, वह हमारे बीच में नहीं रहे, इस सम्बन्ध में नेता सदन, उप नेता लोक दल तथा दूसरे नेताओं ने जो विचार प्रकट किये हैं, मैं उनसे अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं। मान्यवर, जहां तक श्री राम किशोर सिंह का ताल्लुक है तो वह अपने जीवन काल में प्रमुख के पद पर, प्रधान के रूप में और माननीय सदन के सदस्य होने के नाते उन्होंने काफी सेवायें जनता की, की हैं। अब वह हमारे बीच में नहीं हैं। मैं उनके प्रति अपनी और अपने दल की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आपसे प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा की शान्ति के लिए मेरे उद्गार उनके परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

श्री राम आसरे वर्मा--

स्वर्गीय राम किशोर सिंह के निधन पर जो उद्गार नेता सदन, उप नेता लोक दल और अन्य नेताओं ने प्रकट किए हैं, मैं उनसे अपने को और अपने प्रगतिशील दल को सम्बद्ध करते हुए आपसे अनुरोध करता हूं कि मेरी ओर से श्रद्धांजलि के पुष्प उनके शोक सन्तप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष--

मैं नेता सदन, नेता लोक दल तथा अन्य नेताओं द्वारा व्यक्त विचार से अपने को सम्बद्ध करते हुये आप सभी को यह आश्वासन दे रहा हूं कि आपकी भावनाओं को मैं स्वर्गीय राम किशोर सिंह के परिवार तक पहुंचाऊंगा। अब हम लोग 2 मिनट के लिए मौन खड़े होंगे।

(सभी सदस्य अपने-अपने स्थान पर 2 मिनट के लिए मौन खड़े हुए।)

अमर शहीद सरदार भगत सिंह को श्रद्धांजलि

मुख्य मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह)--

माननीय अध्यक्ष जी, आज ही के दिन सरदार भगत सिंह जी फांसी के फंदे पर चढ़ गये लेकिन आज तक कोई भी फांसी का फंदा किसी शहीद को मार नहीं सका। फांसी का फंदा ही शहीद के अमृत का धार होता है। शहीद इंसान नहीं इतिहास का धार होता है और वह धार हर अन्याय से लड़ते हुये चूर भले ही हो जाय लेकिन अन्याय की जड़ को जरूर काटती है। शहीद का रक्त भविष्य का हस्ताक्षर होता है। सरदार भगत सिंह का रक्त बहा, उसके भविष्य के हस्ताक्षर के फल हम लोगों की पीढ़ी ने स्वतंत्रता के वट वृक्ष के रूप में पाया जो उनके रक्त से पल्लवित हुआ और उसके द्वारा हम लोग पोषित हुए। ऐसे महान शहीदों के प्रति हम अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।

*श्री मोहन सिंह--

मान्यवर आज अमर शहीद सरदार भगत सिंह के शहादत की 50वीं वर्षगांठ देश में मनाई जा रही है। इस देश में राष्ट्रीय आन्दोलन को प्रारम्भिक जनजीवन में, सान्डर्स जिसकी लाठियों से इस देश के स्वतंत्रता संग्राम मनीषियों और हमारे पितामह घायल हुए थे, उनको प्रेरित किया

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मोहन सिंह--]

था । राजगुरु शुकदेव, भगत सिंह ने इस देश के राष्ट्रीय आन्दोलन के प्रारम्भिक जनजीवन को सर्वोच्च बलिदान से जगाया था । सर्वोच्च जीवन को बलिदान करने वाले सरदार भगत सिंह ने इस देश में समाजवादी, लोकतांत्रिक व्यवस्था के शब्द को जगाया । अमर शहीद राष्ट्रीय आन्दोलन के सबसे बड़ी धारा थी तो उन्होंने उस धारा में समाजवादी शब्द को जोड़ा था इस देश की प्रारम्भिक पीढ़ी को इन्होंने बताया था कि आजादी के बाद हमारा देश समाजवादी भारत होगा, लोकतांत्रिक भारत होगा, धर्मनिरपेक्ष भारत होगा । आज 50 वीं वर्षगांठ मनाते हुए हम, उन्होंने जो उच्च आदर्शों का सृजन किया उसका हृदयंगम करते हैं और देश की समाजवादी व्यवस्था जो अर्जित की है उसको कायम करते हुए अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं ।

श्री राम हर्ष राय—

मान्यवर, सरदार भगत सिंह जो हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन के एक प्रमुख अंग रहे हैं । आज हम स्वतंत्रता का उपभोग कर रहे हैं यदि सही माने में देखा जाय तो यह उन्हीं अमर शहीदों की देन है कि आज हम स्वतंत्र वातावरण में सांस ले रहे हैं । अपने को स्वतंत्र महसूस कर रहे हैं । हमारी सच्ची श्रद्धांजलि उन शहीदों के प्रति तभी होगी जब उनके द्वारा बताये गये मार्गों का अनुसरण करें और इस देश की स्वतंत्रता को कायम रखने के लिये हम उनके बताये हुए रास्ते का अनुसरण करें । इन शब्दों के साथ मैं सरदार भगत सिंह को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं ।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर स्वर्गीय सरदार भगत सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुये जो उद्गार नेता सदन और अन्य नेताओं ने व्यक्त किये हैं, मैं अपने को और अपने दल को उससे सम्बद्ध करता हूं । आज जिस आजादी का आनन्द हम ले रहे हैं, हमको यहां तक पहुंचाने के लिये जिन लोगों ने संघर्ष किया, जो क्रान्तिकारी परम्परा रही है, जिसका अंग्रेजों की भाषा तथा उनके अत्याचार और अन्याय का उत्तर देने की परम्परा डाली और पूरे देश के नवजवानों में एक ऐसे जोश को पैदा किया कि न जाने कितने लोगों ने अपने देश की आजादी को हासिल करने के लिये अपने जीवन को अर्पित किया । उस परम्परा के प्रतीक स्वरूप हम भगत सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं । नवजवानों के लिये इससे बढ़कर प्रेरणा का और कोई स्रोत हो नहीं सकता है । राजगुरु, शुकदेव, भगत सिंह जब जलियानवाला बाग के बाद यहां के जनजीवन में यह भावना पैदा हो गई कि अत्याचार और अन्याय के प्रति निराश हो गये, नवयुवकों में एक जोश पैदा किया कि आजादी प्राप्त किये बिना हमारा जीवन बेकार है सरफरोशी की तमन्ना की बात पैदा किया । नहीं तो यह आजादी न मिलती । ऐसे महान शहीदों के प्रति हम अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं ।

*श्री भीखा लाल--

अध्यक्ष जी, हमको और हमारे देश को गौरव है कि सरदार भगत सिंह और उनके सहयोगी राजगुरु और सुखदेव और अनेक क्रांतिकारी इस देश में पैदा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

हुये हैं जिन्होंने आजादी की लड़ाई के लिये अपनी जानों को न्यौछावर कर दिया और इंकलाब का नारा बुलन्द करते हुये फांसी का फंदा अपने गले में डाला। मैं उन माताओं को भी नमस्कार करता हूं और नतमस्तक होता हूं जिन्होंने ऐसे सपूतों को जन्म दिया, जिनकी प्रेरणा से हमारे वह आजादी की लड़ाई में, देश की गरीबी और दरिद्रता से लड़ने के लिये अपना घर बार छोड़कर आजादी की लड़ाई में कूद पड़े, ऐसी दिवंगत आत्माओं के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुये मुझे बहुत गौरव और सम्मान महसूस होता है। आज भी वह महान आत्मायें हमारे देश की नौजवान पीढ़ी के लिये प्रेरणा का स्रोत हैं। आज नौजवानों के लिये बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है, जिस आजाद मुल्क की कल्पना, आजाद हिन्दुस्तान में जिस प्रकार के समाज की उन्होंने कल्पना की थी, गरीबी और अमीरी का भेद मिटाकर, समाजवादी व्यवस्था की उन्होंने कल्पना की थी, जनतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने की उन्होंने कल्पना की थी, हमारे देश के नवयुवकों और हम सब पर इसका बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है कि उसको हम पूरा करें। यही सबसे बड़ी श्रद्धांजलि उन महान आत्माओं के प्रति होगी। इन शब्दों के साथ मैं सरदार भगत सिंह, उनके सहयोगी राजगुरु, सुखदेव और अन्य क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और नत मस्तक होता हूं।

*श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, आज सारे देश में शहीद दिवस, सरदार भगत सिंह और उनके साथियों जिन लोगों ने भी इस देश की आजादी के लिये अपनी जानों को कुर्बान किया और बलिदान दिया, उन सबके लिये आज सारे देश में उनकी 50वीं वर्षगांठ मनायी जा रही है। इस वर्षगांठ के मौके पर इस देश में जहां एक तरफ महात्मा गांधी के नेतृत्व में बन्देमातरम् की आवाज गूंजती थी, वहीं दूसरी तरफ सरदार भगत सिंह और अन्य क्रांतिकारियों की, 'सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है,' की आवाज गूंजती थी। यह जो नौजवान तबका था उसने यह काबित करके दिखा दिया कि वह जालिम अंग्रेज जो इस देश के ऊपर हुकूमत करता था और देश के निवासियों को गुलाम समझता था, उनको निकालने के लिये ये लोग खुशी के साथ भारत माता पर बलिदान हो गये और फांसी का फंदा थाम लिया। आज यह बड़े गौरव की बात है, इस माननीय सदन के अन्दर शहीद दिवस के मौके पर उन सभी क्रांतिकारियों के लिये जिन्होंने शहीद होकर अपनी जानों की कुरबानी की, मैं सरदार भगत सिंह उनके साथ राजगुरु और सुखदेव के लिये अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आशा करता हूं कि आप इन संवेदनाओं को उनके परिवार तक पहुंचाने की कृपा करेंगे।

*श्री प्रदीप कुमार यादव--

मान्यवर, आज पूरे देश और प्रदेश में सरदार भगत सिंह की 50वीं वर्षगांठ मनायी जा रही है। ऐसे मौके पर, उन्होंने देश को आजाद कराने के लिये बहुत बड़ी कुरबानी की, श्रद्धांजलि अर्पित करने के पूर्व मुझे दो पंक्तियां याद आती हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री प्रदीप कुमार यादव--]

शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले,
वतन पर मरने वालों का बाकी नामो निशां होगा ।

मान्यवर, आये दिन रोज हजारों लोग पैदा होते हैं और मरते हैं लेकिन हम याद उन्हीं लोगों को करते हैं जिनकी कुर्बानी देश और समाज के प्रति होती है । तो सरदार भगत सिंह ऐसे क्रान्तिकारी सेनानियों में से थे, जिन्होंने स्वतंत्रता की आग जलाई थी और अब वह हमारे बीच में नहीं हैं । मैं उन दिवंगत आत्माओं के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और सबसे बड़ी श्रद्धांजलि उनके प्रति यह होगी कि जो ज्योति उन लोगों ने जलाई थी, उसी के प्रकाश में हम लोग भी देश को सही मार्ग दें ।

श्री राम आसरे वर्मा--

शहीद दिवस के अवसर पर शहीद भगत सिंह व अन्य ज्ञात और अज्ञात क्रान्तिकारियों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और इन शहीदों के जो अरमान और सपने थे, देश के निर्माण के संबंध में कि जब तक शोषण और उत्पीड़न चाहे वह देशी हों या विदेशियों द्वारा होता रहेगा, उस समय तक हमारा संघर्ष चलता रहेगा । आज इस अवसर पर उन शहीदों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि वही होगी जो उनके सपनों और अरमानों को पूरा करने की दिशा में हो । इन्ही शब्दों के साथ में पुनः अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं ।

श्री अध्यक्ष--

आज शहीद दिवस पर जबकि महान् क्रान्तिकारी भगत सिंह जी की शहादत का 50वां वर्ष है उनके प्रति मैं अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं सरदार भगत सिंह जी के संबंध में कुछ अधिक कहना और बताना नहीं है । उनका शौर्य सारे देश में व्याप्त है और व्याप्त रहेगा । किसी तरह से उनके किये हुए कार्यों पर, उनके आदर्शों पर थोड़ा भी हम लोग चल सकें और कुछ भी पूरा कर सकें यह हमारे लिए गौरव की बात होगी । मैं पुनः उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि दो मिनट के लिए कृपया खड़े होकर मौन धारण करें ।

(सभी सदस्य अपने-अपने स्थान पर दो मिनट के लिये मौन खड़े हुए ।)

गोरखपुर की सरैया सरदार नगर डिस्टिलरी एवं शुगर मिल का गन्दा पानी फरेंदा नाले में छोड़ दिये जाने से मच्छरों का प्रकोप तथा बीमारियों की आशंका के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष--

301 की कुल 9 सूचनाएं प्राप्त हुयीं ।

*श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

अध्यक्ष महोदय, जनपद गोरखपुर के अन्तर्गत सरैया सरदारनगर डिस्टीलरी एवं सुगर मिल का गन्दा सड़ा, काला एवं अति बदबूदार पानी ब्लाक सरदार नगर एवं बहमपुर दोनों ब्लाकों के क्षेत्र के मध्य से फरेंदा नाले में होता हुआ गौरा नदी में गिरता है इस पानी के प्रभाव से इस क्षेत्र में काफी मच्छर पैदा हो गये हैं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जिनके कारण भयंकर मलेरिया, एवं अन्य संक्रामक रोग फैल गये हैं। फलस्वरूप डेढ़ सौ आदमी एवं 500 जानवर मत्यु के कराल गाल में चले गये हैं। रोग की रोक थाम का कोई उपचार न होने के कारण बड़ी तेजी से फैल रहा है। इसी फरेंदा नाले के तट पर देवी तरकुलहा का पवित्र मेला लगभग दो महीने तक चैत्र रामनवमी से लगता है जिसमें भयंकर हैजा फैलने की सम्भावना है। इस मेले में कलकत्ता, बिहार तक के मसाले के व्यापारी आते हैं।

इस बदबूदार पानी के प्रभाव से लगभग 100 गांवों की मछलियां जो ग्राम समाज की सम्पत्ति है, नष्ट हो गयी है। मच्छरों के भयंकर प्रकोप से मनुष्य एवं जानवर रात को सो नहीं पा रहे हैं, इसके बचाव के लिये गांव-गांव धुआं कर रहे हैं। इस बदबूदार पानी का प्रभाव अपने दोनों तटों के लगभग 30 किलोमीटर दूर तक पड़ रहा है। साथ ही इसकी लम्बाई की सीमा लगभग 100 किलो मीटर है। सरकारी आधार पर इस भयंकर रोग के रोकथाम का कोई उपचार नहीं हो रहा है। यह डिस्टीलरी एवं शुगर मिल एक बहुत बड़े पूंजीपति घराने की है जो मजीठिया बन्धु सरदार नगर सरैया गांव से जाना जाता है। इसके डर के नाते स्वास्थ्य विभाग के लोग कभी भी इस गन्दे बदबूदार पानी का सैम्पुल नहीं भरते हैं, फलस्वरूप यह क्रिया कई वर्षों से लगातार चली आ रही है। जन जीवन इस कारण काफी व्यथित एवं त्रस्त है।

अतः ऐसे अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय में स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान आकृष्ट कर तत्काल ठोस कार्यवाही की मांग करता हूं।

मुख्य मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह)—

मान्यवर, गोरखपुर में मच्छरों की समस्या अविलम्बनीय लोक महत्व की है या यह अर्वाचीन है।

(हंसी)

श्री राम उग्रह मल्लाह, निवासी ग्राम रामचक जिला देवरिया को रुद्रपुर थाने की पुलिस द्वारा पेड़ में बांधकर मार दिये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री नन्द किशोर सिंह—

मान्यवर, श्री राम उग्रह मल्लाह मानपार ग्राम राम चक थाना रुद्रपुर जिला देवरिया को गत 3 मार्च, 1981 को दुग्धेश्वर नाथ मेले से रुद्रपुर की पुलिस पकड़ी तथा रात में पेड़ में बांध कर उसको जान से मार डाली। उसके पास 6 नाबालिग बच्चे तथा बूढ़ी मां व बाप हैं। उनके घर केवल एक हैं। उसके परिवार के लोग भूखे मर रहे हैं।

कुछ वर्षों पूर्व रुद्रपुर नगरपालिका का वह ठेका लिया। दूसरे ठेकेदार से झगड़ा हो गया था, वह भागकर गौरीबाजार क्षेत्र में रहता था। उसके विरुद्ध कोई मुकदमा पिछले दो-तीन वर्षों में कायम नहीं है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नन्द किशोर सिंह--]

अस्तु आज माननीय सदन के संज्ञान में लाकर माननीय मुख्य मंत्री से मांग करता हूं कि मामले की जांच सी0 आई0 डी0 से करायें ।

*श्री मोहन सिंह--

लखनऊ स्थित तक तकमिलउत्तिब कालेज के प्राचार्य श्री हकीम जियाउद्दीन को रिश्वत लेते समय गिरफ्तारी एवं पुनः बहाली के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

मान्यवर, विगत 16 जनवरी, 1581 को सर्तकता अधिष्ठान के अधिकारियों ने लखनऊ स्थित तकमिलउत्तिब कालेज के प्राचार्य, श्री हकीम जियाउद्दीन जिया को रिश्वत लेते समय रंगे हाथ गिरफ्तार कर आई0 पी0 सी0 धारा 161(6)/2 धारा के अन्तर्गत मुकदमा कायम कर जेल भेज दिया था । उसी दिन कालेज के दो दो अध्यापकों ने प्राचार्य को जमानत के छुड़ा लिया । अभी मामले की परीक्षा न्यायालय में हो रही है । तभी उक्त तिब्बिया कालेज के साधिकार नियंत्रक जिलाधिकारी, लखनऊ के सारी परम्पराओं के विपरीत उक्त प्राचार्य को अपने पद पर 13-7-81 को पुनः बहाल कर दिया । कहा जाता है कि जिलाधिकारी को उक्त निर्देश प्रदेश शासन की ओर से दिनांक 11-3-81 को चिकित्सा अनुभाग के द्वारा शासनादेश संख्या 1303/पेज9/5-41480 द्वारा दिये गये । सर्तकता अधिष्ठान द्वारा रंगे हाथ गिरफ्तार व्यक्ति को बिना अदालत में मुक्त हुए ही बहाल करना अपने आप में एक मिसाल है । अब ऐसा सुना जाता है कि श्री हकीम जियाउद्दीन बहाल होने के बाद जो लोग जक्त मुकदमें में उनके विरुद्ध गवाह हैं उन्हें डरा धमका कर मामले में फाइनल रिपोर्ट लगवाने का प्रयास कर रहे हैं ।

मान्यवर, आपके माध्यम से उक्त सूचना शासन के संज्ञान में लाकर उक्त प्राचार्य से विरुद्ध तत्काल कार्यवाही करने और न्यायालय से मामला निपटारा होने से पूर्व उन्हें बहाल न करने का अनुरोध करता हूं ।

गोरखपुर विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों में बी0 एड0 के प्रवेश में अनियमितता के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री माता प्रसाद पान्डेय--

महोदय, आपकी अनुमति से सदन एवं सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि गोरखपुर विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविश्वलयों में बी0 एड0 के प्रवेश में व्यापक स्तर पर धांधली बरती जा रही है । उदाहरण स्वरूप बस्ती जनपद में स्थित रतन सेन डिग्री कालेज बांसी के बी0 एड0 के प्रवेश में अधिकांश छात्रों के अंक चिट वर्ष 1979-80 वर्ष 80-81 के प्रवेश में फर्जी रूप से संलग्न कर प्रवेश के इंडेक्स को बढ़ाया गया है । जब इसकी शिकायत विद्यालय के प्रबन्धक से की गई तो उन्होंने प्रधानाचार्य से जांच कराने का निर्देश दिया । प्रधानाचार्य ने दो समिति एक श्री देव नाथ पाठक अध्यक्ष, बी0 एड0 विभाग की अध्यक्षता तथा दूसरा श्री डा0 बाल केशव मिश्र प्रवक्ता संस्कृत विभाग की अध्यक्षता में क्रमशः 25-11-80 व 27-11-80 को नियुक्त की । और आदेश दिया कि यह लोग बी0 एड0 प्रवेश पत्रों की जांच करके एक सप्ताह के अन्दर आख्या प्रस्तुत करें । समिति ने अपने सीमित दायरें में ही जांच प्रारम्भ किया और अपनी आख्या प्रस्तुत की । आख्या में

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

दोनो समितियों ने व्यापक पैमाने पर प्रवेश पत्रों के साथ संलग्नक में व्यापक पैमाने पर परिवर्तित अंक चिट व बढ़ाये हुए इन्डेक्स के विषय में प्रधानाचार्य को रिपोर्ट प्रस्तुत की तथा इसकी प्रतियां प्रबन्धक महाविद्यालय को भी दी गयीं। परन्तु आज तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। इसकी सूचना कुलपति तथा उप कुलपति गोरखपुर विश्वविद्यालय को भी दी गई है। इसके पूर्व भी उप कुलपति ने एक, श्री राम महराज द्विवेदी पुत्र श्री झिन्ना दूबे लिपिक महामना मालवीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बरगदवा पो0 बांसी जनपद बस्ती के इसी महाविद्यालय बी0 एड0 के प्रवेश-पत्र 1978 की जांच करायी जिसमें उन के सभी मूल प्रमाण-पत्र और जिसको उन्होंने प्रवेश में संलग्न किया था। फर्जी पाये गये। इस आधार पर उन्होंने उनकी बी0 एड0 की डिग्री निरस्त करने की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी है।

मान्यवर, इस महाविद्यालय में दूर दूर जिलों के लोगों को बुला कर लम्बी रकमें वसूल कर अवैध ढंग से प्रवेश दिया जाता रहा है। जिससे योग्य से योग्यतम छात्र जिनके पास धन नहीं होता है, प्रवेश से वंचित रह जाते हैं। इस सन्दर्भ में मैं दोनों समितियों की जांच आख्या की फोटोस्टेट कापी भी संलग्न कर रहा हूं, तथा अब अनुरोध करता हूं कि संलग्नक के आधार पर रतन सेन महाविद्यालय, बांसी के प्रवेश-सत्र 1979-80, 80-81 की जांच करा कर दोषी व्यक्तियों को दण्डित करने की कार्यवाही करें।

हरदोई में नयीजन-वितरण प्रणाली लागू होने के बाद उपभोक्ताओं का चीनी का वितरण न होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, हरदोई जनपद में नयी जन वितरण प्रणाली लागू होने के बाद से जनता को चीनी मिलना दुष्कर हो गया है। आठ-आठ और दस-दस किलोमीटर की दूरी तय करके हफ्तों दौड़ने के बाद भी ग्रामीण क्षेत्र के किसान चीनी नहीं पाये हैं। मल्लावां क्षेत्र के 90 प्रतिशत गांवों के लोगों को जनवरी, फरवरी और मार्च, 81 के किन्हीं महीनों की शक्कर नहीं मिल पाई है। होली के त्योहार पर भी लोगों को चीनी नसीब नहीं हो सकी है। फर्जी राशन कार्डों पर सहकारी समितियों के सचिव चीनी चढ़ा कर खुले आम ब्लैक कर रहे हैं। शादी-ब्याह के लिए जनपद हरदोई में स्पेशल परमिटों की भी व्यवस्था नहीं की गयी है। परिणामस्वरूप जनता में घोर असंतोष व्याप्त हो गया है। मिट्टी के तेल का संकट भी गहरा है। मल्लावां क्षेत्र के गांव के गांव गत 2-3 महीनों से अंधेरों में दिन गुजार रहे हैं।

चीनी तथा मिट्टी के तेल की अविलम्बनीय समस्या के प्रति सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए तत्काल व्यवस्था हेतु शासन से मांग करता हूं तथा यह भी मांग करता हूं कि जिले के सभी राशन कार्ड रद्द कर नये किस्म के राशन कार्ड जारी किये जायें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

†छापी नहीं गई।

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री कर) (पंचम संशोधन) नियमावली, 1980†

परिवहन राज्य मन्त्री (श्री अजीत सिंह सेठी)--

मान्यवर, मैं परिवहन अनुभाग--4 की अधिसूचना संख्या 5244-टी/तीस-4-35-पी-77, दिनांक 5 दिसम्बर, 1980 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री कर) (पंचम संशोधन) नियमावली, 1980 को उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री कर) अधिनियम, 1962 की धारा 30 की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम की 25वीं वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा विवरण 1979-80††

उद्योग मन्त्री (श्री नियाज हसन खां)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम की 25वीं वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा विवरण 1979-80 को राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 की धारा 38 की धारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश के उप मन्त्रियों (के यात्रिक भत्तों) के (प्रथम संशोधन) नियम 1981†††

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)--

अध्यक्ष महोदय, म आपकी अनुमति से गोपन अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या एक-6135/80-58-डी-1952, दिनांक 27 फरवरी, 1981 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश के उप मन्त्रियों (के यात्रिक भत्तों) के (प्रथम संशोधन) नियम, 1981 को उत्तर प्रदेश के मन्त्रियों और उप मन्त्रियों (के वेतन तथा भत्तों) का अधिनियम, 1952 की धारा 6 की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

दि इन्डियन टरपेंटाइन एण्ड रोजिन कम्पनी, लिमिटेड की तिरपनवीं वार्षिक रिपोर्ट, 1976-77†

उद्योग मन्त्री (श्री नियाज हसन खां)--

मान्यवर, दि इन्डियन टरपेनटाइन ऐण्ड रोजिन कम्पनी, लिमिटेड की तिरेपनवीं वार्षिक रिपोर्ट, 1976-77, कम्पनीज ऐक्ट, 1956 की धारा 619-ए की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

---

†छापी नहीं गयी ।

††छाया नहीं गया ।

†††छापे नहीं गये ।

श्रीमती गौरी देवी द्वारा दी गयी विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न को लिये जाने की मांग

श्री अध्यक्ष--

मद सं0 8 में आज कुछ नहीं है ।

श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, गौरी देवी ने दिया है । वह बड़ा गम्भीर मामला है ।

श्री अध्यक्ष--

माननीया गौरी देवी को जो सूचना आई है मैंने उसको शासन को भेज दिया है ।

श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, वह ठीक है आपने उसे भेज दिया है लेकिन गौरी देवी के साथ जिस तरीके से व्यवहार हुआ है उसको आप सुन लें और उनको सुनने के बाद जब प्रोसीजर में जवाब आयेगा तब प्रश्न ले लिया जायेगा ।

श्री अध्यक्ष--

ऐसा है कि माननीया गौरी देवी का एक तार 19 तारीख को मिला था और उसके बाद उन्होंने बहुत क्षुब्ध होकर अपनी बात मुझको बताई थी और मैंने उस पर सूचना के लिए उस तार को शासन के पास भेज दिया है । कल मैं उनकी बात को सुनूंगा ।

श्रीमती गौरी देवी--

वह हमको धमकी दे रहा था । गिरफ्तार करने के लिए पुलिस बुलवाया था । कह रहा था राजनीति हमको पसन्द नहीं है । आपको हम गिरफ्तार करवायेंगे । विधान सभा में आपको जाने लायक नहीं रहने देंगे । उसका ट्रान्सफर किया जाय । जिलाधिकारी भ्रष्ट, चोर बेईमान है । मन्त्री जी से कहकर उसे गोरखपुर से हटवाया जाय ।

श्री अध्यक्ष--

मैंने आपकी बात सुनी और जिस तरह से आपने मुझे बताया तथा जो आपने वहां कहा उसके सम्बन्ध में मैंने यह कहा कि कल इस सम्बन्ध में विचार होगा । किसी माननीय सदस्य के सम्मान में कोई भी बात होगी तो उसमें मैं आपकी, सदन की भावना के अनुरूप और उसके गौरव का पालन करते हुए अपने कर्तव्य का निर्वहन करूंगा ।

मुरादाबाद के साम्प्रदायिक दंगों के परिप्रेक्ष्य में निरुद्ध के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की कार्यवाही समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य

मुख्य मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह)—

विगत वर्ष में मुरादाबाद में हुए दंगों की पृष्ठ भूमि में कुछ व्यक्तियों के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही करनी पड़ी। मुझे प्रसन्नता है कि वहां की स्थिति में बहुत सुधार हुआ है और इसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि होली का त्योहार मुरादाबाद में हर्षोल्लास और पूर्ण शांति के साथ सम्पन्न हुआ। इस अवसर पर अन्यत्र भी स्थिति शांतिपूर्ण रही।

इस अवसर पर शासन ने यह निर्णय लिया है कि मुरादाबाद में दंगों के परिप्रेक्ष्य में जो लोग निरुद्ध हुये थे उनके विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही समाप्त कर दी जाय।

विधान सभा की कतिपय समितियों एवं स्थायी समितियों में कार्य करने हेतु सदस्यों को नाम निर्दिष्ट करने के लिये श्री अध्यक्ष को प्राधिकृत किये जाने का प्रस्ताव

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)—

"उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन-नियमावली 1958 के नियम 200 के साथ पठित नियम 229 (2) के अनुसार लोक लेख समिति में 21 से अनधिक सदस्य, नियम 231 (2) के अनुसार प्राक्कलन समिति में 25 से अनधिक सदस्य, नियम 232-ख के अनुसार सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति में 25 से अनधिक सदस्य,

(2) विधान सभा तथा विधान परिषद् द्वारा क्रमशः दिनांक 6 अगस्त, 1974 एवं दिनांक 14 अगस्त, 1974 को पारित प्रस्ताव के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति में 21 सदस्य, तथा

(3) मन्त्रियों को परामर्श देने के लिये स्थायी समितियों के निर्वाचन, संगठन तथा कार्यविधि के नियम 1 (ङ) के साथ पठित नियम (क) के अनुसार 29 स्थायी समितियों में प्रत्येक में 16-16 सदस्य, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये और उसके बाद समय-समय पर उनमें आकस्मिक रिक्तियों की, यदि कोई हों, पूर्ति के लिये सदस्य विधान सभा द्वारा निर्वाचित किये जाते हैं,

उक्त सम्बन्धित नियमों तथा प्रस्ताव के उपबन्धों के अनुसार वर्ष 1981-82 के लिये सदन की उक्त समितियों तथा मन्त्रियों को परामर्श देने के लिए 29 स्थायी समितियों के लिये निर्वाचन किया जाना है।

सम्बन्धित नियमों एवं प्रस्ताव के उपबन्धों को उस सीमा तक निलम्बित करते हुए जहां तक वे उक्त समितियों के निर्वाचन की प्रक्रिया से सम्बन्धित हैं, यह सदन श्री अध्यक्ष को, उक्त सभी समितियों में वर्ष 1981-82 के लिए विधान सभा के सदस्यों को तथा उसके बाद उक्त वर्ष की उक्त समितियों में आकस्मिक रिक्तियों की, यदि कोई हों, पूर्ति के लिए यथा समय सदस्यों को, नाम निर्देशित करने हेतु प्राधिकृत करता है और यह निश्चय करता है कि इस प्रकार नाम निर्देशित सदस्य उक्त समितियों में सम्बन्धित नियमों एवं प्रस्ताव की अपेक्षानुसार विधिवत् निर्वाचित समझे जायेंगे।"

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि जो विस्तृत प्रस्ताव माननीय संसदीय कार्य मन्त्री ने रखा है सदन उससे सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्व सम्मति से स्वीकृत हुआ)

[समय 1 बज कर 6 मिनट]

उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1981

खाद्य एवं रसद मन्त्री (श्री वासुदेव सिंह)--

मान्यवर, मैं उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1981 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1981 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री वासुदेव सिंह--

मान्यवर, मैं उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1981 को पुरःस्थापित करता हूं।

औचित्य के प्रश्न

श्री अध्यक्ष--

पांच औचित्य के प्रश्न आये हैं।

पहला औचित्य का प्रश्न माननीय प्रदीप कुमार यादव का है--कानपुर से प्रकाशित दैनिक आज में छपी खबर के सम्बन्ध में जिसमें आधा दर्जन विधायकों

दिनांक 31 मार्च, 1981 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

[श्री अध्यक्ष--]

का सम्बन्ध डकैतों से होना बताया गया है । इसी विषय पर माननीय दलगंजन सिंह का भी है ।

दूसरा औचित्य का प्रश्न माननीय मोहन सिंह जी का है--मंत्रिमंडल के सभी माननीय सदस्यों को परिचय-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में है ।

चौथा माननीय राम आसरे वर्मा जी का है--हाई कोर्ट बेन्च खोलने के निर्णय के सम्बन्ध में ।

पांचवां औचित्य का प्रश्न श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त का है--श्री सतीश चन्द्र शर्मा के निधन पर सदन में शोक नहीं प्रकट किया गया--इस के सम्बन्ध में । यह आज शोक प्रस्ताव सदन में हो गया है ।

माननीय प्रदीप कुमार यादव और माननीय दलगंजन सिंह के प्रस्ताव के सम्बन्ध में आप नियम 300 पढ़ लें । इसमें यह कहा गया है कि औचित्य के प्रश्न इन नियमों के या संविधान के ऐसे अनुच्छेदों के, जिन से सदन का कार्य विनियमित होता है, निर्वचन या प्रवर्तन के सम्बन्ध में होगा और उस में ऐसा प्रश्न उठाया जायगा, जो अध्यक्ष के संज्ञान में हो. . .

श्री प्रदीप कुमार यादव--

यह मामला माननीय सदन और. . .

श्री अध्यक्ष--

ध्यान आकर्षण के प्रश्न हैं, तो इस को ध्यान आकर्षण में उठायें. . . .

श्री प्रदीप कुमार यादव--

इससे सदन की गरिमा कलंकित हो रही है । इसलिये आप हमें मौका दें ।

श्री अध्यक्ष--

कलंकित हो रही है तो उसको बचाने की आप कोशिश करें । एक प्रश्न परिचय पत्र से सम्बन्धित है ।

मंत्रियों को परिचय-पत्र जारी किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

*श्री मोहन सिंह--

यह 300 में आता है और मैं उसे सिद्ध कर दूंगा । मान्यवर, औचित्य का प्रश्न इन नियमों के या संविधान के ऐसे अनुच्छेदों के, जिनसे सदन का कार्य विनियमित होता है, निर्वचन या प्रवर्तन के सम्बन्ध में होगा और उसमें ऐसा प्रश्न उठाया जायेगा, जो अध्यक्ष के संज्ञान में हो । मान्यवर, हम आपके संज्ञान में इस बात को ले आये । संविधान की धारा 164 कहती है कि मंत्रि-परिषद महामहिम राज्यपाल के प्लेजर पर निर्भर करती है । वे जब तक इनसे खुश रहेंगे तभी तक वे रह सकते हैं । इसके अलावा एक रास्ता यह भी है कि सदन में स्पीकर का फैसला है कि वे अल्प मत में हो या बहुमत में हों--इसका फैसला तो यहां पर होगा । मान्यवर, मेरी जानकारी है कि जो परिचय-पत्र जारी किये गये हैं उसमें अवधि निर्धारित कर दी गई है कि सन् 85 तक वह वैध रहेगा । यह अवधि न

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

तो संविधान में निर्धारित है और न हमारी नियमावली में ही निर्धारित है । यह तो भाई अशोक और भाई संजय सिंह का प्रयास है कि उनकी ऐसी भावना इनके प्रति इस तरह से जाग गई । यदि सदन कभी इस मंत्रि परिषद् पर अविश्वास प्रकट कर दे तब यह अवधि कैसे रह सकती है, यह सोचने की बात है । उनकी यह अवधि आज भी समाप्त हो सकती है । यह प्रथा उन देशों में है, जहां राजपुरुषों का जीवन जन-जीवन के करीब-करीब बराबर है । मान्यवर, मैंने 10 डाउन स्ट्रीट, लन्दन में जाकर देखा जहां पर प्रधान मंत्री का निवास भी है और जन साधारण के लोग भी वहां पर रहते हैं । इसलिये उनको वहां पर परिचय-पत्र जारी किये गये हैं । उसको नकल आप यहां पर करने जा रहे हैं, जहां कि लोकतंत्र की परम्परा में सामन्तशाही किये हुए हैं । एम0 एल0 ए0 के बाद मुख्य मंत्री होता है, मंत्री हो जाता है तो उसको शैडो, कार, चपरासी और झंडी लगा दी जाती है । सामन्ती प्रथा को खुद लागू किये हुये है । एक तरफ तो इन परिचय-पत्रों को जारी करके मुख्य मंत्री ने अपने मंत्रियों को स्वयं निर्देशित किया है कि वे अपने क्षेत्र में जाय और उनकी समस्याओं को देखें । लेकिन इनकी हिम्मत तो वहां जाने की है नहीं । उनकी तसवीर वहां कैसी है, यह वे जानते हैं । अभी आपने समाचार पत्रों में पढ़ा होगा कि एक उप मंत्री गृह ट्रेन में आ रहे थे तो कुछ लोग जूता लेकर उनके सामने खड़े हो गये और अगर कहीं यह परिचय-पत्र दिखला दें तो न मालूम क्या खतरा उनके लिये पैदा हो जाय । इस तरह से मुख्य मंत्री ने बड़ी चालाकी से राज्य प्रतिनिधियों को जनता के हवाले कर दिया और दूसरे जो हमारा अधिकार था कि अविश्वास करके हम जो इनको यहां से हटा सकते थे, उसमें हमें आशंका हो गयी है कि सन् 1985 तक के लिये इनको यहां पर रहने का अधिकार दे दिया गया है, इसके ऊपर आप अतिक्रमण करने जा रहे हैं । साथ ही संविधान के अन्तर्गत महामहिम राज्यपाल का जो अधिकार है कि उनकी संतुष्टि तक वे मंत्री बने रहेंगे उसके ऊपर भी आपत्ति आती है, आंच आती है । इसलिये मैं यह औचित्य का प्रश्न उठाना चाहता हूं कि आप इसको स्वीकार करें ।

मान्यवर, आप हमारे अभिभावक हैं इसलिये आप हमारा परिचय पत्र सचिव द्वारा जारी कराते हैं और तभी हम विधायक कहलाते हैं । इनके ऊपर राज्यपाल की संतुष्टि है, जिसके विपरीत जाकर, जैसा कि हमारा इल्जाम है, उनको चीफ सेक्रेटरी के नियंत्रण में कर दिया है । इन पर नियंत्रण न राज्यपाल का रहा और न इस सदन का रहा । इसलिये मैं यह औचित्य का प्रश्न उठाना चाहता हूं कि आप इस पर चर्चा करायें । इन लोगों के अभिभावक मुख्य सचिव कैसे हो गये, क्योंकि संविधान और नियमावली तो सदन बनाता है । इसलिये मैं यह प्रश्न उठाना चाहता हूं ।

श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, यह नयी प्रथा चली है माननीय मंत्रियों को आइडेंटिटी कार्ड इश्यू होने लगे हैं इससे शक हो रहा है कि यह माननीय काशीनाथ जी का सम्मान बढ़ाने के लिये किया गया है या सम्मान घटाने के लिए किया गया है, यह चीज बड़ी मसकूक हो गयी है । एक बेसिक चीज जो है वह हरएक विधायक को आईडेंटिटी कार्ड इश्यू किया गया है । अब क्या आवश्यकता पड़ी इन एडीशन यह दिया गया है । माननीय सदस्यों के बार-बार सवाल उठाने पर कि जो मंत्रिपरिषद् में लिये जायं उनका परिचय माननीय मुख्य मंत्री जी सदन में करायें, वह तो स्वीकार नहीं किया, लेकिन यह आइडेंटिटी कार्ड

[श्री रियासत हुसैन--]

देनों की क्या जरूरत पड़ी इसका स्पष्टीकरण माननीय मुख्य मंत्री जी का सदन में आना चाहिये कि वह क्या हालात थे, जो कि यह नयी प्रथा डाली है और एक ऐसे अधिकारी के जरिये से आइडेंटिटी कार्ड इश्यू किया गया है, जो प्रोटोकाल की लिस्ट में हम लोगों से नीचे आता है। इसका जवाब माननीय मुख्य मंत्री जी से दिला दें अगर चर्चा करना संभव नहीं है।

*संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मैं समझता था कि कम से कम मोहन सिंह जी इस बात पर आपत्ति नहीं करेंगे। दो तीन प्रश्न माननीय मोहन सिंह जी ने उठाये। पहला तो यह कि मंत्रिमंडल का सदस्य राज्यपाल की खुशी पर है जब तक वह चाहेंगे मंत्री रहेंगे। तो इसमें वक्त दे देने से उनका कहना है कि यह बात खतम हो जाती है और यह संविधान के विपरीत है। यह उनका पहला मुद्दा है।

श्री मोहन सिंह--

संविधान का क्लाज 162 (2) पढ़ें।

श्री अम्मार रिजवी--

मेरे पास 162(2) भी है और 172 भी (व्यवधान) दोनों क्लाज हैं। मान्यवर, इस आइडेंटिटी कार्ड में साफ-साफ लिखा हुआ है---"कृपया कार्यभार छोड़ने पर इस कार्ड को समर्पित कर दें"। अवधि का जहां तक प्रश्न है वह हर एक चीज की दी होती है। यह जो विधान सभा का जो परिचय-पत्र है इसके अन्दर लिखा है 1980-1985 हर विधान सभा में परिचय पत्र दिया जाता है उसकी अवधि 5 साल लिखी होती है....

श्री रियासत हुसैन--

एक चीज जानना चाहता हूं मंत्री जी से कि जो विधान सभा का परिचय पत्र है वह तो एक रूल के अन्तर्गत है, आप लोगों को जो आइडेंटटी कार्ड दिया गया है यह कौन से रूल में दिया गया है ?

श्री अम्मार रिजवी--

तो मैं कह रहा था कि कोई सरकार है उसकी अवधि 5 साल होती है और विधान सभा की अवधि 5 साल होती है लेकिन उससे पहले भी वह समाप्त हो जाती है और बराबर हुई है। तो यह कहना कि इसमें समय दिया है यह उस संविधान के खिलाफ है, उचित नहीं है। मान्यवर, पास पोर्ट इश्यू किये जाते हैं जिसमें हमारी शहरियत, हमारी नागरिकता अंकित होती है, जिसका वह प्रमाण है अगर भारत से हम बाहर जाते हैं तो वह जरूरी है, जिसको एक आण्डर सेक्रेटरी इश्यू करता है, जो कि भारत के एक नागरिक होने का प्रमाण है। तो कभी ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं, जब तीन साल से पहले रोका जा सकता है। यहां पर यह कहना कि 5 साल दे दिया है, ठीक नहीं है, अगर एक साल दिया जाता तो माननीय मोहन सिंह जी कहते कि एक साल की जिंदगी है, उससे आगे इन पर विश्वास नहीं है....

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री मोहन सिंह--

तथ्य यही है ।

श्री अम्मार रिजवी--

तथ्य जो भी हों, यहां पर 1985 दे देने से राज्यपाल के अधिकारों, का हनन होता है, कहना उचित नहीं है ।

दूसरी बात यह कही गयी कि यह क्यों इश्यू किया गया है यह महत्वपूर्ण प्रश्न है । भारत सरकार में जहां मंत्रियों को अक्सर जाना होता है वहां एक कायदा कानून है कि गेट पर आप जायं तो उससे पूछा जाता है तब उसकी स्लिप बनती है । वहां पर यह कठिनाई महसूस की जाती है कि पहले हम बतायें कि मंत्री हैं अगर साथ में कोई स्टाफ न हो, प्रजातांत्रिक व्यवस्था में आप चले और अकेले गाड़ी में बैठ जायं और कोई चपरासी या अन्य साथ न जाय तो उनके रिशेप्सन पर आप कहिये कि आप मन्त्री हैं । आपके पास यदि पास हो तो आप उसे दिखाकर बताकर आप आसानी से जा सकते हैं । इसके अलावा बहुत जगहों पर कोई मन्त्री चेकिंग करने जाता है और इसके इस कार्य में कोई अधिकारी आपति करता है, न पहचानने की बात कहता है और पूछता है कि आप कौन हैं, आपकी लोकस-स्टैन्डाई क्या है । तो इसमें यह भी बाधा पड़ती है, जब तक आप टेलीफोन करें, डी० एम० को बतायें, बुलायें तब तक काफी देर हो जाती है...

(व्यवधान)

आइडेन्टेटी-कार्ड की यूटिलिटी कम से कम मोहन सिंह जी को तो अवश्य स्वीकार कर लेनी चाहिए, क्योंकि जब इनकी सरकार थी तो एक राज्य मन्त्री का गेट पर गार्ड के साथ झगड़ा ऐसी ही बात को लेकर हो गया था ।

अभी तीन दिन पहले मैं जनपथ-मार्केट गया था, मैंने मोहन सिंह को भी घटना के बारे में बताया था । उस भवन के ऊपर टूरिज्म विभाग की तरफ से एक रेस्ट्रां बनाने की स्कीम है, उसी सिलसिले में मैं ऊपर छत पर देखने जाना चाहता था । मैं यों ही अकेले गाड़ी पर बैठ कर चला गया था। लेकिन ऊपर जाने से उसमें मुझे रोक दिया गया और कहा गया कि आप ऊपर न जाइये । उसने कहा या तो आप अपना कार्ड बनवायें या आप बताएं कि आप कौन हैं । जब मैंने अपनी पूरी आइडेंटिटी बताई तो उसने मुझे जाने दिया । खैर वह तो शरीफ आदमी था, जो इतना बताने पर वह मान गया और मुझे चले जाने दिया, वरना यह भी नौबत हो सकती थी कि व कहता कि मैं आपकी बात नहीं मानता हूं, आपको नहीं जानता हूं और लिखित कोई अपनी अन्इडेंटिटी बताइये, लिखित दिखाइये तो मैं क्या करता ? इन्हीं तमाम स्थितियों से बचने के लिए यह एक प्रोसेसिव कदम उठाया गया है । तो इसको उन्हें कद्र करनी चाहिए, और इस तरह की बात नहीं कहनी चाहिए कि इसके होने से प्रजातन्त्र पर कोई आंच आती है या और कोई दूसरी बात है।

चीफ सेक्रेट्री को ले कर भी एक आपत्ति की गई । तो मैं कहना चाहता हूं कि बड़ी से बड़ी चीज पर एक मामूली से क्लर्क अपने दस्तखत करता है । यदि आज यह कर लें कि हमारी किसी चीज पर कोई ब्यूरोक्रेट कोई दस्तखत नहीं कर सकता है, तो इससे तो काम चलने वाला नहीं है और मैं समझता हूं कि हमारा काम्पलेक्स इतना ज्यादा हो गया है कि किसी अधिकारी के दस्तखत कर देने से वह समाप्त हो जाता है । मैं समझता हूं कि ऐसी बात नहीं है और हमारा सम्मान इतना कमजोर नहीं है कि उसको इतने से कोई हानि पहुंच जाए। तो यह

[श्री अम्मार रिजवी--]

अच्छा सिस्टम बनाया गया है, चीज को रेगुलेट किया गया है और उससे आगे चल कर सभी को काम करने में आसानी होगी । इसलिए इस प्रश्न का कोई औचित्य नहीं है ।

श्री राम आसरे वर्मा--

मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं । प्रश्न यह है कि मुख्य सचिव प्रोटोकाल में हमसे नीचे आता है, माननीय विधायकों से वह नीचे आता है, तो क्या वह मुख्य सचिव माननीय मन्त्रियों का परिचय-पत्र जारी कर सकता है ? जो मन्त्री जी ने उसके इस्तेमाल का जिक्र किया है, तो क्या वह भूल गये हैं कि ज्यादा उसका इस्तेमाल सिनेमा के पासों को मंगवाने में वह करेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

आपका यही महत्वपूर्ण सवाल है, आप बैठिये ।

(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा--

प्रोटोकाल के बारे में आप मन्त्री जी का स्पष्टीकरण दिलवा दीजिए ।

श्री अध्यक्ष--

हो गया यह, आप सब लोग बैठें ।

श्री रामहर्ष राय--

मान्यवर, मैं भी एक दल के नेता के नाते कहना चाहता हूं...

श्री अध्यक्ष--

आप नेता हैं तो क्या हुआ मोहन सिंह जी ने एक औचित्य का प्रश्न उठाया था, उस पर उनको सुन लिया गया है ।

श्री रामहर्ष राय--

मन्त्री जी ने जो बात कही है, उसे मैं सही मानता हूं...

श्री अध्यक्ष--

फिर क्या बात है, तब तो आप बैठ जाइये ।

श्री रामहर्ष राय--

हम विधायकों को विधायकों की हैसियत से जो परिचय-पत्र मिल गया है, वह इसलिए मिल गया है कि हमें 5 साल के लिए जनता ने सर्टीफिकेट दे दिया है सचिव को हमें यह परिचय-पत्र देने का कोई अधिकार नहीं है, अगर अधिकार है तो राज्यपाल को है...

श्री अध्यक्ष--

अब आप बैठें, कृपया आप बैठें ।

श्री रामहर्ष राय--

विधायकों को तो पाँच साल के लिए देते हैं, लेकिन मन्त्रियों के लिए कहां लिखा है कि ये पांच साल तक काम करेंगे ? जब मुख्य मन्त्री जो चाहेंगे, इन्हें कान पकड़ कर निकाल देंगे । जैसा अभी उन्होंने दो मन्त्रियों को निकाला है । तो आप इसकी दस्तखत पर अपनी व्यवस्था दीजिए ।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

मेरे विचार में यदि आपके दस्तखत हो जायं तो सब को मान्य होगा ।

श्री मोहन सिंह--

सिर वाली वर्दी दिलवा दीजिए ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय मोहन सिंह जी और माननीय रियासत हुसैन जी ने एक औचित्य का प्रश्न अठाया जिसके सम्बन्ध में उन्होंने 2 बातें कही । एक तो यह थी कि यह मुख्य सचिव द्वारा कैसे किया जा सकता है और दूसरी यह है कि 5 साल के लिए यह जारी कर दिया गया है जिससे उनके विशेषाधिकारों को चोट पहुंची है । शासन पर यह पहले ही अविश्वास का प्रस्ताव ला सकते हैं और सरकार रहे या न रहे ऐसी स्थिति पैदा कर सकते हैं । माननीय संसदीय कार्य मन्त्री ने इनका उत्तर देते हुए बताया कि बहुत से कार्य जो यहां से दिल्ली तक करने होते हैं उनके लिए परिचय-पत्र की उपयोगियता बतायी है और यह भी बताया कि परिचय-पत्र में यह भी लिखा हुआ है कि जैसे ही वह कार्यभार छोड़े इसको वापस कर दें । माननीय मोहन सिंह, माननीय रियासत हुसैन और माननीय संसदीय कार्य मन्त्री की बातें सुनी और ऐसी भी बात, जिनको मैं सुनाना नहीं चाहता था, वे भी सुना दी गयीं । इन सब बातों को सुनने के बाद मैं समझता हूं और माननीय मोहन सिंह जी व माननीय रियासत साहब भी अच्छी तरह से समझते हैं कि यदि परिचय-पत्र की अवधि 5 साल या और भी कोई अवधि रख दी जाय तो उनके अधिकारों पर और सदन के कार्यों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है । वह केवल एक परिचय-पत्र मात्र है । वह इसको बताने के लिए है कि जहां पर लोग उनको न जानते हों, पता चल जाय कि ये मन्त्री हैं । जैसा कि अभी संसदीय कार्य मन्त्री ने बताया कि दिल्ली आदि में जानने की आवश्यकता होती है ।

श्री मित्र सेन--

मान्यवर, परिचय-पत्र पर लिखा है...

श्री अध्यक्ष--

अगर आप कोई नयी बात कहना चाहते हैं तो मैं अपनी रूलिंग देने से बैठ जाता हूं लेकिन अगर आप केवल वही बात दुहराना चाहते हैं तो क्यों सदन का समय नष्ट करना चाहते हैं । तो ऐसी स्थिति में हालांकि माननीय मोहन सिंह जी समझते हैं कि औचित्य का प्रश्न इन नियमों के या संविधान के ऐसे अनुच्छेदों के, जिनसे सदन का कार्य विनियमित होता है के निर्वाचन या प्रवर्तन का प्रश्न नहीं है और चाहे उनको यह परिचय-पत्र मिला हो या न मिला हो या आज मिलने के बाद सदन के कार्यों में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है । इस प्रकार नियम 300 के अन्तर्गत यह नहीं आता है । इस लिए यह औचित्य का प्रश्न अस्वीकार किया जाता है ।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, मेरा भी एक औचित्य का प्रश्न था ?

श्री अध्यक्ष--

वह पहले ही मैंने अस्वीकृत कर दिया है। अगर वह इलाहाबाद हाई कोर्ट की बेंच खुलने के सम्बन्ध में है क्योंकि इस पर काफी चर्चा हो चुकी है।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, इस पर मन्त्रीगण ही चर्चा कर रहे हैं, हमारी ओर से तो कोई चर्चा नहीं हुई है।

राजभवन, लखनऊ से कीमती तलवार चोरी होने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना तथा कार्यस्थगन प्रस्तावों की अन्य सूचनायें

श्री अध्यक्ष--

नियम 56 के अन्तर्गत आठ सूचनायें प्राप्त हुई हैं, जिनमें 5 सूचनायें एक ही प्रकार की हैं यह सर्वश्री प्रदीप कुमार यादव, मोतीलाल देहलवी, मोहनसिंह, भीखालाल रियासत हुसैन की हैं, होली के पूर्व राजभवन लखनऊ से बेशकीमती ऐतिहासिक तलवार चोरी हो जाने के सम्बन्ध में। एक छठी सूचना श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त की है केन्द्रीय सरकार द्वारा गेंहूं के समर्थन मूल्य 130 रुपये प्रति कुन्तल घोषित किये जाने के फलस्वरूप किसानों में उत्तर प्रदेश सरकार के प्रति घोर असंतोष के सम्बन्ध में। सातवीं सूचना है स श्री हरिवंश सहाय एवं नन्दकिशोर सिंह की विगत 21-3-1981 को देवरिया जनपद के थाना तामपार के ग्राम पीपरा के टोला छपिया में सवर्णों के एक दल द्वारा हरिजनों को गम्भीर रूप से मारने तथा उनके घरों में लूट के सम्बन्ध में। आठवीं है श्री फिरंगा प्रसाद विशारद की जनपद गोरखपुर की तहसील महराजगंज एव सदर में अतिवृष्टि एवं बाढ़ से घिरे घरों पर बांटे जा रहे अनुदानों में अनियमितताओं के सम्बन्ध में। इनमें से यह 6, 7 व 8 नम्बर पर जो हैं इनको मैंने अस्वीकृत किया है। जो 1 से 5 नम्बर पर एक ही प्रकार की सूचनायें हैं, इनके बारे में मुझे विचार करना है। अगर माननीय सदस्य, जिनकी यह सूचनायें हैं, कुछ कहना चाहते हों, तो मैं एक-एक मिनट उनको सुन सकता हूं।

*श्री प्रदीप कुमार यादव--

मान्यवर, सन् 1955 में सऊदी अरब के शाह अपने देश में तशरीफ लाये थे और उसी बीच वे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी आये। उनके सम्मान में एक बहुत बड़ा आयोजन किया गया और उसमें शाह साहब ने यहां की जनता के लिये, तत्कालीन राज्यपाल महोदय को एक तलवार भेंट की। इतनी कीमती तलवार राजभवन से गायब हो गयी। यह उस जगह से गायब हुई जहां पर कि 24 घंटे पुलिस का पहरा लगा रहता है और सुरक्षा व्यवस्था रहती है। जब वहां से ऐसी चीज गायब होगी तो फिर इस प्रदेश के लोगों का क्या होगा ? यह बहुत ही गम्भीर बात है और इस पर सदन को विचार करना चाहिये। चाहिये तो यह था कि इस तलवार को तोपाखाने में जमा किया जाता, मगर उसे राजभवन में

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

में रखा गया । इससे साफ जाहिर है कि इसके पीछे क्या उद्देश्य था । इस तलवार को ले जाकर उसमें से कीमती सामान को निकाल कर फिर उसे रिप्लेस करने की इसमें योजना प्रतीत होती है । यह इतनी भयानक घटना घट गयी, मगर इसकी रिपोर्ट आज तक हजरतगंज थाने में नहीं लिखायी गयी । अतः इस गम्भीर मामले पर आज इस सदन की कार्यवाही रोक कर इस पर विचार किया जाना चाहिये ।

*श्री मोतीलाल देहलवी--

अध्यक्ष महोदय, आपने इसे अस्वीकार तो कर दिया है ..

श्री अध्यक्ष--

मैंने अभी यह नहीं कहा है कि इसे अस्वीकार करता हूं, मैंने कहा है कि इस पर विचार करना है । आपको मैं सुन रहा हूं ।

श्री मोतीलाल देहलवी--

मान्यवर, यह एक तो निश्चित विषय है और दूसरे यह घटना हाल ही की है । तलवार कब गायब हुई यह मैं नहीं जानता, लेकिन प्रकाश में यह घटना 19 तारीख को ही आयी है । आप चाहे माने या न माने, लेकिन उत्तर प्रदेश में यह बहुत ही गम्भीरतम घटना है । आगे भविष्य में इससे भी गम्भीर घटना घटित हो जाये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अभी तक यह गम्भीरतम घटना है । इसमें मान्यवर कई चीजें उलझी हुई हैं ।

क्या रहस्य अथवा राज है, तलवार को कौन ले गया ? सबसे ज्यादा कड़ा पहरा माननीय राज्यपाल के यहां रहता है, गुप्तचर विभाग रहता है, कई तरह की पहरेदारी होती है, बाहर भी चौकसी रहती है, यह सब होते हुए भी तलवार आखिर कहां गयी, यह रहस्य इसमें है जो समझ में नहीं आता । दूसरे छोटी से छोटी घटना की रिपोर्ट होती है तो आखिर इस घटना की रिपोर्ट कई दिन तक क्यों नहीं हुई ? जब एक चीज बेशकीमती है, रत्न जटित सोने की तलवार है, वह चोरी गयी तो आखिर उसकी रिपोर्ट न होने का क्या कारण है? दूसरे सरकार मौन धारण किये रही और सरकार ने इस घटना को छिपाने की भरसक कोशिश की और यह घटना जनता से छिपी रही । किसी तरह से यह घटना एक दिन प्रकाश में आई । तो यह राज समझ में नहीं आ रही है कि सरकार ने आखिर इस घटना को क्यों छिपाये रखा, क्यों मौन रही ? मुख्य बात यह है कि आज प्रदेश की जनता इस घटना के फलस्वरूप यह सोच रही है कि जब प्रदेश के राज्यपाल जी के यहां चोरी हो सकती है, राज्यपाल के सामान की, अतिथि गृह के सामान की, ऐतिहासिक वस्तु की इतने कड़े पहरे के बावजूद अगर चोरी हो सकती है तो स्वाभाविक तौर से प्रदेश की जनता यह सोच सकती है कि इस सरकार के द्वारा उसके जानोमाल की हिफाजत कैसे हो सकती है और प्रदेश की जनता यह जानना चाहती है कि इस माननीय सदन के माध्यम से कि आखिर इस घटना के पीछे क्या रहस्य छिपा हुआ है ? इसलिये मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इसे कार्य स्थगन के रूप में स्वीकार करें ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

*श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, इसमें दो तीन प्रश्न खड़े हो गये हैं। सबसे पहले उस तलवार की कीमत दो तीन हजार है ऐसा कहके उसका मूल्य घटाने की कोशिश हो रही है जिससे जनता इसके महत्व को न समझ सके। कोई चीज जो उपहार में मिली है उसका कोई मूल्य नहीं होता, यह अमूल्य निधि है लेकिन वह गायब हो गयी। उसी दिन एक कार भी गायब हो गयी जिसके बारे में कहा जाता है कि वह उनका व्यक्तिगत कार थी। कुछ लोगों ने उनसे त्यागपत्र भी मांगा है। जो पद हम सब के लिये आदरणीय है, विवाद से परे है उस सम्बन्ध में चर्चा करके अफवाहें फैलाने की कोशिश की जा रही है उससे महामहिम राज्यपाल को मुक्त किया जा सके इसके लिये यहां पर चर्चा करना अनिवार्य है कि आखिर वह तलवार गयी कहां जबकि वहां पर इतना कड़ा पहरा होता है? वहां भी हमारी विधान सभा का नियन्त्रण है। उनके रक्षक, सुख सुविधा तथा सेलरी आदि को यहीं से अनुमति दी जाती है। उनका जो खर्चा है अथवा ठाट बाट है उस पर विवाद नहीं हो सकता, विवाद रहित ढंग से उनका बजट यहां से पास होता है लेकिन सुरक्षा की मूलतः जिम्मेदारी प्रदेश शासन की है। जब वहां रखी हुई अमूल्य निधि गायब हो सकती है तो एस0 पी0 का गायब होना, मंत्रियों के यहां चोरी होना बहुत छोटी घटनायें हैं। इससे यह आभास होता है कि प्रदेश शासन का नियन्त्रण समाप्त हो गया है। महामहिम राज्यपाल के बारे में जो अफवाहें फैल रही हैं उनका प्रतिवाद होना आवश्यक है। लिहाजा अगर सही ढंग से यहां पर उस सम्बन्ध में विचार-विमर्श हो सकेगा तो सही तथ्य देश व प्रदेश के समक्ष उजागर हो सकेंगे और तलवार की चोरी के कारणों का पता चल सकेगा।

*श्री भोखा लाल--

अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न तात्कालिक है और निश्चित है, इसमें कोई संदेह नहीं है, इससे आप सहमत होंगे। जहां तक इसके लोक महत्व का प्रश्न है, आज यह प्रश्न है कि राज भवन से, संगीनों के पहरों से तलवार की चोरी हो गयी। 18 तारीख को कहा जाता है कि चोरी हुई है, लेकिन राजभवन से किसी के द्वारा भी आज तक थाने में चोरी की रिपोर्ट नहीं दर्ज कराई गयी है। मान्यवर, इससे जुड़ जाता है दूसरी घटना, 1955 में शाह ने उसको पब्लिक फंक्शन में प्रजेंट किया था, उसकी फोटो सूचना विभाग द्वारा ली गयी थी, लेकिन वह फोटो भी गायब हो जाती है और उसी से जुड़ जाती है, निजी सम्बन्धी की कार जो बिल्ली जाती है। मान्यवर, न सूचना विभाग की रिपोर्ट, न तलवार की कोई रिपोर्ट और न कार की कोई रिपोर्ट, अजीब बात है। एक नियोजित ढंग से इस सबको किया गया। मान्यवर, जैसा माननीय मोहन सिंह ने कहा कि आज जैसी शंका की निगाह से राज्यपाल महोदय को और उनके परिवार के लोगों को देखा जा रहा है, मान्यवर, यह शंका दूर होनी चाहिए। मान्यवर, आज ही माननीय मुख्य मन्त्री ने कहा कि उनकी हथकड़ियां किसी भी दोषी के हाथों में पड़ने से रुक नहीं पायेगी। मान्यवर, आज तक वह हथकड़ियां क्यों नहीं पड़ गयीं, यह विवाद का विषय है। मान्यवर, इस पर चर्चा होना अति आवश्यक है।

*श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री ने हमारे मुरादाबाद के सम्बन्ध में होली के बारे में और 25 लाख रुपये की तलवार, एक जो प्रतीक थी सऊदी अरबिया का, एक

*वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जो जनता के प्रति रिसेप्शन में उनके कार्यक्रम का यह सामान था, उनका प्रतीक यहां से गायब होना और जो मुबारकबादी देते हैं कि जिन्होंने उस चीज को प्रेस में लाया, जैसा कि भोखालालजी ने कहा कि उसकी कोई रिपोर्ट शासन की तरफ से नहीं हुई है और जब प्रेस वालों की तरफ से बात आई कि रिपोर्ट हजरतगंज में हुई। जो माडेस्ट थी, उस तलवार के, जहां पर हमारे हजारों लोग हर साल जाते हैं, उत्तर प्रदेश से उनकी निगाह में उत्तर प्रदेश सरकार की आज क्या स्थिति रही कि जो उन्होंने गुडविल के अन्दर एक तलवार पेश की थी, उनकी तलवार गायब हो गयी। तो इस तरह के एक अन्तराष्ट्रीय सवाल वह बन जाता है। मैं खुद उसमें हूं कि एक तरफ तो महामहिम राज्यपाल का आचरण कि वह बचाव की कोई शक्ल नहीं है राज्यपाल के ऊपर। दूसरा यह कि उस पर कोई बहस नहीं होगी, तीसरी तरफ कि अनेक शंकायें और यह सब मिलकर कि जिसके कि बगैर चर्चा किये काम चल ही नहीं सकता। मैं आग्रह करूंगा कि निश्चित तौर से घंटा-दो घंटा इस पर चर्चा हो जाय कि कार वगैरह कैसे चली गयी, तलवार कैसे गायब हो गयी।

*संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, तलवार की सूचना 18 मार्च, को सबसे पहले यहां पर मिली और उसी वक्त सूचना सेक्रेटरी को दी गयी और फौरन पुलिस आफिसर ने उसकी जांच शुरू की। यह मामला सी0 आई0 डी0 को दिया गया है। मान्यवर, एक प्रश्न यहां पर उठाया गया कि जहां तक तलवार के गायब होने और उसके पता लगाने की बात है, जहां तक सम्मानित सदस्यों ने चिन्ता व्यक्त की, मैं उससे सम्बद्ध करता हूं। सरकार इस प्रयत्न में है कि जल्द से जल्द इस बात का पता लगे कि कौन से लोग उसमें शामिल हैं। जो रिपोर्ट लाज करने की बात है कि अभी तक रिपोर्ट लाज नहीं की गयी, मान्यवर, बहुत से मामले जिनकी सी0 आई0 डी0 द्वारा जांच की जाती है, उसको फौरन एफ0 आई0 आर0 नहीं लाज कराई जाती है, जब मामला सामने आ जाता है, तब रिपोर्ट कराई जाती है मैं इससे सहमत हूं कि यह बड़ा गम्भीर मामला है और इसकी जांच होनी चाहिए। जिस प्रकार से तलवार गायब हुई है, सबसे पहली चीज यह है कि उसका पता लगाना। उसका पता लगाने के लिये ज्यादा उपयुक्त यह होगा कि सी0 आई0 डी0 को उसके काम पर छोड़ दें। चर्चा करने से और विशेष रूप से राज भवन से सम्बन्धित चीजों पर चर्चा करने से कोई लाभ नहीं होगा। महामहिम का भी नाम लाया गया। जिसके यहां चोरी होती है, उसका नाम बीच में नहीं लाया जाता है। यह इतना गम्भीर मामला है...

(व्यवधान)

श्री मोहन सिंह--

कई लोग चोरी करके फंसा देते हैं।

श्री अम्मार रिजवी--

दूसरा प्रश्न किया गया था, व्यक्तिगत गाड़ी की चोरी के बारे में। इस विषय में मान्यवर, 15-3-81 को कुछ लोग उनके परिवार के शापिंग के लिये गये थे, वहां पर उनकी पद्मिनी कार चोरी हो गयी। उससे और राजभवन की चोरी से कोई सम्बन्ध नहीं है। कार और तलवार की चोरी का जो सम्बन्ध लगाया जा रहा है, तो यह मैं समझता हूं सम्बन्धित नहीं है।

श्री रियासत हुसैन--

मन्त्री जी यह बतायें कि कार परचेज कहां से हुई और रजिस्टर कहां पर हुई ?

श्री अम्मार रिजवी--

यह सारी बातें जो हैं, इन पर सी0 आई0 डी0 की जांच आवश्यक है और वह पूरी हो जानी चाहिये, तब सारे तथ्य सामने आ जायेंगे ।

श्री अध्यक्ष--

मैंने आप सभी माननीय सदस्यों की बात सुनी । जहां तक राज्यपाल या उनके किसी क्रिया--कलाप का सम्बन्ध है उसके सम्बन्ध में कोई भी बात यहां चर्चा करने या वाद-विवाद करने की बात है, तो मैं यह निश्चित रूप से मत व्यक्त करता हूं कि उनके क्रिया कलाप के सम्बन्ध में कोई भी किसी भी प्रकार की चर्चा सदन में नहीं हो सकती।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य कृपया ध्यान से सुनें, यह एक चोरी की घटना है। चूंकि यह एक राजभवन की चोरी की घटना है और चूंकि यह एक हमारे मित्र देश द्वारा दी गयी सौगात दी हुई की चोरी की घटना है, इसलिये इसका महत्व है अन्यथा यह घटना केवल चोरी की है ।।

श्री मोहन सिंह--

सीनाजोरी की भी ।

श्री अध्यक्ष--

ऐसी दशा में इस घटना के सम्बन्ध में अभी मैं समझता था कि जहां तक कार्य स्थगन का प्रश्न है तो चोरी की घटनाओं पर कार्य-स्थगन का प्रश्न चाहे वह कितनी भी महत्वपूर्ण चोरी हो, उसको मैं स्वीकार करूं, और इसे आप भी नहीं चाहेंगे, इसलिये मैं इसको अस्वीकार करता हूं । जहां तक मैं सोचता था कि इसके सम्बन्ध में वक्तव्य दिला दूंगा, तो वक्तव्य तो हो ही गया है ।

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, यह कोई वक्तव्य नहीं है ।

श्री अध्यक्ष--

अगर यह कोई वक्तव्य नहीं है तो भी शासन को निर्देश देता हूं कि वह वक्तव्य दे इसे केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार किया जाता है, जब वक्तव्य आप देना चाहें दे दें इसके अलावा 26-27 को सामान्य प्रशासन पर चर्चा है, उस समय आप जो कहना चाहे, कहें ।

(व्यवधान)

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, इस पर वक्तव्य 26-27 से पहले आ जाना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष--

(संसदीय कार्य मंत्री की ओर इंगित करते हुए)

वक्तव्य के लिये आप तिथि बतायेंगे ?

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, इस समय जो तथ्य थे वह मैंने आपके समक्ष रख दिये । 26 तारीख तक मैं नहीं समझता कि हम इस स्थिति में हो सकें कि कुछ दे सकूं, इसलिये इसके बाद वक्तव्य रख सकते हैं ।

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, 26 के पहले वक्तव्य दिलवा दें ।

श्री मोहन सिंह--

26 के पहले ही वक्तव्य दिलायें ।

श्री अम्मार रिजवी--

26-27 को तो मोहन सिंह तलवार चलायेंगे ही, उसको कौन रोक सकता है ।

श्री अध्यक्ष--

26 मार्च को यदि निर्देश दिया भी जाय कि वक्तव्य दें और फिर वह कह दें कि जांच हो रही है, तो उससे कुछ बात बनती नहीं है । दिनांक 26-27 मार्च को गृह विभाग पर सामान्य चर्चा है, इसलिये उसमें जो कुछ कहना चाहें वह आप कह सकते हैं ।

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, 26 के पहले वक्तव्य दिलवा दें ।

श्री अध्यक्ष--

26 को वक्तव्य न दे सकें तो जो तारीख आपको सुविधाजनक हो वह बतला देंगे तो हम सदन को सूचित कर देंगे ।

श्री अम्मार रिजवी--

ठीक है ।

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, जो चोरी हुई है वह इन्टरनेशनल अखबारों में छपने से दूसरे देशों में उसको जानने की बड़ी उत्सुकता है कि इसमें क्या बात है और सरकार आपके निर्देश की भी अवहेलना कर रही है । इसलिए निर्देशों की उपेक्षा की वजह से मैं सदन का त्याग कर रहा हूं ।

(श्री रियासत हुसैन अपने दल सहित सदन त्याग कर चले गये)

(व्यवधान)

श्री भीखा लाल--

मान्यवर, साधारण चोरी का मसला नहीं है इसमें बहुत बड़ी साजिश है क्योंकि जब तलवार चोरी चली गयी तो साथ ही साथ सूचना विभाग से निगेटिव भी गायब हो जाते हैं और मंत्री जी ने इसके संबंध में कुछ नहीं कहा है। इस पूरी घटना को हल्केपन से लिया जा रहा है इसलिये सरकार के इस रवैये से मैं सदन का त्याग कर रहा हूं।

(श्री भीखालाल अपने दल सहित सदन त्याग कर चले गये)

(व्यवधान)

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

(व्यवधान)

मान्यवर, मुझे दो मिनट सुन लें।

श्री अध्यक्ष--

आप सब बैठ जायें। आप लोग बैठ जायें। आप बैठ जायं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, जिस कार्य-स्थगन की सूचना मैंने दिया था वह उत्तर प्रदेश की 80 प्रतिशत जनता से संबंधित है। मैं मेरिट पर नहीं जाऊंगा, ग्राह्यता पर जाऊंगा। सरकार ने केन्द्रीय सरकार से कहा था कि 140 रुपये गेहूं का मूल्य घोषित किया जाय लेकिन उसको 130 रुपये घोषित किया गया। । इससे सभी किसान परेशान हैं। इसलिये मैं चाहता हूं कि सरकार अपने दायित्वों को पूरा करने में असफल है इसलिये इस पर बयान ही मान्यवर, दिलवा दें जिससे जनता को संतोष हो जाये।

श्री अध्यक्ष--

नहीं, आप बैठ जायें।

[समय 1 बजकर 55 मिनट]

1981-82 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या 27--लेखन-सामग्री और मुद्रण, अनुदान संख्या--63-भारी एवं मध्यम उद्योग, अनुदान संख्या 65--ग्राम एवं लघु उद्योग, अनुदान संख्या 66--खाने तथा खनिज, अनुदान संख्या 88--उद्योग विभाग-पूंजीगत परिव्यय तथा अनुदान संख्या 116--उद्योग विभाग--ऋण और अग्रिम

उद्योग मंत्री (श्री नियाज हसन खां)--

मान्यवर, आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 27-उद्योग विभाग (लेखन-सामग्री और मुद्रण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 7,51,26,000 रु0 से अनधिक धनराशि स्वीकृत जाय।

मैं आपकी आज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 63-उद्योग विभाग-(भारी एवं मध्यम उद्योग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,61,09,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

मैं आपकी आज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 65-उद्योग विभाग (ग्राम एवं लघु उद्योग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 20,07,97,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(इस समय 1 बजकर 57 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री बलदेव सिंह आर्य पीठासीन हुये।)

मैं आपकी आज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 66-उद्योग विभाग (खानें तथा खनिज) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,04,37,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मैं आपकी आज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 88-उद्योग विभाग-पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 22,29,17,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मैं आपकी आज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 116-उद्योग विभाग-ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 9,79,90,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह उद्योग विभाग का बजट होली के बाद आया है। आपकी इजाजत से मैं जो माननीय सदस्य हैं उनको होली की मुबारकबाद देता हूं, बधाई देता हूं और इस प्रान्त के निवासियों को जिस शान्ति से होली मनाई गई, जिसका उदाहरण नहीं है उनको बधाई देता हूं और अपनी सरकार को बधाई देता हूं जिन्होंने मुनासिब इन्तजाम किया। जहां तक हमारे मोहन सिंह जी का सवाल है, पता नहीं हमारे आइडेन्टिटी कार्ड से क्यों परेशान हैं। अब वह तलवार लटकाये हुए हैं पता नहीं किसकी गर्दन पर पड़ेगी। अध्यक्ष महोदय, हमारा प्रदेश कृषि पर निर्भर है अधिक तौर पर और वह इस सीमा पर पहुंच गया है कि अगर हमारे प्रान्त का औद्योगीकरण नहीं किया जाता तो हमारा प्रदेश इतना बड़ा है, मिनी इंडिया, छोटा हिन्दुस्तान कह सकते हैं इतने बड़े प्रान्त की उतनी ही बड़ी समस्यायें हैं। उन समस्याओं को हल करने के लिए हमारे

[श्री नियाज हसन खां]

प्रान्त का औद्योगीकरण के लिए आपका सहयोग चाहिये और आपने कटौती का प्रस्ताव पेश कर दिया है तो आपका मेरे साथ सहयोग क्या है ? क्या आप चाहते हैं ? ऐसे मोड़ पर यह प्रान्त पहुंच गया है, अगर औद्योगीकरण नहीं किया जाता तो बेरोजगारी हल नहीं हो सकती । अगर पढ़े-लिखे लोग रोजगार में नहीं लगेंगे तो जो वारदातें और चोरी डकैतियो में पढ़ेलिखे लोग, उनके बारे में आजकल जो अखबारों से मालूम होता रहा है तो उसमें कोई कमी आने वाली नहीं है ।

मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि केवल सरकार ही, चाहे केन्द्र की सरकार हो या उत्तर प्रदेश की सरकार हो, अगर पूरा धन भी लगा दें तो सम्भव नहीं है कि इस प्रान्त का औद्योगीकरण हो सके । मगर उसके बावजूद भी हमारी सरकार इसमें पूरी सख्ती के साथ लगी हुई है और तमाम संस्थायें, तमाम उद्योग जो आपके सामने हैं उनको लगाने की चेष्टा हम कर रहे हैं । जो हमारी सरकार ने कदम उठाया है, आप अखबारों में देखते हैं तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने उद्योग सरकार लगा सके लगाये, केन्द्र सरकार लगा सके-लगाये लेकिन उसके बावजूद भी निजी क्षेत्र में भी हम आह्वान करते हैं कि जो उद्योग, जो चीजें यहां कम उपलब्ध हैं, मिसाल के तौर पर सीमेंट उसमें हम आह्वान करते हैं कि कोई निजी क्षेत्र में लगाना चाहें तो कोई रोकटोक नहीं है । इसी तरह से बिजली के सम्बन्ध में हम आह्वान करते हैं, गाजियाबाद, कानपुर, नैनी क्षेत्र में जो इंडस्ट्रियलिस्ट वहां लगाना चाहें अगर वह मिलजुल कर कोआपरेटिव सेक्टर में अपनी पावर हाउस लगाना चाहेंगे तो हम उसका वेलकम करेंगे, और चाहेंगे कि यह जो बिजली की कमी है, कम से कम उन क्षेत्रों में जहां उद्योग लगे हैं वहां लोग अपने तरीके से पावर हाउस लगा सकें । इसी तरीके से जो हमारा बिजली विभाग है, उसके अलावा उद्योग विभाग भी सोच रहा है कि कैपटिव प्लांट सिकंदराबाद में लगाया जाय ताकि इस प्रांत का औद्योगीकरण जल्दी से जल्दी हो सके ।

आपने देखा होगा कि मुख्य मन्त्री जी ने 1981-82 वर्ष को उद्योग का वर्ष एलान किया है । इसके लिए जो हमारे उद्योग लगाने वाले हैं उनको कोई कठिनाई न हो, सबसे कठिन चीज उद्यमियों को यह है कि उनको विलर टु पोस्ट दौड़ना पड़ता था तो उसके लिए वन विंडो या कांटेक्ट प्वाइंट बना रहे हैं ताकि एक ही जगह पर तमाम जानकारियों जैसे क्या-क्या फार्म भरने हैं, कहां-कहां ऋण मिलेगा, कौन-कौन उद्योग लगा सकते हैं आदि चीजों की जानकारी मिल सके । हमने कांटेक्ट प्वाइंट की स्थापना की है और हम आशा करते हैं कि जब उस खिड़की में आप कुछ दिनों बाद जायेंगे, चाहे उद्यमी हों या आप लोग हों, तो आप देखेंगे कि सब सुविधायें, तमाम इन्फारमेशन एक विंडो पर आपको मिलेंगी ।

हमने यह भी लक्ष्य रखा है और इस बात पर जोर दिया है कि छोटे-छोटे उद्योग कुटीर उद्योग ब्लाक स्तर पर लगें । बड़े-बड़े कारखाने लगाने से बेरोजगारी का मसला नहीं हल होने वाला है । जब तक ब्लाक स्तर पर उद्योग नहीं खोले जायेंगे चाहे वह खादी बोर्ड के हों चाहे ग्रामीण उद्योग हों, आपको मालूम होगा कि 883 या 886 ब्लाक हैं, जितनी हमारी संस्थायें हैं उनके माध्यम से और आपके सहयोग से हमने लक्ष्य बनाया है कि हर ब्लाक में एक साल में कम से कम 12 उद्योग लगें । तो चाहे वह छोटे से छोटा उद्योग हो ताकि इस तरीके से एक साल के अन्दर 10 हजार उद्योग हम लगा सकें । 886 ब्लाक हैं, अगर एक ब्लाक में 12 लगें । अभी मैं सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र का ही जिक्र कर रहा हूं, शहर के बारे में नहीं, तो इस तरह से एक साल में 10 हजार उद्योग लग सकेंगे । इसमें भी आप लोगों

की सहायता की जरूरत है और हमारी सरकार तो इस सम्बन्ध में जागरूक है ही। छोटे से छोटे उद्योग ही अगर ले लिए जायें और उनमें अगर 5 आदमी भी काम में लगें तो इस तरह से 5 हजार आदमियों को रोजी का मौका मिलेगा। तो इस तरह से हम प्रान्त की बेरोजगारी को किसी हद तक दूर कर सकेंगे। आप देखें कि हमने इसी तरह के लक्ष्य बनाये हैं। इसके अलावा भी हमने केन्द्र से तो किसी तरह से 7 जिलों के लोगों को आमन्त्रित किया था। जो प्रान्त के बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट हैं और इसमें यह तय पाया गया कि उत्तर प्रदेश में 100 ब्लाक लिये जायें तो इससे मैं समझता हूं कि ब्लाक स्तर पर लेने से यह फायदा होगा कि जो भी योजनाएं होंगी वह ग्राम स्तर तक जायेंगी और इससे 100 ब्लाक्स डेवलप हो सकेंगे। हमारे यहाँ इन्फ्रा स्ट्रक्चर की कमी नहीं है। परन्तु उद्योगों को स्थापित करने के लिए जमीन की समस्या है। लेकिन जहां पर जमीन का किस्सा होता है तो हमारे भाई मोहन सिंह जी कहने लगते हैं कि वह काश्तकार की भूमि आ रही है, यह नहर की जमीन है। यह इसकी है और वह उसकी जमीन है। तो फिर उद्योग स्थापित कहां हों, क्योंकि यहां पर आप लोगों का सहयोग नहीं और उत्तर प्रदेश में उद्योग स्थापित भी होने चाहिये। इसके लिए हमारी सरकार पूरे तौर पर प्रयत्नशील है कि उद्योग उत्तर प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा स्थापित हों, चाहे फिर उसमें कोई भी परेशानी आ खड़ी हो, उसको देखेंगे। चाहे सड़क आवे, बिजली के खम्बे आयें या रेल पड़े, हमारे जो लक्ष्य बने हुये हैं, हमें उन्हें 5 साल के अन्दर जरूर पूरा करेंगे ताकि कुछ न कुछ उद्योग इन पांच सालों में स्थापित हो सकें।

(ताली)

श्री मोहन सिंह--

आप लोग इन्हें 5 साल तक बने रहने भी देंगे, जो ताली बजा रहे हैं ?

श्री नियाज हसन खां--

अधिष्ठाता महोदय, हमारे यहां जो उद्योग लगे हुए हैं, उनके बारे में बताना चाहूंगा कि हमारे यहां बहुत से निगम हैं, उसमें जितने निगम हैं उन निगमों में से कुछ का जिक्र करूंगा और उसमें कुछ उद्योग भी हैं। हमारे यहां टेक्सटाइल वस्त्र कारपोरेशन है, इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन्स हैं। पीतल, चमड़ा, कालीन और खेती के प्रयोग के लिए खाद वगैरह।

श्री मोहन सिंह--

कुछ लघु उद्योग के बारे में भी गिनायें।

श्री नियाज हसन खां--

अभी उनका भी जिक्र करूंगा। तो जो संस्थायें हैं उसके सम्बन्ध में आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि प्रदेश में औद्योगीकरण हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है। प्रदेशीय उद्योग एवं निवेश निगम, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश राज्य उद्योग विकास निगम, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स निगम, उत्तर प्रदेश राज्य वस्तु निगम, उत्तर

[श्री निथाज हसन खां--]

प्रदेश वित्तीय निगम, उत्तर प्रदेश राज्य सीमेन्ट निगम, उत्तर प्रदेश हथकरघा एवं वस्तु उद्योग निगम, ब्रास वेयर कारपोरेशन, उत्तर प्रदेश निर्यात निगम, उत्तर प्रदेश चर्म विकास निगम, इंडियन टरपेनटाइन एण्ड रोजिन कम्पनी, उत्तर प्रदेश सहकारी संघ।

अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं उत्तर प्रदेश राज्य उद्योग विकास निगम, लिमिटेड की कुछ चर्चा करूंगा। यह एक प्रमुख संस्था है। इसमें भूमि और भवन की सुविधा छठीं पंचवर्षीय योजना 1980-85 में 14 करोड़ के परिव्यय में से 1982 के बजट में एक करोड़ रुपये का अलाटमेन्ट है और मिले-जुले संयुक्त क्षेत्र में उद्योग लगाने के लिए अन्डर लाइटिंग शेयर इंडस्ट्रियल एरिया को डेवलप करने के लिए यही संस्था है. जैसा कि मैंने आपसे कहा कि 30 मेगावाट के प्लान्ट भी लगाने को सोच रहे हैं और वन सम्पदा याना फारेस्ट पर आधारित हलद्वानी में एक कामप्लैक्स लगाने का विचार है। हरिद्वार में भी एक एच0 एम0 टी0 का कारखाना लगाने का विचार है। पिछले दिनों गवर्नमेन्ट आफ इंडिया ने उसमें एरिया डेवलप करने के लिए कहा है।

दूसरी संस्था है हमारा पिकअप। जिसे प्रदेशीय निक्षेप निगम, उत्तर प्रदेश भी कहते हैं। छठीं पंचवर्षीय योजना में 1980-85 के दौरान 75 करोड़ का प्राविजन किया गया है। वित्तीय वर्ष 1981-82 में 3.05 करोड़ रुपए का आय-व्ययक में प्राविधान किया गया है। इस निगम में 28 ईकाइयां हैं, जिसके लिये 5.72 करोड़ की धनराशि 1980-81 में पहले से ही मंजूर कर ली गई है। 14 करोड़ रुपये की धनराशि देने की स्वीकृति वित्त से 8 करोड़ रुपये देने के अलावा रखी गई है। इसमें सबसे अधिक अच्छी बात यह है कि इसमें इंटरेस्ट फ्री सेल्स टैक्स का लोन है। संयुक्त क्षेत्र में दो उद्योग लगाने के लिए 1981-82 में जर्मन कम्पनी के साथ इसका एग्रीमेन्ट है। 30 लाख से ऊपर का उद्योग है और 60 लाख का ऋण दिया जा चुका है। इसमें 16 लाख का लाभ कराकर दो परसेन्ट का डेवीडेन्ट दिया गया।

इसी तरीके से यू0पी0एस0सी0 के लिए छठीं पंचवर्षीय योजना 1980-85 में 15 करोड़ के निर्धारित प्राविधान में से वित्तीय वर्ष 1981-82 में दो करोड़ रुपए का प्राविधान किया गया है। इस निगम में 1981-82 में 30 करोड़ की धनराशि स्वीकृत करने का लक्ष्य रखा गया है। इस निगम का लाभ 1979-80 में एक करोड़ चालीस लाख रुपये था। हमारे भूतपूर्व वित्त मंत्री ने यह कहा था कि जितने हमारी सरकार के निगम हैं या कारखाने हैं सब नुकसान पर चल रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि सिवाय सीमेन्ट के बाकी प्रदेश के जितने निगम हैं या कारखाने हैं, सब मुनाफे में चल रहे हैं और हमारी कोशिश यही है कि जल्दी से जल्दी सीमेन्ट कारपोरेशन भी अपने पैरों पर खड़ा हो सके।

अभी मैंने सीमेन्ट निगम की चर्चा की। छठी पंचवर्षीय योजना में 1980-85 में 3 करोड़ के प्राविजन में से 50 लाख का प्राविधान किया गया है। 1981-82 के दौरान चुर्क सीमेन्ट फैक्ट्री को मार्डेनाइज करने का प्रस्ताव है। चुनार क्षेत्र में इस उद्योग का प्रस्ताव स्वीकार हो गया है। सीमेन्ट का अधिक उत्पादन करने के लिए देहरादून, अल्मोड़ा और मिर्जापुर में छोटी-छोटी सीमेन्ट की इकाइयां लगाने का प्रस्ताव है।

सीमेन्ट कारपोरेशन आफ इंडिया से भी हमने अनुरोध किया है कि मिर्जापुर के इलाके में अपनी फैक्ट्री लगायें। जैसा कि मैंने अभी बताया कि निजी क्षेत्र में भी अगर कोई लगाना चाहेगा तो हमारी तरफ से कोई रुकावट नहीं होगी। मैं चाहता हूं कि जितनी चीजें मिल नहीं पा रही हैं उसके लिए अधिक से अधिक उद्योग लगें।

यू0 पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन। इस निगम पर मुझे ही नहीं बल्कि सरकार को भी फक्र है कि इस निगम ने हिन्दुस्तान ही नहीं बल्कि विदेश में भी अपनी जगह बनाई है। मैं चाहता हूं कि आप देखें कि क्या-क्या चीजें बनाई जा रही हैं। इसका एक सम्मेलन हुआ था और जो सार्टीफिकेट यू0 पी0 एलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन को मिला है उसको आप देखें। खाली आलोचना ही नहीं बल्कि जो अच्छा काम किया है उन को भी देखें। अभी हाल ही में आपने देखा होगा, इंग्लैण्ड की एक मशहूर फर्म है कम्प्यूटर बनाने की, उससे भी हम मिल जुल कर कारखाना बनाने जा रहे हैं। यू0 पी0 एलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन ने इस काम में 14 करोड़ रुपये का प्रावेजन किया है, जिसमें 1.96 करोड़ 80-81 के लिए किया गया है और जैसा कि मैंने आपसे कहा है सिर्फ यही नहीं बल्कि इसके प्रोडक्ट्स हम बाहर भी भेज रहे हैं फ्रान्स, लेबनान, अल्जीरिया आदि में।

दूसरा हमारा संस्थान है नोएडा। यह न्यू ओखला इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट (एन0 ओ0 आई0 डी0 ए0) अथारिटी है। इसका काम यह है कि उद्योग या कामर्शियल, रेजीडेंशियल-शिप स्थापित करें। इसका एरिया 8300 एकड़ है। यमुना के इस पार। जिसमें 4 हजार इकाइयां लगाने का प्राविधान है जिसमें 2 लाख 75 हजार आदमियों को रोजगार मिलेगा। इसमें 3.25 करोड़ का प्राविजन किया गया है। 81-82 के लिए 1.5 करोड़ रखा गया है। 4 सौ इकाइयों ने काम करना शुरू कर दिया है। 50 शेड और 3836 विभिन्न केटागिरी के निवास स्थान, 4 क्षेत्रीय दफ्तर, 150 व्यापारिक दुकानें, 4 नर्सरी स्कूल, 3 प्राइमरी स्कूल आदि-आदि स्थापित किये जायेंगे। और सब से मुख्य चीज 500 प्लाट उन लोगों के लिए रिजर्व रखे गये हैं, जो हिन्दुस्तान से बाहर रहते हैं और हिन्दुस्तान में व्यापार लगाना चाहते हैं और आना चाहते हैं।

टेक्सटाइल कारपोरेशन, उत्तर प्रदेश वस्त्र निगम, इसका प्लान एलोकेशन 50 करोड़ है, जिसमें 13 करोड़ 82 में दिया जायेगा। 8 लोग मिलें चला रहे हैं 25 हजार इसमें लगा था। 50 हजार स्पेंडिलस का प्राविधान है और इसके अलावा और भी सूत की मिलें लगायी जायेंगी। 5 इस कारपोरेशन के माध्यम से, 5 कोआपरेटिव सेक्टर से तथा 2 और सेक्टर में चल रहा है। इसकी जो कपेसिटी है वह 80 प्रतिशत है और इसका पिछले साल मुनाफा था 4 करोड़ रुपया। 3 वर्ष पहले जब मोहन सिंह जी इस विभाग के मंत्री थे तो यह घाटे में चल रहा था।

हथकरघा निगम--81-82 में 4 लाख 68 हजार का प्राविधान है। इसका काम कच्चा माल देना और जो माल बनकर तैयार हो उसको बंटवाना है और बुनकरों को

[श्री नियाज हसन खां--]

सुविधायें देना तथा डिजाइन सेन्टर स्थापित करना । बनारस में इसका सि । प्रोजेक्ट चालू किया जा रहा है और जरी का भी प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है । ब्रास वेयर कारपोरेशन (पीतल) छठी पंचवर्षीय योजना में 3.40 करोड़ है । 81-82 के बजट में .26 करोड़ है । यह निगम मुरादाबाद में स्थापित है और जो यह काम कर रहे हैं 80 प्रतिशत इसका विदेशों में जाता है और विदेशी मुद्रा जो हमारे प्रान्त में आ रहा है वह पीतल, कालीन और इस किस्म का जो आगरे में आपने देखा होगा ग्लास या फिरोजाबाद का ग्लास का काम तथा चिकन से विदेशी मुद्रा हासिल कर रहे हैं आपको उससे जानकारी है । यह ब्रास वेयर कारपोरेशन छोटे पीतल के कारीगरों के लिए एक रोलिंग मिल लगाई जा रही है जो पीतल की चादरें उनको बना कर देगा । पीतल की नगरी भी स्थापित की जा रही है क्योंकि उसमें जो काम करने वाले हैं अन्दर ऐसी-ऐसी जगहों पर हैं जहां पर उनकी सेहत पर असर पड़ता है तो उनको निकालकर हम चाहते हैं उनके लिए एक नगरी बन जाय जहां शेड हों, मकान हों और यह नगरी का काम जल्दी शुरू हो जायेगा और एक-एक शेड मय मकान 40 हजार से 60 हजार तक में पड़ेगा ।

खान और खनिज--छठी पंचवर्षीय योजना में 80-85 में 8.10 करोड़ का परिव्यय था 81-82 में 2.12 करोड़ रु० का प्राविधान किया गया है । यह संस्था देहरादून, मसूरी, मिर्जापुर में महत्वपूर्ण काम कर रही है । और अलावा वे चीजें जिससे सीमेन्ट बनता है, बौक्साइट, लाइम स्टोन डिपाजिट निकालने का, छान बीन करने का काम यह कर रहा है ।

इसी तरीके से हमारी संस्था है प्रिन्टिंग एण्ड स्टेशनरी जिस पर हमारे उस तरफ के बैठने वाले मित्रों ने कटौती का प्रस्ताव पेश किया है । वह प्रस्ताव जब आयेगा उसका उत्तर दिया जायेगा । ये हमारे प्रेस जो चल रहे हैं वे लखनऊ और इलाहाबाद में हैं और चूंकि काम बढ़ रहा है लिहाजा बनारस और रामपुर में भी खोले गये हैं और आशा यह करते हैं कि जब वे पूरी अपनी मात्रा में चलेंगे तो यह जो कटौती की शिकायत है वह भी नहीं रहेगी ।

श्री सूबेदार सिंह--

मैनपुरी की घोषणा नहीं की ।

श्री नियाज हसन खां--

आप चर्चा करेंगे तब घोषणा करूंगा । आप का सहयोग हो तो लाइये और मैं कहता हूं आप खुद क्यों नहीं लगाते ।

इसी तरीके से हमारी संस्था खादी बोर्ड है ।

श्री मोहन सिंह--

अपहरण हो रहा है....

श्री नियाज हसन खां--

वह तो आपके जमाने से शुरू से हो रहा है ।

यह ऋण सबसे सस्ती सूद पर देता है और मैं आप से अनुरोध करूंगा कि जब अपने क्षेत्र को जायें तो इसी पर ज्यादा बल दें क्योंकि इससे सस्ता ऋण

किसी और जगह से आप को मिलने वाला नहीं है । ग्रामीण योजनायें जितनी हैं उनमें हम आप मिलकर चलेंगे तभी उस क्षेत्र की उन्नति हो सकेगी । यह हमारे यहां जो रजिस्टर्ड इकाइयां हैं या कोआपरेटिव सोसाइटीज हैं उनको भी ऋण देता है 6 लाख तक । वर्तमान वर्ष में 572 लाख 76 हजार रुपये बांटने का एलाटमेंट है । इस वर्ष तक 212 ग्रोथ सेन्टर इस संस्था ने खोले हैं ।

उसके बाद उत्तर प्रदेश राज्य श्रम विकास एवं बिक्री निगम, यू0 पी0 लेदर डेवलपिंग एण्ड मारकेटिंग निगम , कच्चा माल मिलने के लिए और माल बन जाने के बाद बेचने के लिए, डिजाइन और टेकनीक सेन्टर खोलने के लिए, ये सब सुविधायें इस निगम के द्वारा हैं और सुल्तानपुर, फैजाबाद वगैरह में इसके डिपो खोले गये हैं । मुरादाबाद में भी इसको खोलने की स्कीम है । फतेहपुर, बस्ती जैसे क्षेत्रों में भी कुछ इस विभाग के द्वारा खोलने का विचार है ।

उसके बाद हमारी संस्था यूपिका, उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी संघ, यू0 पी0 इण्डस्ट्रियल कोआपरेटिव एसोशियेशन (यू0 पी0, आई0 सी0 ए0) है । इसको अभी पहली मरतबा एक करोड़ की कैश क्रेडिट लिमिट रिजर्व बैंक ने दी है, जिसके कारण वह जो दिक्कतें महसूस कर रही थी, उन दिक्कतों को कम करने में सहायता मिलेगी । इसके नीचे 1212 हैण्डलूम सोसाइटीज हैं । हाल ही में जो बम्बई में नुमाइश हुई थी हैण्डलूम की इस संस्था ने तमाम देश भर से जितने हैण्डलूम उस एग्जीबिशन में आये थे उसमें पहला इनाम यू0पी0 के हैण्डलूम द्वारा जो माल उत्पादित किया गया था, जो हमने यहां पर शो में रखा था, उसको मिला था ।

अधिष्ठाता महोदय, सबसे अधिक और सबसे महत्वपूर्ण जो हमारी संस्था है वह है हमारा उद्योग निदेशालय (डाइरेक्टोरेट आफ इंडस्ट्री) है । यह हमारे विभाग का दिल है और इसी पर हमारे मोहन सिंह जी की नजर रहती है । इसका एक जाल फैला हुआ है कानपुर से लेकर हर जिले में और हर डिवीजन में । मैं इस बात को तो नहीं कहता कि हर जिले की इकाइयां बहुत अच्छी चल रही हैं मगर हमारा प्रयास है कि जब आप कुछ दिनों के बाद अपने जिलों में जायेंगे तो वहां इन इकाइयों में जरूर परिवर्तन पायेंगे । हमारा आदेश है कि जो भी सरकारी कर्मचारी हमारे जिलों में हैं वे उद्यमियों को सहायता दें और उनको जो कठिनाई हो, उन्हें वे दूर करायें ।

हमारे भाई रियासत हुसैन जी अक्सर मुरादाबाद की चर्चा करते हैं और जाहिर है । हम उनसे इतना जरूर अनुरोध करेंगे और कहेंगे कि जितना दर्द उनको है, हमको या हमारी सरकार को उससे कम नहीं है । जो दिक्कतें झगड़े के दिनों में वहां के छोटे–छोटे धन्धे करने वालों को हुई थीं उस सिलसिले में अगर पूरा ब्योरा न भी बताया जाय तब भी मैं बताना चाहता हूं कि वहां पर लोगों को 20 लाख रुपया दिया गया है । चाहें वह सी0 वी0 डी0 का हो, सूत का हो, सर्विसिंग का हो, चाहे पोर्टर के चार्जेज हों चाहें कोई भी ऐसा कारोबार हो, उस सिलसिले में 20 लाख रुपये की सुविधा दी गई है ।

इन शब्दों के साथ में अनुरोध करूंगा कि जो मैंने अनुदान प्रस्तुत किया है उसको सम्मानित सदस्य स्वीकार करेंगे और इसलिए स्वीकार करेंगे कि अगर आप इस प्रदेश का औद्योगीकरण चाहते हैं और आप चाहते हैं

[श्री नियाज हसन खां—]

कि यहां पर बेरोजगारी कम हो, गरीबी दूर हो तो इसके लिए आपकी स्वीकृति जरूरी है ।

श्री केदार नाथ सिंह—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 27—उद्योग विभाग (लेखन सामग्री और मुद्रण) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 63—उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 65—उद्योग विभाग (ग्राम एवं लघु उद्योग) के अंतर्गत संपूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 66—उद्योग विभाग (खानें और खनिज) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 88—उद्योग विभाग—पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 116—उद्योग विभाग ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत संपूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, अभी माननीय मंत्री जी ने अपने विभाग के बारे में कुछ कहा, 'कुछ' शब्द मैंने इसलिए इस्तेमाल किया कि जो आशायें प्रदेश की जनता को और विपक्ष को थीं वह उनके भाषण से निर्मूल साबित हो रही हैं क्योंकि ग्रामीण अंचलों के विकास के लिए उन्होंने केवल बात ही कही लेकिन शासन की नीति क्या है, आने वाले वर्ष में कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण अंचलों के विकास के लिए करने जा रहे हैं कुछ नहीं बताया । इतना ही नहीं ग्रामीण अंचलों में जो

दस्तकार हैं, ठठेरा, कुम्हार, लोहार, बढ़ई आदि जो अपनी परम्परा के अनुसार ग्रामीण अंचलों में दस्तकारी करते हैं उनके बारे में भी माननीय मंत्री जी ने कुछ नहीं कहा। यह महत्वपूर्ण योजनाओं के विकास के बारे में जो ग्रामीण अंचलों में होनी चाहिये उनके बारे में कुछ नहीं कहा गया।

मान्यवर, माननीय मंत्री जी पहले इस पक्ष में भी रहे हैं उस समय लगता था कि इनके दिमाग में बहुत सारी बातें प्रदेश की तरक्की के लिए हैं, लेकिन यह दुर्भाग्य की बात है कि सत्ता पक्ष में जाकर सारी बातें भूल गये और आज उन्हीं बातों को यहां टेपरिकार्डर की तरह दोहराते रहे, जो विभागीय अधिकारियों ने लिखकर दे दी और उन्होंने अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं किया।

मान्यवर, सबसे पहले मैं आपका ध्यान सन् 1966-67 की तरफ आकर्षित करना चाहूंगा। मान्यवर, पहले भी देश व प्रदेश में कांग्रेस का शासन रहा। उद्योग के विकास में 1969 तक जो हुआ उसके बाद जो हुआ उन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। जब देश में जनता पार्टी का शासन आया तो मैंने तत्कालीन उद्योग मंत्री जी का भाषण पढ़ा और जो वस्तुस्थिति थी उसको भी मैंने देखा। उससे पूर्व लघु उद्योगों की तरफ तत्कालीन शासक दल ने कभी ध्यान नहीं दिया। बड़े और मध्यम उद्योगों की तरफ तो ध्यान जाता रहा लेकिन ग्रामीण अंचलों के उद्योगों की तरफ ध्यान नहीं जाता था और उनकी बराबर उपेक्षा होती रही, जिसके कारण ग्रामीण अंचलों में उद्योगों का विकास नहीं हुआ। इतना ही नहीं 1969 के बाद मुझे 71 की बात याद आ रही है। उस समय जब सारे विरोध पक्ष के लोगों ने एक महागठबन्धन किया और उसके माध्यम से सत्ता पक्ष को हटाने की चेष्टा की तो कांग्रेस पक्ष की नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी ने बड़े जोरदार शब्दों में देश और प्रदेश की जनता से कहा कि मैं देश की बेरोजगारी और गरीबी समाप्त करना चाहती हूं और विरोध पक्ष के लोग मुझे हटाना चाहते हैं। इस पर प्रदेश की जनता ने उचित समझा कि प्रदेश और देश की गरीबी और बेरोजगारी हटाई जाए और इन्दिरा गांधी को हटाने की आवश्यकता नहीं समझी। इसीलिए उसने भारी बहुमत से उनको दिल्ली की सल्तनत पर बिठाया। लेकिन मतदाताओं को जो विश्वास था, उनको जो आशायें थीं, उनकी आशाओं और विश्वासों पर पानी फिर गया। उस काल में एक भी भूमिहीन या बेरोजगार व्यक्ति को कर्जा दिलाने का काम नहीं हुआ कि वह अपनी बेरोजगारी दूर करने के लिए कोई उद्योग-धंधा खोल सकें। जब कभी भी विकास कार्यों के लिए, उद्योगों के विकास के लिए या इंडस्ट्री खोलने के लिए रुपया दिया गया है तो उन्हीं लोगों को दिया गया है, जो भारी जमानत इकट्ठा कर सके। जो बेरोजगार शिक्षित युवक थे, उनको रोजी देने के लिए, उद्योग के नाम पर कुछ नहीं किया गया। यह सिलसिला चालू होता है और जब उनका शासन काल समाप्त होता है तो वहां से यह अध्याय जुड़ता है।

एक स्कीम थी गांवों की तरफ चलो, उसके बारे में भी सत्ता पक्ष के लोगों ने कहा कि यह हमारा स्कीम रही। पता नहीं यह किसकी स्कीम रही है। लेकिन इतना अवश्य है कि सत्ता पक्ष में बैठे लोगों ने नहीं बल्कि इधर बैठे हुए लोग जो उस समय सत्तापक्ष में थे, उन्होंने गांवों की तरफ चलने का काम किया

[श्री केदार नाथ सिंह--]

किया है। आप उस वक्त की स्थिति को देखें, 1979-80 में 1735 लाख रुपया लघु उद्योग एवं हथकरघा पर खर्च किया गया और उसके पूर्व 1976-77 में जब आज के सत्तापक्ष वालों का ही शासन था, तो उस समय केवल 772 लाख रुपया खर्च किया। यह स्थिति साफ जाहिर करती है ग्रामीण अंचलों के विकास के लिए इनके पास न तो कोई उदार नीति है और न कोई लगन है। लेकिन जो शुरुवात इधर के लोगों ने शासन पक्ष में बैठकर की है, उसको ही यदि यह कायम रखें तो वह पर्याप्त होगा बेरोजगारी दूर करने के लिये, पर मैंने देखा है और महसूस भी किया है कि जब से यह बजट का माहौल चल रहा है केवल विरोध पक्ष को नीचा दिखाने की नीयत से जनता में आलोचना करके ऐसी बातें कही जा रही हैं जो प्रसंगगत उचित नहीं हैं।

जहाँ तक एकीकृत ग्रामीण विकास योजना का प्रश्न है जो सरकार द्वारा चलायी गयी है, मैं उसका स्वागत करता हूं। इसको शासन ने पूरे प्रदेश में लागू किया है और यह कार्यक्रम ग्रामीण अंचलों म विकास का कार्य करेगा लेकिन इस योजना के अन्तर्गत जो नये कार्यक्रम लागू किए जा रहे हैं। उनके बारे में मंत्री महोदय को विशेष अध्ययन करना चाहिये। इतना ही नहीं, यह भी आवश्यक है कि जिला उद्योग केन्द्रों द्वारा जो ऋण वितरित किए जा रहे हैं, सबसे पहले विकास के लिए एवं बेरोजगारी दूर करने के लिए जो नये उद्योग धंधे लगाये जायं उनको प्रोत्साहन देने के लिए विभाग के पास जो उद्यमियों द्वारा प्रार्थना-पत्र आते हैं, उनके ऊपर शासन एक प्रोग्रेस रिपोर्ट मांगें ताकि यह देखा जा सके कि जिला स्तर पर कौन-कौन से ऐसे अधिकारी हैं जो नये उद्योगों के विकास में बाधा पैदा कर रहे हैं, किस अधिकारी को लगन है और किसको नहीं। जितने भी ऐसे कार्यक्रम हैं जब तक हम उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट माहवारी नहीं मंगायेंगे, उन्हें देखेंगे नहीं, तब तक उद्योग में विकास होना संभव नहीं है। मैं 2-3 व्यक्तियों को व्यक्तिगत रूप से जानता हूं जो जिला स्तर पर लोन नहीं वितरित कर रहे हैं। पैसा स्पष्ट रूप से मांगा जा रहा है। ऐसा लगता है कि वे अपना विकास करने में लगे हुए हैं, न कि ग्रामीण लोगों और बेरोजगार लोगों के विकास के लिए। बराबर लूट मची हुयी है। अधिकारी लोग मनमानी कर रहे हैं। अगर मुख्यालय से इसकी प्रगति रिपोर्ट मंगायी जाय तो पता चलेगा कि 4-4 वर्ष से आवेदन-पत्र दिये हुए हैं पर उन पर कुछ नहीं हुआ। कितने ही बेरोजगार युवक सड़कों पर आज भी घूम रहे हैं। विशेषरूप से मैं एक मोटर सर्विस सेवा सहकारी केन्द्र की बात करता हूं जो कि चरगांवा, गोरखपुर में स्थित है। यह 1974-75 में कुछ हरिजन छात्रों ने एक समिति कायम करके खोला था। हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग, गोरखपुर ने इसको पंजीकृत कराकर स्टेट बैंक आफ इंडिया, गोरखपुर में ऋण की स्वीकृति भी करायी और उस पर उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्तीय निगम ने 10,000 रुपये की मार्जिन मनी भी स्वीकृत किया लेकिन 4-5 साल बीतने के बाद भी स्टेट बैंक ने कह दिया कि लोन नहीं देंगे। इसी प्रकार से चरगांव, गोरखपुर में एक आर० के० पेपर इन्डस्ट्री है। स्थानीय विकास योजना के अन्तर्गत उसने वर्ष 1979 में 75 हजार रुपये का ऋण लिया। इन्डस्ट्री विभाग में उसका अस्थायी पंजीकरण भी हुआ लेकिन आज तक की स्थिति यह है कि निदेशालय ने उसका स्थायी पंजीकरण नहीं किया। वह इन्डस्ट्री जहां पर खोली गयी वह स्थान विकास प्राधिकरण एवं विकास खण्ड चरगांवा के क्षेत्र में आता था और विकास प्राधिकरण वालों ने उनके खिलाफ मुकदमा दाखिल कर दिया और बाउन्ड्री गिराने के आदेश कर दिये तथा नक्शा पास नहीं हो पा रहा है। उद्योग विभाग वालों

को इस बात पर भी पहले से ध्यान देना चाहिये कि जिस भूमि पर वह उद्योग खोलने के लिये परमीशन दे रहे हैं वहां की भूमि पर उद्योग लगाने के लिये या भवन आदि बनाने के लिये भी परमीशन मिल गया है या नहीं । वह उद्योग हमारे जिले के लिये एक गौरव की चीज है । उस उद्योग के लिये हमारे यहां कच्चा माल पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है जिससे प्रेरित होकर अन्य युवक भी आगे आयेंगे । लेकिन अधिकारियों की उदासीनता के कारण वह पेपर मिल आज बन्द होने जा रही है ।

जो 56 जिला उद्योग केन्द्र खोले गये हैं उसके सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि उनकी तरह अन्य निगमों का भी विकेन्द्रीकरण किया जाना चाहिये । जब तक आप उन केन्द्रों एवं निगमों का विकेन्द्रीकरण नहीं करेंगे तब तक आपके यहां उद्योगों की प्रगति होना सम्भव नहीं है ।

अब मैं दो निगमों के विषय में और कहना चाहता हूं । एक तो उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम के बारे में तथा दूसरे उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम के बारे में । यह दोनों ही निगम महत्वपूर्ण निगम हैं और उद्योगों के विकास का काम करते हैं । जनता पार्टी के शासन में जिला उद्योग केन्द्रों का जिलों में विकेन्द्रीकरण किया गया था । इसी तरह से आज इन निगमों के विकेन्द्रीकरण की भी बहुत आवश्यकता है । औद्योगिक विकास में यह बहुत ही उपयोगी भूमिका निभा सकते हैं । और यह तभी हो सकता है जब इनका जिला स्तर पर विकेन्द्रीकरण किया जाये ।

एक सुझाव मैं और देना चाहता हूं । लघु उद्योगों के अन्तर्गत जितने भी उद्यम हैं, उनको बड़े उद्योगों के कार्य क्षेत्र से अलग किया जाना चाहिये, तभी लघु उद्योगों का विकास सम्भव है । स्पष्ट है कि बड़े उद्योगों के मुकाबले लघु उद्योगों द्वारा बने हुये सामान की कीमत अधिक आती है । यही कारण है कि लघु उद्योग पनप नहीं पाते । इसलिये यह आवश्यक है कि लघु उद्योगों को बड़े उद्योगों के कार्य क्षेत्रों से अलग किया जाये ।

ग्रामीण अंचलों में बेरोजगारी दूर करने के लिए यह आवश्यक है कि परम्परागत जो शिल्पकार हैं, कुम्हार हैं या और दस्तकारी का काम करने वाले हैं, लुहार आदि हैं, उनके कार्यों में तकनीकी सुधार के लिये कोई कार्यक्रम चलाया जाना चाहिये ।

मान्यवर, ये सब मुद्दे विशेष तौर से लाभकारी ग्रामीण अंचल के लिये हो सकते हैं । बेरोजगारी दूर करने के लिये जो कार्यक्रम जनता पार्टी ने चलाया था उसकी हम सराहना करते हैं और सत्ता पक्ष में जो मंत्री बठे हैं उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि उसमें शिथिलता न आने दें । ग्रामीण अंचलों में उद्योगों के विकास के लिये जो कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं उनको ठीक से चलाया जाय । इन शब्दों के साथ में माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि कटौती के प्रस्ताव को वह पास करायेंगे ।

श्री प्रियदर्शी जेतली--

अधिष्ठाता महोदय, यह बात निर्विवाद है कि कांग्रेस शासन के 30, 32 साल में यह देश प्रगति की ओर बढ़ा है और भाई मोहन सिंह के पिछले ढाई साल के

[श्री प्रियदर्शी जेतली--]

शासन काल में जो प्रदेश को धक्का लगा उस धक्के को संभालने में दुगुनी मेहनत करनी पड़ रही है लेकिन प्रदेश की जनता को प्रदेश की सरकार से पूर्ण यह विश्वास है कि यह प्रदेश इन्दिरा जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से आगे जायगा। (व्यवधान) पापियों के धक्के ऐसे ही होते हैं कि पुण्य बहुत जल्द धुल जाता है। इसमें भी कोई दो राय नहीं कि देश व प्रदेश के आर्थिक विकास के लिये शासक का बहुत तेजी व मजबूती के साथ औद्योगीकरण करने की ओर कदम बढ़ रहा है। इस बात के बावजूद भी देश हमारा कृषि प्रधान है। बढ़ती हुई आबादी और उसके कारण खेती के बंटवारे को देखते हुए यह निर्विवाद है। अगर हम औद्योगीकरण की ओर तेजी से कदम नहीं बढ़ाते हैं तो देश व प्रदेश का आर्थिक विकास नहीं हो सकेगा। लेकिन जहां यह बात सत्य है कि हम आगे जा रहे हैं वहीं यह परम्परा भी हमको छोड़नी होगी शासक दल को कि खाता न बही जो अधिकारी कहे वह सही। अगर यह परम्परा चलती रही तो जिन तरीकों से हम प्रदेश को आगे ले जाना चाहते हैं उसमें निश्चित रूप से बाधा पड़ेगी। मैं आपके सामने कुछ ऐसी मिसालें रखना चाहता हूं जिनसे साफ जाहिर होगा किस तरह से शासन में लगे कुछ अधिकारी हमारी नीतियों और कार्यों में अवरोध पैदा कर रहे हैं। मान्यवर, मैं आपके सामने हैंडलूम कारपोरेशन की बात रखना चाहता हूं। जहां तक बुनकरों का मसला है, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि स्टेपिल का दर दिन प्रति दिन बढ़ता जा रहा है जब कि बिजली का रेट वही, फाइबर का दाम वही, लेबरों की तनख्वाह भी वही पुरानी है तो कौन सी ऐसी बात है कि स्टेपिल का दाम बढ़ रहा है। प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर में जो कार्य होना चाहिये वह नहीं है, पब्लिक सेक्टर का काम है बाजार में कमी को न रहने दे और भाव को बढ़ने से रोकें। मान्यवर, अगर पब्लिक सेक्टर भी प्राइवेट सेक्टर के तरीके से काम करने लगे, तो उसका जो मकसद है, वह फेल हो जाता है और इससे जनता को सही राहत नहीं मिल सकेगी। आज बुनकर परेशान हो रहा है। उसकी आर्थिक स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। मान्यवर, दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं वह भी हैंडलूम कारपोरेशन की, मान्यवर, देखिये। अकबरपुर और टांडा में जो बुनकरों को स्टेपिल दिलाने के लिए पहले कोठीवाल फर्म, नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन का डीलर के रूप में काम कर रही थीं, उसको इस सरकार ने इसलिए हटाया कि वह बुनकरों का शोषण कर रहे थे और इसलिए वहां गवर्नमेंट ने अपने डिपोज कायम किये थे। लेकिन वह डिपोज कोठीवाल फर्म के एजेंटों द्वारा फेल करा दिये गये। तब सरकार ने पुनः प्राइवेट डीलर्स नियुक्त किये। मान्यवर, लेकिन वे वही व्यक्ति पुनः नियुक्त हुए जो कोठीवाल के सब डीलर थे उन्हीं में एक अवधेश कुमार, महा गायत्री एजेंट को डीलर मंत्री के आदेश से नियुक्त कराया गया और उसको 20 हजार सिक्योरिटी स्वदेशी काटन मिल में जमा हुई। उसको 5 लाख का माल वह उसको कई महीने तक दिया गया। लेकिन उसको इसलिए हटा दिया गया कि वह यू0 पी0 हैंड लूम कारपोरेशन की बेईमानी में शरीक नहीं हो रहा था। मान्यवर, विभाग ने सरकार को यह जवाब दिया कि डीलर की नियुक्ति नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन करता है जो कि सफेद झूठ है। मान्यवर, मेरे प्रश्न के उत्तर में भी इस सम्मानित सदन में माननीय मंत्री जी से गलत जवाब दिलवा दिया। जब कि मेरे पास नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन के मिस्टर दीक्षित का टेलेक्स और मिस्टर करनानी का चिट्ठी मौजूद है जिसमें यह लिखा है कि डीलरों की नियुक्ति हैंडलूम कारपोरेशन करेगा, हम तो आपको न माल देते हैं। क्या मंत्री जी गलत बताने वाले अधिकारी को दण्डित करेंगे ?

इसके अतिरिक्त मैं यू0 पी0 टेक्सटाइल कारपोरेशन की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मान्यवर, बड़े आश्चर्य की बात है कि जो

काउन्ट अकबरपुर, जलालपुर, टांडा में खपता है, वह काउन्ट रायबरेली और मऊ में बनता है और जो काउन्ट मऊ और रायबरेली में खपता है वह काउन्ट अकबरपुर में बनता है। नतीजा यह होता है कि फर्जी ट्रांसपोरेशन बनता है और उसका बोझ बुनकरों के ऊपर जाता है।

दूसरी बात इसी हैंडलूम कारपोरेशन के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि वहां पर व्यापक भ्रष्टाचार है रुई की खरीददारी में लाखों रुपये का घोटाला है हमको यह बताया गया है। अकबरपुर मिल के अन्दर 40 हजार लीटर डीजल बह गया। अभी 13 तारीख को डेढ़ लाख रुपये का माल 12 हजार रुपये में बगैर टेण्डर के बेचा गया, जिसको कर्मचारी संघ यूनियन ने पकड़ा और रोका। वहां पर मोटर चोरी गयी जो थाना बेवाना में पकड़ कर रखी। लेकिन मिल ने कोई भी रिपोर्ट मेरी शिकायत करने से पहले कहीं थाने में नहीं दर्ज कराई थी। इस तरह से यह पता चला है कि ये चोरियां मिल के मैनेजमेंट को मिला कर हो रही हैं। इस तरह वहां पर तमाम सामान चोरी हो रहा है। पंखे, पुर्जे चोरी हो रहे हैं और सामानों की खरीददारी गलत फर्मों से की जा रही है जो ब्लैक लिस्टेड हैं, जो सामान वहां खरीदा जा रहा है वह ऊंचे दामों पर खरीदा जा रहा है और गलत फर्मों से खरीदा जा रहा है। जो श्रमिक शांति के पक्ष में हैं, उनको पीड़ित और प्रताड़ित किया जा रहा है। मान्यवर, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि श्रीमती इंदिरा गांधी और विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, इससे जनता को पूरी आशा है और प्रदेश और देश आगे जा ही रहा है।

(इस समय 3 बजकर 5 मिनट पर अधिष्ठाता श्री खान गुफरान जाहिदी पीठासीन हुए।)

लेकिन खाता न बही, जो अधिकारी कहें, वही सही, जैसा कि मैंने ऊपर कहा है, इसको समाप्त करना पड़ेगा, वरना हम अपने रास्ते से हट जायेंगे और जनता ने जो हममें विश्वास व्यक्त किया है, वह अविश्वास में बदल जायगा, पार्टी की छवि खराब होगी। मैं इन शब्दों के साथ प्रस्तुत बजट का जोरदार समर्थन करता हूं और यह आशा करता हूं कि आपके मजबूत हाथों से उद्योग विभाग आगे जायगा और जनता को राहत मिलेगी।

* श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, आज एक उद्योग विभाग का बजट प्रस्तुत हुआ। उसमें जो कटौती प्रस्ताव पेश हुआ है, तो मैं इस कटौती प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। पंडित जवाहर लाल नेहरू, जब इस देश के प्रधान मंत्री थे, तो उन्होंने एक स्लोगन दिया था--

"डेवलपमेन्ट आफ दि कन्ट्री थ्रू इंडस्ट्रियलाइजेशन"

परन्तु बड़े खेद की बात है कि इस मुल्क के ऊपर इस स्लोगन को पूरा करने के लिए खरबों रुपये का कर्जा तो हो गया, शायद ही कोई बदकिस्मत मुल्क ऐसा बचा होगा, जिसका कर्जा हिन्दुस्तान के ऊपर न हो लेकिन जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेन्ट हुआ, वह उन 25 बिग हाउसेज-घरानों का हुआ। उन सबका जिक्र

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रियासत हुसैन--]

न करके मैं सिर्फ दो का पढ़कर सुनाए देता हूं, उससे यह अन्दाजा हो जायगा कि वह जो खरबों रुपया कर्ज लिया गया, वह कहा गया और हमारा मुल्क इन्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट में आज क्यों पीछे रह गया ।

वर्ष 1972 में, जो दो बड़े-बड़े टाटा और बिड़ला जिनका नाम आपने सुना होगा, तो टाटा के टोटल एसेट्स 641.93 करोड़ रु0 थे और 1976 में 4 साल के अन्दर कांग्रेसी शासन के दौर न ही, उनके एसेट्स 641 से बढ़कर 980.77 करोड़ हो गये। मुनाफा उनका 1972 में 48.92 करोड़ था शुद्ध लाभ जो 1976 में बढ़कर 56.12 करोड़ हो गया । अब बिड़ला को देखिए। बिड़ला के टोटल एसेट्स 1972 में 589.42 करोड़ थे और उनका मुनाफा 45.86 करोड़ था । अब 4 साल बाद 1976 में उनके टोटल एसेट्स 589 से बढ़कर 974 हो गये, यानी दुगने हो गए और मुनाफा 45 से बढ़कर 118 हो गया, यानी दुगने से भी बढ़ गया । यह हाल है इन दो बिग हाउसेज का, बाकी जो बचे, उनको भी आप देखें, उनका भी यही हाल है । नतीजा यह हुआ के जो बीच की इण्डस्ट्रीज थीं जैसे हथकरघा तथा और स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज जैसे हैंड-लूम वगैरह, तो जो हमारा ग्रामीण जनता और शहर के मजदूर लोग जो इससे सम्बन्धित थे, उनका एडवान्टेज टाटा और बिड़ला ने उठा लिया । नतीजा यह हुआ कि अगर एक कारखाना आज जूते बनाने का लग गया बाटा का तो जूते बनाने वाले कारीगर बेकार हो गये। जूते की कीमत ममूली तौर से 70-75 रु0 से कम नहीं रही । उस इन्डस्ट्रियलिस्ट का मुनाफा, वह खरबों रु0 जो इस मुल्क पर दूसरे देशों का कर्जा है, स्माल स्केल इन्डस्ट्री सब तहस-नहस हो गया । इस-लिए इस पालिसी के अन्तर्गत आपका ध्यान जाना चाहिये कि जो इस प्रदेश में एग्रो बेस्ड इंडस्टरीज है जैसे गन्ने की खोई बेकार जा रही है, धान की भूसी बेकार जा रही है, भूसा बेकार जा रहा है वह बेकार न होने पाये । इसलिए आपका ध्यान इस तरफ जाना चाहिये ।

मान्यवर, अभी मंत्री जी ने जो पुस्तिका दिया है उसके हवाले से मैं कहना चाहता हूं कि उसमें उद्योग का विकास लिखा है । मंत्री जी जब जवाब दें तो वह बतायें कि उत्तर प्रदेश वित्त निगम द्वारा 1980-81 में जो 4,500 इकाईयों में 35 करोड़ रुपये का ऋण स्वीकृत करने तथा 24 करोड़ रुपये वितरित करने का लक्ष्य है । तो इसमें क्या पौजीशन है वह बतायें चूंकि 1980- 81 समाप्त हो रहा है ।

मान्यवर, मंत्री जी ने मुरादाबाद में पीतल नगरी बनाने पर बड़ा जोर दिया । लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि कहां पीतल नगरी की जरूरत नहीं है और उसको बनाने की वहां जगह नहीं मिलेगी कि कहां पीतल नगरी बनायें । नहीं तो जिस तरीके से इस प्रदेश का 25 करोड़ रुपये हर जिले में इंडस्ट्रियल स्टेट होंगे उसमें बेकार हो गया है उसी तरह से पीतल नगरी का हश्र होगा । मान्यवर, मुरादाबाद में जो बरतन का उद्योग है, उसमें यदि सरकार मदद करना चाहती है, तो मुझे कहना पड़ता है कि पिछली बार जब 13 तारीख को राइट्स हुआ तो उसके पीछे आर्थिक प्रश्न था, उस पर विचार करें कि कहां तक उसमें मदद आप कर सकते हैं । मान्यवर, 1971 के पहले मुरादाबाद में 30 करोड़ रुपये का इक्सपोर्ट था उसमें से 10 करोड़ रुपये का एक्सपोर्ट एक विशेष वर्ग के सुपुर्द था जैसे हाजी कल्लन, और 20 करोड़ रुपये का एक्सपोर्ट उनके पास था जिनकी लाइसेन्स थी । इसके बाद यह हुआ कि जो पढ़े लिखे लोग निकले, मुसल-मान अल्पसंख्यकों के, जब उनके सामने नौकरी का प्रश्न नहीं आया तो वह स्वयं एक्सपोर्टर बन गये और 70 करोड़ का जो वहां एक्सपोर्ट है उसमें से 40 करोड़

का एक्सपोर्ट उनके हाथ में है जो मैन्यूफैक्चरर कम एक्सपोर्टर हैं। दो तीन साल बाद 40 करोड़ की जगह यह संख्या बढ़कर 60 करोड़ हो जायेगी यदि यही हालत रही और एक्सपोर्टर के पास 10 करोड़ रुपये रह जायेगा। इसलिये उन्होंने एक हवा दिया कि जो इंडस्ट्री है वह तबाह हो जाय। इसलिये यदि वहां पीतल उद्योग में एक्सपोर्ट की मदद करनी है तो उस क्लास के जिसके घर में कारखाने हैं उसी के पढ़े लिखे लड़के, पढ़े-लिखे लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी हिफाजत कीजिए। उन्हीं को उसका लाभ मिले। बात क्या है श्रीमन्, बात सिर्फ यह है कि इंसेन्टिव मिलता है फारेन एक्सपोर्ट के अगेंस्ट 75 प्रतिशत का वह दूसरे लोगों को मिल रहा था जो मेहनत करते हैं, जो बनाने वाले हैं उनको वही सामान यह लोग 8 रुपये किलो वाला ब्लैक में 75 रुपये में बेचते हैं, वही मैन्यूफैक्चरर हो गये हैं एक्सपोर्टर हो रहे हैं केवल उन्हीं को इंसेन्टिव मिलेगा तो उनका एक्सप्लायटेशन होगा। अगर आप चाहते हैं कि मुरादाबाद में लोगों का भला हो तो इनको हिफाजत कीजिए।

श्रीमन्, रही पीतल नगरी की बात, कहां बनायेंगे, कौन सी जगह बनायेंगे। मैंने पहले भी कहा था इस एसेम्बली में भी कहा था कि कल्याणपुर में जहां आप ब्रास वेयर कारखाना बनाने वाले थे वहां पर बिल्डिंग बन गई है। कल्याणपुर के एरिये में बिल्डिंग बनी है आप मुकदमा लड़कर उनको खाली कराईये आप इनक्रोचमेंट को खाली नहीं करा पायेंगे। हरतला में अपने ब्रास वेयर कारपोरेशन का दफ्तर खोला। वहां पर एक चेंज होनी चाहिये जो रा मैटेरियल है उसका जो एक्सप्लोयटेशन होता है वह न हो रा मैटेरियल उन लोगों को मिले जो मैन्यूफैक्चरर हैं जिनकी इन्डस्ट्री है अपनी जगह है।

श्रीमन्, प्रतापगढ़ में एक ट्रैक्टर का कारखाना खुल रहा है। मान्यवर, मद्रास और हरियाणा ने सबसे ज्यादा ट्रैक्टर बनाये हैं जब से नेशनलाइजेशन हो गया बैंकों का श्रीमती इन्दिरा गांधी ने कर दिया जिसके पास 30–40 बीघा जमीन है उसके हाथ में ट्रैक्टर का हैंडिल आ गया। भले ही जब किश्त देनी की बात आये तो उसकी जमीन नीलाम हो जाय। मान्यवर, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा कृषि प्रदेश है। अगर उत्तर प्रदेश अच्छा ट्रैक्टर दे। यह साबित करें कि फारगुशन से अच्छा ट्रैक्टर बना उत्तर प्रदेश ने विकास किया है। मान्यवर अगर इस प्रकार का ट्रैक्टर उत्तर प्रदेश बना सकता है तो ठीक है नहीं तो हरियाणा ने बनाया है वहां से आपको जल्दी से जल्दी ट्रैक्टर मिल जाते हैं।

श्रीमन्, एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि जो यह घपले हैं एक साल पहले लिखकर दिया था और दुबारा भी लिख चुका हूं। बरेली जोन के अन्दर कोयले में 4 करोड़ का घपला हो गया। ये घपले क्यों होते हैं? इसका सिर्फ एक ही कारण है कि आपने इंडस्ट्री डायरेक्टरेट कानपुर बना रखा है। जब तक यह डायरेक्टर लखनऊ में नहीं आ जाता तब तक आप कुछ नहीं कर पायेंगे इसलिये अगर आप चाहते हैं कि इन घपलों को रोका जाय तो आप हिम्मत के साथ इंडस्ट्री डायरेक्टरेट को लखनऊ ले आइये। मान्यवर, मैंने इस सम्बन्ध में डिटेल नोट लिख कर भेजा है। 7 फर्जी डिपो जिन्हें स्माल स्केल इंडस्ट्री को कोयला सप्लाई करना था उन्होंने 4 करोड़ का कोयला बेच लिया और इतना बड़ा घपला हो गया। श्रीमन्, आपके विभाग में स्कैंडल ही स्कैंडल मिलेंगे क्या यह स्कैंडल

[श्री रियासत हुसैन--]

विभाग हो गया है क्या। कुछ ऐसा ही मालूम पड़ता है कि यह स्कैंडल विभाग हो गया है। मगर एक बात है कि यह डिपार्टमेन्ट आपके हाथ में आया है, मैं यह उम्मीद करता हूं, माननीय सदन को यह उम्मीद है कि आप उस स्कैंडल का पार्ट नहीं बनेंगे। जब आप स्कैंडल का पार्ट नहीं बनेंगे, तो जो स्कैंडल हैं उनका भंडाफोड़ करें और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करके दिखायें तो मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश की इंडस्ट्री कहां खड़ी है, उसकी क्या सूरत है।

श्रीमन्, मैं एक बात और कहना चाहता हूं, कोई भी कारखाना है उसकी कमोडिटीज की रिक्वायरमेन्ट क्या है, उसके लिए ई0 सी0 सर्टीफिकेट होता है। लेकिन फर्जीतौर पर कागज भर-भर के, ई0 सी0 सर्टीफिकेट इशू कर दिए जाते हैं। मेरे मुरादाबाद में ई0 सी0 सर्टीफिकेट भरे जा रहे थे तो लोगों से 50-50 रुपए जो लोग भरना जानते थे कि कहां कैसे भरा जाता है, उन लोगों ने 50-50 रुपये फार्म भरने के लिए। 500 या 1 हजार रुपया उनका डाइरेक्ट्रेट में खर्च हुआ, लोगों ने बांट कर खा लिया और फर्जी सर्टीफिकेट इशू कर दिए गये। इसकी जांच पड़ताल हुयी, मुझे याद है कि कुंवर सिंह, असिस्टेंट डाइरेक्टर जांच करने गये तो मुरादाबाद में 800-900 भट्ठियां फर्जी पायी गयीं लेकिन ई0 सी0 सर्टीफिकेट एप्रूव हो गए। तो यह जो फर्जी कार्यवाही होती है आप कम से कम इस पर रोक लगवायें नहीं तो जैसे शिक्षा विभाग में फर्जी नामों पर पैसा ले लिया जाता है, उसमें आपके यहां कुछ अन्तर होना चाहिए। हरिजन बच्चों के नाम पर शिक्षा विभाग में लोग पैसा खा गए। तो आपके यहां यह जो फर्जी कार्यवाही होती है उसको रोकिए।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय रियासत हुसैन जी, अच्छा होगा कि मुख्तस्वर में कह दें।

श्री रियासत हुसैन--

मैं आखिरी जुमला बोलूंगा। आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि जो हमारे देहात के कारीगर हैं, चाहे वह लकड़ी के कारीगर हों, चाहे जूता बनाने वाले हों या बान का काम करने वाले हों, वह बेरोजगार हैं। उनकी जिम्मेदारी आप पर है। जो देहात के आर्टीजन हैं वह बेरोजगार न हों उस तरफ आपको देखना चाहिए। दूसरी तरफ सीमेन्ट की शार्टेज न हो, हैवी इलेक्ट्रिकल्स की शार्टेज न हो इसके बारे में भी आपको देखना चाहिए। एस0 एस0 आई0 का जो यूनिट्स हैं उनको कर्जा मिल जाय, उन पर लोन का कर्जा कम होना चाहिये भले ही जब वह प्रोडक्शन में चली जायं तो दूसरे टर्म्स आप तय करें। इसी तरीके से जो बैकवर्ड्स डिस्ट्रिक्ट्स हैं, चाहे वह मुरादाबाद रामपुर या कोई भी हों उनकी क्वाटरली प्रोग्रेस रिपोर्ट, उनकी इंडस्ट्रियल डेवलपमेन्ट की प्रोग्रेस रिपोर्ट आप मंगायें। इन चन्द सुझावों के साथ में यह उम्मीद करता हूं कि जो स्कैंडल हैं चाहे वह किसी चीज के हों, उनको सामने लायें और लोगों को पनिश कीजिए, सजा दीजिए ताकि आपके विभाग की इमेज ठीक हो सके और यह जो बेरोजगारी का मसला है, उसको आप अपने विभाग के जरिये से दूर करें।

*श्री अशोक कुमार बाजपेयी--

मान्यवर, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने दया की और इस बजट की परिचर्चा में मुझे भाग लेने का अवसर दिया। आपके माध्यम से मैं इस कटौती के

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रस्ताव का जोरदार विरोध करते हुये अपने पूर्व वक्ता माननीय रियासत हुसैन जी को कुछ पुरानी बातें याद दिलाना चाहता हूं। उन्होंने अपनी तकरीर में इस बात का जिक्र किया कि कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में टाटा और बिड़ला के जो औद्योगिक घराने थे, उनके नेट असेट्स में लगभग 30 परसेन्ट की वृद्धि हुयी है और उनका ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहूंगा कि आज से कुछ वर्षों पूर्व जब इस देश के माननीय औद्योगिक मंत्री थे, श्री जार्ज फर्नान्डीज। उन्होंने इस बात को माना था कि उनके समय में बिड़ला के घराने में केवल 200 लाइसेन्स एक वर्ष में दिए गए और उन्होंने यह भी माना था कि उनके कार्यकाल में पहली बार जनता पार्टी के शासन काल में इस देश में ही नहीं बल्कि इस देश के बाहर मलेशिया, नाइजेरिया और लीबिया में और इंडोनेशिया में सरकार की अनुमति के साथ जितने असेट्स इस देश में हैं उतने ही असेट्स बाहर भी क्रियेट करने की अनुमति दी गयी। जब जनता पार्टी के शासन ने 1979-80 में यह शासन हमको सौंपा तो लगभग 105 नेशनल एनुवल ग्रोथ्स में 03 परसेन्ट का मुनाफा था। जो अब हमारे प्रयत्नों द्वारा नेशनल एनुवल ग्रोथ ·04 परसेन्ट तक पहुंच चुका है।

कहने का तात्पर्य यह है कि जनता पार्टी और लोकदल शासनों ने हमें कुछ नहीं दिया। इस देश के कम्परीजन में उत्तर प्रदेश की प्रगति ·03 परसेन्ट रही। आज से दो वर्ष पूर्व उनके शासन काल में जो उद्योगों की प्रगति हुयी उससे कहीं ज्यादा हमारे इस शासन काल में हुया है, जो किसी से भी छुपा नहीं है। हम ने औद्योगिक विभाग ने लगभग एक वर्ष में 1·25 प्रतिशत लघु उद्यमियों को दिया और 500 से ज्यादा उत्तर प्रदेश के कोने-कोने में लघु उद्योग स्थापित करने के लिए, लगभग 20 हजार लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए हमारी सरकार ने पुरजोर प्रयास के जरिए उपलब्ध कराये।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

वास्तविकता में या केवल कागजों पर ?

श्री अशोक कुमार बाजपेयी--

वास्तविकता में है। यदि आप देखना चाहें तो दिल्ली और मेरठ के बीच गाजियाबाद में देखें और अगर आप देखना चाहें तो कानपुर और लखनऊ के बीच उन्नाव में देखें और मोती लाल नेहरू रीजनल क्षेत्र इलाहाबाद देखें। जहां आज लगभग 200 इकाईयां कार्यरत हैं।

एक सदस्य--

पूर्वी जिलों के बारे में भी बतायें।

श्री अशोक कुमार बाजपेयी--

उन सब की जिम्मेदारी आपने ले रखी है। मान्यवर, इसके साथ ही साथ आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान कुछ वित्तीय असंगतियों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जो जिला उद्योग केन्द्रों में नियोजन के स्तर पर हैं। इलाहाबाद, कानपुर, आगरा और सारे कवाल टाउन में हैं। वहां के जिला उद्योग

[श्री अशोक कुमार बाजपेयी--]

केन्द्रों के लिए भी उतनी ही धनराशि व्यय के लिए रक्खी गयी है, जितनी छोटे-छोटे जिलों में जैसे प्रतापगढ़ और जौनपुर में । तो मैं कहना चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी ने जो अपने इस बजट में जो काफी बड़ा बजट है । जहां पर औद्योगीकरण को त्वरित गति से आगे बढ़ाने के लिए एक विशेष धन की आवश्यकता होती है, उसकी वहां व्यवस्था करें ।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य, आपका एक मिनट रह गया।

श्री अशोक कुमार बाजपेयी--

मैं आपसे एक मिनट और चाहूंगा । उत्तर प्रदेश स्माल स्केल के बारे में जैसा कि मंत्री जी ने बताया कि पिछले दो वर्षों में मुनाफा इतना ही हुआ परन्तु पिछले 6 महीने से सेल्स टैक्स की दर है विशेष रूप से लोहे की सामग्री में जीरो प्वाइन्ट हो जाने के कारण। स्मालस्केल इंडस्ट्रीज जो भी लगीं उन्हें जो ऊर्जा और कच्चा माल मिलता है उस पर सेल्स टैक्स एक बार लगाने के बजाय दो-दो बार लगाया गया है । यदि स्माल स्केल इंडस्ट्रीज जो भी आपकी हैं उनके लिये मैं आपके माध्यम से सरकार से यह अनुरोध करूंगा कि वह और विशेष सेल्स टैक्स की व्यवस्था करे । समाप्त करने के पूर्व में अपने जिले के गवर्नमेन्ट प्रेस और उसके कर्मचारियों का जिक्र जरूर करना चाहूंगा । इस प्रदेश का सबसे बड़ा गवर्नमेन्ट प्रेस हमारे जिले में गवर्नमेन्ट प्रेस, इलाहाबाद के नाम से लगभग 20 वर्ष पूर्व स्थापित हुआ था। आज जितने भी गवर्नमेन्ट प्रेस हैं इस प्रदेश में स्थापित किये गये हैं, उनमें लगभग 10 गवर्नमेन्ट अधिकारी कार्यरत हैं । जितने भी अधिकारी प्रेस में कार्यरत हैं उनमें से अधिकतर अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति के हैं । हमारे वेज बोर्ड ने इनकी तनख्वाह के बारे में रिकमन्डेशन भेजी थी शासन को और सरकार के पास । इस सम्बन्ध में कोई मेमोरेन्डम भी आया है । मैं अनुरोध करूंगा कि आप उस मेमोरेन्डम पर, उनके वेतन से सम्बन्धित रेकमेन्डेशन पर गम्भीरतापूर्वक विचार करें और जो रिकमेन्डेशन्स तर्कसंगत नहीं हैं, उनको तर्क से न मान कर बल्कि मानवीय दृष्टिकोण से देने का कष्ट करें ।

इन्हीं शब्दों के साथ में उद्योग के बजट प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का पुरजोर विरोध करता हूं ।

*श्री मोहन सिंह--

अधिष्ठाता महोदय, भाई बाजपेयी जी ने इस महान समुद्र के दो-एक टापुओं पर विचार करके अपनी पीठ थपथपाने की कोशिश की लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश का मिजाज इस तरह के उद्योग के विपरीत है । इसमें परिवर्तन की जरूरत है । यह बात सही है कि प्रदेश में तमाम तरह के उद्योग लगे हुए हैं । कैपिटल सबसीडी के रूप में, इन्टरेस्ट सबसीडी के रूप में, ट्रान्सपोर्ट सबसीडी के रूप में और सबसीडी के रूप में उनको सहायता देने की कोशिश की लेकिन उससे उद्योग बढ़ने के बजाय घटता चला जा रहा है और लगातार घट रहा है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

माननीय मन्त्री जी ने यहां एक बात रखी है जिसकी मैं सराहना करता हूं कि यदि इनकी योजना सफल हो गयी तो निश्चित ही प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या जो कच्चे माल की और ऊर्जा की इस समय है, ट्रान्सपोर्टेशन की समस्या जो है, यदि इसको आप हल कर लें हमारे प्रदेश का उद्योग अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है, उसकी समस्या हल हो सकती है। पिछले साल करीब-करीब 38 लाख रुपया आपने कैपिटल सबसीडी का दिया, इस साल करीब 30 लाख रुपया देने की बात है तो केवल 50 हजार कैपिटल सबसीडी देते हैं जो अपना जैनरेटर सेट लगाते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इससे आपकी ऊर्जा का सवाल हल नहीं होता है। सबसे बड़ी समस्या है, इस देश में कि स्मालस्केल इंडस्ट्रीज को वित्तीय अनुदान या लोन देने की उससे एक समस्या और खड़ी हो गयी। सभी इकाइयां निरन्तर बीमार होती चली जा रही हैं। कुछ कच्चा माल न मिलने के कारण, कुछ विद्युत् सहायता के अभाव में और कुछ ऊर्जा की समस्या के कारण। ऊर्जा की समस्या को हल करने के लिये आप विद्युत् अनुदान को खत्म कर दीजिये, उसके बाद आपको सफलता मिलेगी। तो मैं समझता हूं कि यह एक कारगर कदम होगा।

अधिष्ठाता महोदय, दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि पिछले साल तो 15 करोड़, 10 लाख रुपया रखा गया ग्रामीण लघु उद्योग के लिये। इस साल 15 करोड़, 25 लाख रुपया रखा गया है, केवल 15 लाख रुपया बढ़ाया गया है। आपके प्राविधान में 215 ग्रोथ सेन्टर चालू कर दिये जायेंगे। ग्रोथसेन्टर जितने भी आप बनाने जा रहे हैं, वह ग्रोथ के आधार पर कम हैं और उसका एकमात्र कारण है ग्रोथ सेन्टर से जो अपेक्षायें थीं वह छोटी जगहों पर होने के नाते पूरी नहीं कर पा रहे हैं, विद्युत् की वजह से। उसके लिए आप को विचार करना होगा। हमारे प्रदेश में 2 संस्थान हैं, जिन्होंने निश्चित रूप से प्रदेश का मस्तक ऊंचा किया है। एक यू0 पी0 एलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन और दूसरा है हथकरघा निगम। इन्होंने अपने अभूतपूर्व क्रिया-कलापों से मान और सम्मान बढ़ाया है। लेकिन दिक्कत है कि यू0 पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन का टी0 वी0 बनाने का 30 लाख रुपये का नैनी में और 22-23 लाख रुपया का यहां सरोजनी नगर में कारखाना खोला है। आज इनकी व्यापक रूप से जरूरत पड़ रही है लेकिन निजी क्षेत्र के जो उद्योग हैं जिनको कहा जाता है कि अच्छी चीज बनाते हैं उनसे आज यह मुकाबला करते हैं। इनके उत्पादन की स्थिति क्या है। अगर सार्वजनिक क्षेत्र की कार्य प्रणाली को सुधारा जाये तो आगे प्रशंसनीय काम हो सकता है। इन दोनों की कार्य प्रणाली को आगे बढ़ाने के लिए विशेष ध्यान और पैसा देने की आज आवश्यकता है।

दूसरी बात वित्त निगम की है जो पैसा बांटता है। यह पैसा बांटता भी है और इकट्ठा भी करता है। अगर पूंजी नहीं होगी तो उद्योग कहां से बढ़ेंगे। वित्त निगम जो पैसा बांटता है उसके मुकाबले वसूली के आंकड़े बहुत सीमित हैं। मान्यवर, 3 साल के आंकड़े मैं आपको सुना देना चाहता हूं। मान्यवर, 1977 में 749·22 लाख रुपया बांटा और वसूली हुई 381·69 लाख रुपये की। 1978 में 1080 लाख रुपया बांटा और वसूला 476 लाख रुपये इसी प्रकार 80 में 1668 लाख रुपया बांटा और वसूला 642 लाख। इसका कारण क्या है। कारण है इस प्रदेश के कुछ

एसे लोग जो उद्योग लगाना तो नहीं चाहते लेकिन उद्योगों के नाम पर पैसा रख कर उस मनी को दूसरे कामों में इस्तेमाल करते हैं और आप की ही बगल में बैठने वाले एक सदस्य हैं साढ़े तीन लाख रुपया लिया, मैं आरोपित करता हूं कि वित्त निगम का पैसा दबा कर बैठे हैं और उसको जमा करने का नाम नहीं ले रहे हैं। 1952 में कमलापति त्रिपाठी की जमानत से लोकपति त्रिपाठी ने सहकारिता विभाग से लिया था। साधारण आदमी के तो बैल, बधिया, जमीन कुर्क करके वसूल लेते हैं और जेल भेज देते हैं लेकिन राजनीतिक, राजपुरुष जो हैं, कमलापति त्रिपाठी की जमानत से साढ़े 21 हजार रुपया सहकारिता विभाग से लेते हैं। साल भर में जमा करना था लेकिन जमा नहीं करते हैं। सूद-दर सूद चढ़ता जा रहा है। मेरी जानकारी में आया है कि सहकारिता मन्त्री उस रुपये को राइट-आफ करने जा रहे हैं। यदि सबसे पहले राजनीतिक लोगों की रिकवरी हो जायेगी तो छोटे लोगों के सामने रिकवरी सार्टिफिकेट...

(लाल बत्ती होने पर)

मान्यवर, आपने तो वैसे भी बहुत कम समय दिया है मैं...

श्री अधिष्ठाता--

आपके 8 मिनट हो गये हैं।

श्री मोहन सिंह--

मैं कहना चाहता हूं कि बड़े उद्योगों के क्षेत्र में आशय-पत्र लाने का दिल्ली सरकार से। हमारा प्रदेश सबसे पिछड़ता जा रहा है, उसका कारण यह है कि हमारी राजनीतिक पैठ केवल कुर्सी के लिए है, प्रदेश के विकास के लिए नहीं। एक तो आशय-पत्र लाना नहीं चाहते और जो लाते हैं उनको कार्यान्वित करने में सबसे कम ध्यान दिया जाता है। चमड़े का उद्योग है, उसका 25 फीसदी निर्यात घटा है। चमड़े से उत्पादित वस्तुएं लेदर-गुड्स और फिनिस्ड लेदर, दोनों का निर्यात घटा है। आपका जो कारपोरेशन है चमड़े का, 8-10 महीने में इधर कुछ अच्छा काम हुआ है उसमें। लेकिन जो विदेशों में लेदर गुड्स बन जाता है, उसकी क्रेडिबिलिटी घटी है। लेदर कारपोरेशन एक्सपोर्ट आर्डर लेने में पहल करे।

प्रदेश का एक बड़ा उद्योग है दवा का। लेकिन हमारी दिक्कत है कि जो मोहकमा है वह 2 साल की क्रेडिबिलिटी तय करता है और दवा खरीदता है। यू0 पी0 एफ0 सी0 से पैसा लेकर जो लोगों ने इकाइयां गठित की हैं, उनके लिए आप को सोचना पड़ेगा। कृषि के बजट पर सब्सिडी की घोषणा की थी और मन्त्री जी ने कहा था कि ट्रैक्टर बनाने का एक कारखाना कर्नाटक में है वह बहुत छोटा 12 हार्स पावर का बनाता है और 20 हजार में मिलता है। उस पर हम 50 परसेन्ट सबसिडी देंगे। आटो ट्रैक्टर्स कारखाने का लाइसेंस मिला हुआ था। हमारा अनुमान था कि अप्रैल तक काम शुरू हो जायेगा लेकिन उसके लिए कोई सब्सिडी की व्यवस्था न करके मान्यवर, कर्नाटक वालों के लिए तो कर दिया तो मंत्रि मंडल के सदस्यों में एकरूपता तो हो। उद्योग की तरक्की के लिए सबके अन्दर एक स्फूर्ति हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

कुमारी अलमेलु अम्माल--

अधिष्ठाता महोदय, माननीय उद्योग मंत्री जी ने हमारे सामने जो बजट पेश किया है, उसके समर्थन में मैं खड़ी हूं । 7 पिछड़े जिलों को विशेष उद्योग देने के लिए जो माननीय मुख्य मन्त्री जी तथा उद्योग मन्त्री जी ने जो तय किया है, उसके लिए मैं धन्यवाद दे रही हूं । इसलिए कि हमारा बस्ती जिला भी उसमें शामिल है । कोई भी हुकूमत आवे तो एक दिन में कोई जादू करके यहां पूरे उद्योग का विकास करने के लिए सोचेंगे तो यह हो नहीं सकता । इसलिए विरोधी दल के लोगों ने जो कहा वह सत्य से परे है । यह ठीक है कि विरोध करना उनका हक है लेकिन सच बात को तो उनको मानना ही चाहिए । मैं कुछ सुझाव सरकार को देना चाहती हूं ।

मगहर में एक सूती मिल है उस मिल को स्थापित करने से जरूर वहां के बुनकरों को सूत मिलने में सुविधा है लेकिन आज भी मैं यह चाहूंगी कि उसी मिल के द्वारा वहां के बुनकरों को सरकार सूत, पालिएस्टर का धागा या दूसरे सूत जितना जरूरी है उनको दे उसके बाद बुनकरों के तैयार किये माल को निर्धारित दाम पर तत्काल खरीदने की पूरी जिम्मेदारी सरकार की हो जाय तब वह उद्योग स्वावलम्बी हो जाता है । यह मैं सरकार से कह रही हूं कि सरकार जितना उचित समझे जैसे खादी ग्रामोद्योग, मधुमक्खी पालना, रेशम के कीड़े को पालना यह सब अगर हो जायेगा तो जरूर हमारे देहात में जितनी बेकारी की प्रथा चल रही है वह खत्म कर सकते हैं और बहुत लोगों को मजदूरी दिला सकते हैं । दूसरी बात अगर सुतली व्यवस्था कर दें तो वह एक छोटा ग्रामोद्योग हो जाता है खादी है जिसमें वह जो सामान बनाता है उसको बेचने के लिए वह लालायित होकर इधर-उधर न भागे । उसको बेचने की जिम्मेदारी सरकार पर होनी चाहिए ।

चमड़ा उद्योग के बारे में मैं सोचती हूं कि पूरी दुनिया का एक चौथाई जानवर हमारे हिन्दुस्तान में हैं । लेकिन चमड़े का विकास जितना होना चाहिये उतना नहीं हो रहा है । जब जानवर एक चौथाई हैं तो चमड़ा भी उसी हिसाब से होगा । चमड़े से हम सूट केस बना सकते हैं, हैण्ड बैग बना सकते हैं, चप्पल, जूते बना सकते हैं । अपने देश की जरूरत पूरी करने के बाद जो चमड़ा बचेगा उसको विलायत भेज सकते हैं, इस समय हमारे यहां का चमड़ा लेकर विलायत वाले उसको प्रेस करके अच्छे और टिकाऊ किस्म के जूते, तरह-तरह के और प्रकार के सामान बनाते हैं जिनके खरीददार ज्यादा हो जाते हैं । इसलिए मेरा कहना यह है कि चमड़े का जितना विकास होना चाहिये उतना नहीं हो रहा है । इस उद्योग के विकास से बहुत से लोगों को नौकरी मिल सकती है । जानवरों की हड्डी से खाद बन सकती है । मैं चाहूंगी कि इस खाद को बनाने के लिए बस्ती में ही नहीं हर जिले में दो-दो खाद के कारखाने लगवाये जायं जिससे खाद भी मिलेगी और वहां की जनता को नौकरी भी मिलेगी ।

एक खास बात मैं कहना चाहूंगी । बड़े-बड़े उद्योगों में जो सरकारी कारखाने हैं, वह प्रायः घाटे में चल रहे हैं । इसका मुख्य कारण आई० ए० एस० अफसरों को इनका प्रबन्ध निदेशक बनाना है । इन अफसरों को किसी भी उद्योग को चलाने का अनुभव नहीं है । इसलिए सरकार को चाहिये कि इनके प्रबन्ध के लिए

[कुमारी अलमेलु अम्माल--]

अलग से विज्ञापन प्रकाशित करके चुनाव करें और कुशल, अनुभवी अफसरों को प्रबन्धक नियुक्त करें। मैं सोचती हूं इससे जो बड़े-बड़े उद्योग हैं उनमें अच्छा लाभ होगा और उद्योगों का विकास होगा, लोगों को नौकरी मिलेगी और उद्योग घाटे पर न चल कर प्रदेश के लिए वरदान सिद्ध होगा।

श्री ऊदल--

श्रीमन्, कटौती के प्रस्ताव को समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं।

पहली बात तो यह है कि माननीय मंत्री जी के भाषण को मैं बड़े गौर से सुन रहा था और मैं समझ रहा था कि शायद कुछ नीति निर्देशन की बात वह करेंगे सच बात तो यह है कि हमारे यहां औद्योगिक कोई नीति नहीं है। जब नीति ही नहीं है तो उद्योग धन्धों का विकास कैसे होगा। एक प्रश्न यह है। सरकार को इस पर विचार करने की आवश्यकता है।

श्रीमन्, यह बात सही है कि आधुनिक युग में बड़े-बड़े कल कारखाने, बड़े-बड़े उद्योगपति जो हैं वे छोटे उद्योगों को छोटे उद्योगपतियों को पनपने नहीं देते। यह पूंजीवादी युग की प्रथा है। किसी का कसूर नहीं है। लेकिन इसमें हम इतना तो कर सकते हैं कि डिमारकेशन कर सकते हैं कि बड़े-बड़े उद्योग कौन सा सामान बना सकते हैं, छोटे उद्योग वाले, हथकरघा वाले, हैण्डलूम वाले, ये कौन सा माल तैयार कर सकते हैं। अगर सामान बनाने के ऊपर प्रतिबन्ध लगा दें और उत्पादन को प्रतिबंधित करके बनवायें तो मैं समझता हूं कि छोटे उद्योग का, हैण्डलूम वालों का, हथकरघा वालों का इससे बहुत बड़ा कल्याण होगा। लेकिन देखने में यह आता रहा है कि सरकार की नीति आज तक श्रीमन्, साफ नहीं है।

माननीय मंत्री जी ने बड़ा जिक्र किया पीतल नगरी बनने का पीतल का सबसे ज्यादा काम तो मिर्जापुर में होता है। पीतल नगरी का नाम तो मैं पहले-पहल सुन रहा हूं। टाटा नगरी का नाम सुना था, मोदी नगरी का नाम सुना था, बाटा नगरी का नाम भी सुना था लेकिन एक नई आधुनिक खोज माननीय मंत्री जी ने की है जिसका वे पीतल नगरी नाम रखेंगे जिससे पूरा उत्तर प्रदेश चकाचौंध हो जायेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप पीतल नगरी बनाने से उत्तर प्रदेश का विकास नहीं कर सकते हैं। मान्यवर, उद्योग विभाग हर जिले में है चाहे वह जौनपुर हो, वाराणसी हो, गाजीपुर हो, आजमगढ़ हो, आप श्रीमन्, जांच करा लें पचासों करोड़ रुपया खर्च हुआ है वहां के लघु उद्योगों के संस्थानों पर और किसानों की जमीन ली गई, शेड बनाये गए लेकिन वे आज खन्डहर हो गए हैं, उनकी ईंटें खिसक गई हैं।

मान्यवर, आप कमीशन नियुक्त कर दें और उससे जांच करा दें तो मालूम हो जायेगा। इसके लिए हर जिले में दसियों एकड़ जमीन ली गई थी कि लघु उद्योग वहां खोले जायेंगे लेकिन आजतक उसमें कुछ नहीं हुआ है। इस तरह से प्रदेश का विकास होने वाला नहीं है। इसी तरह से फर्जी इकाइयां बहुत चल रही हैं। खादी ग्रामोद्योग को ही आप देख लें, लघु उद्योग के क्षेत्र को ही देख लें। जो कि कच्चा माल ले जाते हैं और कोई माल तैयार करते हैं। लेकिन श्रीमन्, आप मौके पर जायेंगे और जांच करेंगे तो मालूम होगा कि वहां पर एक भी उद्योग की इकाई नहीं है। सारा का सारा कच्चा माल ब्लैक में बेच दिया जाता है। यही हालत आपके निगम की भी है। माननीय मोहन सिंह जी ने एक निगम का जिक्र किया। मैं समझता हूं कि वह निगम सबसे तबाही की हालत में है। आप जानते हैं कि स्टेपुल कितना महंगा है, सूत कितना महंगा है, रेशम कितना महंगा है। बुनकरों को स्टेपुल मिल ही नहीं पाता है। ऐसे लोगों को मिलता है जो

ब्लैक में बेच देते हैं। बुनकर दाने-दाने के लिए मर रहा है। उनके हथ करघे नीलाम हो रहे हैं। आपने चमड़े का जिक्र किया। क्या मैं आपके विभाग से या आपकी सरकार से जान सकता हूं कि जो लोग मरे हुए जानवरों को उठाते थे, उन्होंने इस काम को छोड़ दिया? उन्होंने ठीक किया। मेरा साफ तौर से गवर्नमेंट के ऊपर चार्ज है चमड़ा उतारने एवं मरे ढोरों के उठाने के काम को छोड़ देने के बाद आज लाखों जानवर मैदान में फेंक दिए जाते हैं, लाखों रुपये का चमड़ा बेकार हो रहा है, लेकिन मरे हुए ढोरों को उठाने तथा उनका चमड़ा उतारने के लिए कोई व्यवस्था सरकार ने उन्हें आपने कोई प्रोत्साहन नहीं किया है।

माननीय छेदीलाल जी हमारा समर्थन करेंगे और मैं यकीनन कहना चाहूंगा कि आपके उद्योग विभाग के चमड़ा कारपोरेशन ने क्या किया उन लोगों के लिए जो कि पेशेवर थे, जो मरे हुए जानवरों को उठाते थे और उनकी खाल का इस्तेमाल करते थे। आप कहते हैं कि हम लघु उद्योगों को चला रहे हैं। बाटा के सामने, करौना के सामने आगरे का जो आपका लघु उद्योग है जो जूते बनाते हैं और कानपुर और दूसरी जगहों में जो जूता बनाते हैं उनके संरक्षण के लिए क्या किया गया। बाटा में मैंने जाकर देखा कि सबसे कम दाम का जो मीडियम साइज का जूता था वह 124 रुपये का था और उसके बाद उसके दाम 175 रुपये, 200 रुपये और 300 रुपये तक हैं। दूसरी ओर वे कम्पनियां हैं, वे लघु उद्योगों के जूतों को खरीद कर अपना मोहर लगा देती हैं। आम जनता को ठग रहीं हैं। लघु उद्योग वाले जो जूता तैयार करते हैं उनको कौन सा इन्सेंटिव आप दे रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि आप अपनी उद्योग नीति को ठीक कीजिए जब तक वह नहीं होगा तब तक प्रदेश का औद्योगिक विकास नहीं होगा जब तक औद्योगिक विकास नहीं होगा तब तक प्रदेश आगे नहीं जायेगा प्रदेश को बेकारी और बेरोजगारी भी दूर नहीं होगी। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री अधिष्ठाता--

(उद्योग राज्य मंत्री के खड़े होने पर) क्या आप बहस में हिस्सा ले रहे हैं?

उद्योग राज्य मंत्री (श्री दयालकृष्ण)--

श्रीमन्, मैं हस्तक्षेप कर रहा हूं, आपकी आज्ञा से कहना चाहता हूं कि इस बात में कोई दो राय नहीं हो सकती कि इस प्रदेश के विकास के लिए औद्योगीकरण तीव्र गति से किया जाय। आज सबसे बड़ी समस्या प्रदेश के ग्रामीण अंचलों के उन नवयुवकों की है खासतौर से जो पढ़ चुके हैं और शहरों की ओर नौकरियों के लिए भाग रहे हैं। नौकरियों की सीमायें हैं जब वह शहरों में आते हैं तो नौकरियां उनको नहीं मिलती। आज बहुत सारी समस्यायें इसलिए हैं कि हमारे पढ़े-लिखे नवयुवकों के लिए काम नहीं है। कुछ हमारी शिक्षा पद्धति का दुर्भाग्य रहा है उनमें जो चेतना रही है, वह नौकरियों के लिए ज्यादा रही है। उनके मन में औद्योगिक चेतना नहीं है। मैं समझता हूं कि अभी तक उद्योग और उद्योगपति के बारे में एक भ्रम रहा है कि लोग यही समझते हैं कि उद्योगपति वही है जिसके पास पूंजी है, जिसके पास सरमाया है। आज प्रदेश में लोगों में चेतना जागृत करने की है

[श्री दयाल कृष्ण--]
कि उद्योग हर एक व्यक्ति लगा सकता है जो आदमी रा-मैटीरियल, मशीन और साधन जुटा सकता है, वह उद्योग लगा सकता है। इसके लिए आज बहुत से लीड बैंक हैं जो पूंजी देते हैं जिससे उद्योग लगाये जा सकते हैं। इस चेतना को जगाने के लिए आज हम हर कमिश्नरी में रीजनल कांफरेन्स कर रहे हैं, ग्रामीण अंचलों में कान्फ्रेन्स कर रहे हैं।

श्री कुबेर भण्डारी--

सारा पैसा उसी में खर्च हो रहा है।

श्री दयाल कृष्ण--

उद्योग ऐसा विषय है जो विवाद से परे है। यह जीवन का एक साधन है। वह एक सरविस है। इसमें न कोई विपक्ष है और न सरकार है। यह प्रदेश की उन्नति का प्रश्न है। इसमें हरएक के सुझाव मूल्यवान हैं। प्रदेश में जो जिला कमेटी उद्योग की थी वह बंद पड़ी हैं उनको फिर से पुनर्जीवित किया जा रहा है जिसमें हमारे विधायक और सांसद लोग सदस्य हैं। यह बहुत बड़ा उपकार कर सकते हैं। जो हमारी उद्योग नीति है, जो हमारे औद्योगिक कार्यक्रम हैं, जो हमारी योजनायें हैं उनको अपने-अपने क्षेत्र में पहुंचायें। मैं बतलाना चाहता हूं कि बैकवर्डनेस के मूल्यांकन के सम्बन्ध में असंगतियां हैं जैसे कानपुर का उदाहरण ले लीजिये। कानपुर शहर औद्योगीकरण की दृष्टि से काफी बढ़ा है। लेकिन कानपुर के देहात जो हैं, वे उत्तर प्रदेश के अन्य देहातों के बराबर ही पिछड़े हुए हैं। अतः इस दृष्टिकोण से ब्लाक स्तर पर अब बैकवर्डनेस दूर करने के लिए हम उसका मूल्यांकन करना चाहते हैं और उससे उसकी परिभाषा निर्धारित करना चाहते हैं। मैं हर्ष के साथ कहना चाहता हूं कि यह सरकार दृढ़ संकल्प है कि जहां भी कोई घोटाला है, जितनी भी गड़बड़ी है, उसको बड़ी दृढ़ता के साथ हटाया जाए। अतः आदेश इस बात के हर स्तर पर दे दिये गये हैं कि जहां कहीं भी कच्चे माल के आवंटन में या उसके इस्तेमाल में गड़बड़ी है, उसको तुरन्त रोका जाए और यह भी आदेश दिये गये हैं कि यदि अब कहीं पर कोई फर्जी इकाई पाई जाएगी और उसको कच्चा माल मिलता हुआ पाया जाएगा तो उसकी जिम्मेदारी जिला उद्योग अधिकारी की भी मानी जाएगी। इकाई तो कैंसिल करके ब्लैक लिस्टेड की ही जाएगी, किन्तु वह अधिकारी भी अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच पायेगा।

मुझे इस बात की भी खुशी है कि इसी सन्दर्भ में काफी मात्रा में आगरा और फिरोजाबाद में फर्जी इकाइयां पकड़ी गई हैं और उनके लाइसेंस समाप्त किये गये हैं। मैं यह भी बताना चाहता हूं, यह भी आदेश दे दिये गये हैं कि जो भी कच्चा माल आवंटन किया जाता है, उसकी लिस्ट छापकर जिला स्तर पर रखी जाए, ताकि हर जिले के हर विधायक को और चेतन समाजसेवी को यह पता चल सके कि कौन व्यक्ति सरकार से कच्चा माल ले रहा है और उसका वह उपयोग कर रहा है या दुरुपयोग कर रहा है। मैं इसमें सारे सदस्यों का सहयोग चाहूंगा। उनकी जानकारी में यदि कोई भी ऐसी इकाई आती है और वह समझते हैं कि वह कच्चे माल का दुरूपयोग कर रही है तो वह उसकी सूचना हमको दे देंगे तो उसके साथ कोई भी रियायत, किसी प्रकार की भी बरती नहीं जाएगी।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी उद्योग-नीति बड़ी स्पष्ट है। हम किसी विशेष प्रकार के इज्म से बंधे नहीं हैं, बाध्य नहीं हैं। हमारा तो

केवल एक ही ध्येय है कि उद्योग लगें, चलें और मजदूर सुखी रहें। मैं इस सम्बन्ध में आपको यह भी बताना चाहता हूं कि गवर्नमेंट प्रेस, इलाहाबाद के श्रमिकों का बोनस सम्बन्धी जो झगड़ा था उसको अभी हमने तय किया। चुर्क और डल्ला सीमेंट फैक्टरियों में जो वर्कर्स और मैनेजमेंट का झगड़ा था, उसको हमने समाप्त कराया है। माइनिंग डेवलपमेंट कारपोरेशन में जो भी कर्मचारियों का विवाद था, उसको निपटाया, मोदी कपड़ा मिल में बोनस सम्बन्धी जो झगड़ा था, उसका विवाद सरकार ने निपटवाया है और 26 लाख रूपया उनसे बोनस का मजदूरों को दिलवाया है। यहां पर मैं यह भी कहूंगा कि हमारे लिए यह सौभाग्य की बात है कि हमारे प्रदेश में नेतृत्व मुख्य मंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी को प्राप्त है, जो उद्योगों के मामले में बहुत ही चेतन हैं। उनको उद्योग के सम्बन्ध में काफी जानकारी है और वह इस बात के लिए काफी प्रयत्नशील हैं कि भारी उद्योग उत्तर प्रदेश को मिलें और यहां लगें। इस दिशा में उनके नेतृत्व में काफी सफलता भारत सरकार से कई मामलों में हमें मिल रही है, बहुत से उद्योगों के लिए बातचीत चल रही है और मुझे विश्वास है कि कुछ ही दिनों में हम इस स्थिति में होंगे कि आपको सूचित करें कि फलां-फलां भारी उद्योग हमको प्राप्त हुए हैं।

मान्यवर, मैं इस सम्बन्ध में यह भी आपको बतलाना चाहूंगा कि जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा था कि हर स्तर पर यह प्रयत्न किया गया है कि आज हमारे उद्यमियों को भटकना न पड़े। लखनऊ में ही मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति बना दी है जिसमें अलग-अलग विभाग के सचिव हैं जो उस समिति के सदस्य हैं और उस समिति को 2 माह का समय दिया गया है कि अगर किसी भी उद्यमी का प्रार्थना-पत्र आये तो उसको देखकर, सोच समझ कर उस पर अंतिम निर्णय कर दें और उसको इधर उधर न भटकना पड़े। इसी प्रकार से हमने कानपुर में एक कन्ट्रोल रूम खोल दिया है। यदि वहां से शासन किसी प्रकार की सूचना चाहता है तो उसे किसी भी उद्योग के बारे में सूचना तुरन्त दी जाती है। वह 24 घंटे खुला भी रहता है। मैं अपने माननीय सदस्यों को आश्वस्त करता हूं कि हम कृत संकल्प हैं कि इस वर्ष हम अपने प्रदेश में उद्योगों को द्रुतगति से बढ़ायेंगे।

*श्री खैरुल बशर--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे उद्योग के बजट पर कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में बोलने का अवसर दिया।

सबसे पहले मैं यह बता दूं कि देश के अन्दर हमारे उत्तर प्रदेश को सनती इकाई माना जाय तो यह गलत होगा। यह एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है जिसमें सरकार की जो कृपा है उसमें चीनी का उद्योग, जे0 के0 रैयन, और टेक्सटाइल्स पूंजीपतियों के हाथों में खेल रहा है। मजदूरों का गला दबा रही है, किसानों को अपनी फसलों के दाम नहीं लेने देती जैसे मालूम होता है कि सारे किसान भारत सरकार की तिजोरी को लेना चाहता है, उनका दिल कचोटने लगता है।

इसके साथ ही साथ इन उद्योगों में जहां पर यूनियन बाजी के झगड़े हैं सरकार कोई नीति तय नहीं करती है। एक फैक्टरी भी यूनियन में गुप्त मतदान

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री खैरुल बशर—]

कराकर लफंगों और गुन्डों को मौका देती है। कानपुर की रेयन फैक्टरी की यही हालत है। हमारे प्रदेश में उद्योगों के विकास की गति में धीमापन इसलिए है कि एक ओर तो सरकार कहती है हम कीमतों को कम करेंगे और इसके लिए हम दृढ़ संकल्प हैं। लेकिन वास्तव में स्थिति क्या है। आज चीनी, पेट्रोल, खाद, बीज, कोयला, रेलवे फ्रेट, डीजल, यार्न, स्टील, अर्थात् हर चीज के दाम तो सरकार ने बढ़ा दिए हैं। दूसरे डेफिसिट फाइनांसिंग करके बजट का सारा बोझा जनता पर डाला जाता है। इस देश के अन्दर कोई भी ऐसा तरीका नहीं निकाला गया कि जिससे राजकीय उद्योग का विकास हो सके। मालूम तो ऐसा लगता है कि हमारा उद्योग विभाग भी पूंजीपतियों की सहायता करता है और छोटे उद्योगों का जो छोटे पैसे वाले हैं, उनका सफाया करता चला जा रहा है। मैं हैंडलूम कार्पोरेशन की ही बात करता हूं। पिछले वर्ष मैंने इसकी थोड़ी सी तारीफ की कर दी लेकिन इस साल इसकी इतनी दयनीय स्थिति हो गयी है कि सार्वजनिक धोतियों की सप्लाई ही बन्द हो गयी है। इसलिए कि सूत के दाम 50 फीसदी बढ़ गये थे मैं तो कहता हूं कि जब दाम तय किए गए थे उसके दाम रिवाइज करके लगाने चाहिए थे। जब सूत की कीमतें बढ़ गयी थीं तो उनके रेट्स भी रिवाइज करने चाहिए थे। आज बड़े-बड़े अधिकारी हैंडलूम में लूट मचा रहे हैं। मऊनाथ भंजन के 2 आदमी ऐसे हैं जो कारपोरेशन से सांठ गांठ करके हैंडलूम वालों को लूट रहे हैं।

(इस समय 4 बजकर 9 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

और वह कारपोरेशन से एकदम जाली धन्धा किये हुये हैं। मैं चाहता हूं मंत्री जी इसकी जांच करवा कर देख लें। मैं उनके नाम भी बता सकता हूं, पर मैं बताऊंगा नहीं, वे इसकी जांच करवा लें।

हैंडलूम उद्योग के सामने आज कई रुकावटें पैदा हो गयी हैं। जितनी भी प्रदेश की सड़ियल मिलें थीं, जिनको पूंजीपतियों ने फेंक दिया था। भारत सरकार ने, उनको सहायता दे रखी है और वह उनको चालू रखना चाहती हैं। इनके द्वारा हैंडलूम का गला घोटा जा रहा है। वर्ल्ड कम्प्टीशन में इनको लगा दिया है और कहा गया है कि हैंडलूम का गला काटो। यह इन हैंडलूम उद्योगों को आगे नहीं बढ़ने दे रही है। इनके कारण आज हैंडलूम जगत के सामने भयानक संकट पैदा हो गया है। आज तक इतना बड़ा संकट कभी पैदा नहीं हुआ। इन उद्योगों में लगे हुये आज लाखों मजदूरों के सामने भुखमरी की हालत पैदा हो गयी है। उत्तर प्रदेश की नौकरशाही और भारत सरकार बड़े-बड़े उद्योगों को ही आगे बढ़ाना चाहती है क्योंकि बड़े-बड़े उद्योगपतियों से, टाटा और बिड़ला से उनसे पैसा मिलता है, और यह लोग उत्तर प्रदेश को तबाह करने पर लगे हुये हैं। जब तक यह सरकार बड़े-बड़े घरानों के हाथों में खेलती रहेगी, उत्तर प्रदेश का विकास नहीं होगा और यह हैंडलूम उद्योग चौपट हो जायेगा, उसका विकास नहीं हो सकेगा।

मऊ में पावरलूम का बना हुआ धोती जोड़ा 40-42 रुपये में तैयार हो जाता है, मगर आज उस पर इस तरह के प्रतिबन्ध लग हुये हैं। आज छोटे उद्योग बड़े-बड़े पूंजीपतियों के, मगरमच्छों के हाथों में है और इनमें लगे मजदूरों का जिन्दा रहना मुश्किल हो गया है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये। इस शब्दों के साथ में इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

संख्या 27––लेखन सामग्री और मुद्रण, अनुदान संख्या 63––भारी एवं मध्यम उद्योग, अनुदान संख्या 65––ग्राम एवं लघु उद्योग, अनुदान संख्या 66––खानें तथा खनिज, अनुदान संख्या 88––उद्योग विभाग पूंजीगत परिव्यय तथा अनुदान संख्या 116––उद्योग विभाग ऋण और अग्रिम

श्री संजय सिंह––

मान्यवर, राज्य की अर्थ व्यवस्था और आमदनी को बढ़ाना, लोगों के रहन–सहन को ऊंचा करना है तो उसमें उद्योगों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और हमारी प्रदेश की सरकार इसमें महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में किसान जिस चीज की पैदावार करता है उससे सम्बन्धित उद्योग लोग लगायें। इस बारे में हमारी सरकार काफी प्रयास कर रही है। पिछली पंचवर्षीय योजना में उद्योग विभाग को बहुत पीछे किया गया क्योंकि उस समय प्रदेश तथा केन्द्र में जनता पार्टी तथा लोकदल की सरकार थी और उसने उद्योगों में बहुत हस्तक्षेप किया। इसका परिणाम यह हुआ कि प्रदेश में जनता को जो फायदा होना चाहिये था, गरीबों को जो फायदा होना चाहिये था अथवा बेरोजगारों को जो फायदा होना चाहिये था, वह नहीं हुआ। जो लोग बहुत कम आमदनी के थे, जिनकी आय बहुत कम थी, जो स्कूटर आदि लोन लेकर खरीदते थे, लोन लेकर ट्रक खरीदते थे उस अधिकार को उद्योग मंत्री ने अपने हाथ में उस समय ले लिया था जिसका नतीजा यह हुआ कि आज कोई मंत्री उनको उपलब्ध नहीं करा सकता। गत वर्ष के अन्त तक प्रदेश में 61 औद्योगिक आस्थान स्थापित हो चुके थे जिनमें 900 निर्मित शेड तथा 2155 प्लाट उपलब्ध हो चुके थे। विभागीय प्रयासों द्वारा इनमें से 870 शेडों तथा 1907 प्लाटों का आवंटन उद्यमियों को किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त शेडों तथा प्लाटों पर इकाई के स्थापनार्थ प्रयास जारी है।

पिछड़े क्षेत्रों में त्वरित औद्योगिक विकास हो सके, इसके लिये हमारी सरकार ने प्रदेश के अनेक जनपदों में राज्य पूंजी उपादान योजना लागू की है जिसके अन्तर्गत लघु उद्योग, लघुतर उद्योग तथा कुटीर उद्योगों की स्थापना की जायगी जिनमें 10, 15 तथा 20 प्रतिशत अनुदान वितरित करने का प्राविधान किया गया है। इसके अलावा विकास केन्द्रों पर स्थापित औद्योगिक इकाइयों को विद्युत उपादान एवं कंसल्टेंसी सबसिडी भी देने की योजना प्रारम्भ की गयी है। इस वर्ष देश में प्रदेश के हथकघा टेक्सटाइल कारपोरेशन ने रिकार्ड उत्पादन किया है जिसका क्रेडिट अवश्यमेव इस सरकार को जाता है।

इन बातों के साथ–साथ पूरे प्रदेश में उद्योगों का फायदा ऊंचे स्तर तक पहुंच सके इसके लिए पूरे प्रदेश में 12 कारपोरेशन्स स्थापित किये गये हैं जैसे उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम, उत्तर प्रदेश वस्त्र निगम, उत्तर प्रदेश सीमेन्ट निगम, प्रदेशीय इंडस्ट्रियल एन्ड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन, उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम, उत्तर प्रदेश निर्यात निगम, उत्तर प्रदेश राज्य हथकर्घा निगम, उत्तर प्रदेश राज्य पीतल बर्तन निगम तथा उत्तर प्रदेश चमड़ा विकास एवं विपणन निगम आदि, आदि। इस तरह इन कारपोरेशन्स के द्वारा गरीबों तक, बेरोजगारों तक सहायता पहुंच सके इसके लिए सरकार बराबर प्रयास कर रही है। यद्यपि हमारी सरकार बराबर यह प्रयास कर रही है कि बेरोजगारों को रोजगार मिले, उनके रहने सहने का स्तर ऊंचा हो तथापि मेरा एक सुझाव है कि अगर कोई चाहता है कि इंडस्ट्री खोले तो उसको थोड़ी बहुत सुविधायें देने की भी आवश्यकता है। यदि किसी को उद्योग लगाने के लिए पानी, बिजली तथा जमीन की आवश्यकता है, उसके लिए लोन लेना चाहता है तो उसकी व्यवस्था तुरन्त होनी चाहिए, उसको भटकना न पड़े। जितने आफिसेज हैं उसके लिए मेरा सुझाव है वे

[श्री संजय सिंह]—

एक ही स्थान पर हों, अथवा एक ही आफिस के ये सारे काम हों ताकि उसकी समस्या का हल हो सके। एक चीज यह भी है कि यहां बजट पास कर दिया। सारे लोग मिल कर यह निश्चय करते हैं कि फलां विभाग में इतना पैसा लग रहा है तो उसमें मेरा एक और सुझाव है कि माननीय विधायकों की एक कमेटी के रूप में बनाया जाय जिसमें हम लोगों का और उससे सम्बन्धित आफिसेज का यह काम हो कि बाद में इसका निरीक्षण हो सके जो कि हम लोगों ने निर्णय किया है, उसमें कठोर कदम इन पर उठाये जा रहे हैं, वह काम पूरे समय से हो रहा है अथवा नहीं।

इसके साथ किसान ज्यादातर अपने इस प्रदेश में बसते हैं और यह खेती का काम बारहों महीनों का नहीं होता। तो इस तरह से ग्रामीण अंचलों में इस तरह के लघु उद्योग अथवा जितनी भी आमदनी और जितनी भी कीमत का उद्योग लग सके, किसानों को ऐसे उद्योग दिये जायं कि अपनी खेती के समय के पश्चात् भी अपने को छोटे उद्योगों के माध्यम से अपनी आमदनी को बढ़ा सकें। अपने प्रदेश में काफी एरिया में ऊसर भी है, वहां कुछ ऐसे व्यवसाय हों कि अगर कुछ वहां विशेष सब्सीडाइज रेट पर अथवा उसे अधिक ज्यादा छूट के माध्यम से छोटे उद्योग लगवाये जायं, रा-मैटेरियल भी जहां पैदा होता है, जिस इलाके में रा-मैटेरियल होता है, वहां उससे सम्बन्धित उद्योग लगवाये जायं, तो मैं समझता हूं कि वह विशेषकर लाभ होगा और ज्यादा से ज्यादा लोग लाभ उठा सकेंगे। इसके साथ-साथ बड़े उद्यमी जहां अपने उद्योग लगायें, अपने इस प्रदेश में। मेरा यह सुझाव है माननीय मंत्री जी से कि कुछ ऐसे रेट तक एक कीमत या आमदनी का एक रेशियो फिक्स्ड किया जाय कि अगर कोई मिल मालिक कोई उद्योग लगाता है कानपुर में लखनऊ में तो उसकी आमदनी का निश्चित भाग उसे वहीं पर, उससे सम्बन्धित और वहां के बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए उसे बाध्य किया जाय। अगर ऐसा किया गया तो मुझे विश्वास है कि अगर वह अपना पैसा लगायेगा, तो विशेषकर वहां पर और भी लोगों को फायदा होगा। मैं यह चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इन बातों पर अवश्य ध्यान दें कि जिससे इस प्रदेश में उद्योग विभाग का जो मकसद है, वह हल हो सके। इसके साथ ही हम आज के इस बजट का समर्थन करते हैं और यह विश्वास करते हैं कि इस पर अवश्य कार्यवाही होगी।

श्री राम हर्ष राय—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने उद्योग बजट पर मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। मैं श्री केदार जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हुआ हूं। मान्यवर, मैंने बड़े ही गौर से उद्योग मंत्री जी के बजट भाषण को सुना और सुनने के साथ इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि सम्भवतः जितनी आशा हम लोग मंत्री जी से किये थे उद्योग के क्षेत्र में उन सभी आशाओं पर तुषारापात हो गया। मान्यवर, पहली चीज तो मैं यह कहना चाहूंगा कि बजट जो है, वह बिलकुल दिशाविहीन है। मान्यवर, मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि इस बजट की प्रमुख दो विशेषतायें हैं। एक विशेषता तो मान्यवर, यह है कि इस बजट में जो कि मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है इसमें ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र, दो क्षेत्र में, पूरे बजट को इन्होंने बांट दिया है और दूसरी विशेषता इसकी यह है कि उत्तर प्रदेश का प्रत्यक्ष रूप में दो हिस्सों में बंटवारा मंत्री जी चाहते हैं। अपने बजट में बिलकुल इन्होंने साफ स्पष्ट कर दिया है पूर्वी उत्तर प्रदेश

और पश्चिमी उत्तर प्रदेश । यह आज तक जितना पैसा बजट उद्योग के ऊपर खर्च हुआ है, अगर उसको हम अलग-अलग देखें, तो यह स्पष्ट हो जायगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर जितने पैसे लगे है, जितने उद्योग लगे हैं, उसके मुकाबिले आज तक 33 वर्ष के शासन काल में पूर्वी उत्तर प्रदेश में नगण्य सा उद्योग है और नगण्य सा पैसा लगा है । आप देख रहे हैं भारत चौतर्फा, गुजरात उधर जल रहा है, इधर आसाम जल रहा है, अगर यही रवैया सरकार का रही तो उत्तर प्रदेश जल कर रहेगा ।

मान्यवर, सत्य बात कड़वी जरूर होती है । मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि अगर यह रवैया रहा तो निश्चित है कि उत्तर प्रदेश का भी बंटवारा होगा । अभी उच्च न्यायालय के मामले में देख रहे हैं कि पूर्वी और पश्चिमी की भावना किस तरह उभरकर सामने आयी है । इनकी अनेक संस्थाएं हैं, जिसका हेडक्वार्टर कानपुर में है—वित्त निगम, कानपुर और एक है उद्योग निदेशालय, कानपुर, इनका काम है केवल फर्जी कागज पर कोटा परमिट देना और कर्जा देना, सब कुछ केवल फर्जी इसमें भी मुझे कोई गुरेज नहीं है । सबसे बड़ी चीज यह कि मंत्री जी आ गये, यह ठीक है । इससे पहले जो मंत्री जी थे, तो पूर्वी जिले क्या आशा कर सकते थे । मैं फिर मांग करता हूं इस सदन से कि वित्त निगम, कानपुर और उद्योग निदेशालय, कानपुर बन्द किया जाय क्योंकि इनका कार्य फर्जी है । मेरा कहना है कि जो काम इनके जिम्मे दिया गया है, वह बैंकों की मार्फत से हो और जो भी सूद वगैरह हम लेते हैं, वह केवल 4 प्रतिशत हो, तभी उद्योग विकसित होगा ।

सभी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है और यहां की 68 प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर आधारित है । इतिहास इस बात का साक्षी है कि आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आदि देश ऐसे हैं, जो अर्द्धविकसित हैं, भारत भी उसी श्रेणी में आता है, जब तक आप कृषि का विकास नहीं करेंगे, यह देश विकास नहीं कर सकता है । आप आंकड़े उठाकर देख लीजिये । 188 करोड़ रु० आप खर्च करते हैं वृहद् उद्योग और माध्यमिक उद्योग में छठी पंचवर्षीय योजना में और 168 करोड़ पांचवीं पंचवर्षीय योजना में जबकि लघु उद्योग और ग्रामीण उद्योग के मद में आप खर्च करते हैं 125 करोड़ रु० । इस प्रकार से कृषि उद्योग को बढ़ावा नहीं दिया गया तो प्रदेश उसी स्थान पर रह जायगा । एक चीज और वित्त निगम, कानपुर, पैसा देता है, उद्योग बढ़ाने के लिय, तो पैसा तो दे देता है लेकिन उसका काम भी देखना चाहिये कि जिस उद्योग को स्थापित करने के लिये पैसा दे रहे हैं, उस कारखाने को लाइसेन्स, बिजली मिली कि नहीं, यह वह नहीं देखते वह देखते हैं कि साल भर में कितने पैसे सूद का बना और क्या पैसा बचा । मैं इसका जवाब चाहता हूं और मांग करता हूं कि वित्त निगम का सदस्य लाइसेंसिंग कमेटी में होना चाहिये ताकि वह यह देखे कि जिसे कर्जा देते हैं उसे लाइसेन्स मिला है या नहीं ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय राय साहब, आपका समय समाप्त हो गया ।

(व्यवधान)

श्री राम हर्ष राय—

गाजीपुर जिले में ओम ड्रग ऐण्ड फार्मास्यूटिकल्स एक कारखाना एक वर्ष से तैयार है जिसे लाइसेन्स आज तक नहीं मिला और दो वर्ष से सूद के साथ वह पैसा दे रहा है लेकिन कोई सुनवायी नहीं हो रही है। मंत्री जी इसको देख लें।

श्री केदार नाथ सिंह—

मान्यवर, अभी बजट पर काफी समय से चर्चा हो रही है और चर्चा से सदन एवं मान्यवर, स्वयं आप इस बात से अवगत हुये होंगे कि इस दिशा हीन सरकार के पास न तो कोई ठोस नीति है और न कार्यक्रम है। अभी जितनी भी बातें शासक पक्ष से कही गयीं उसमें नीति सम्बन्धी और कार्यक्रम सम्बन्धी कोई भी ऐसी बात नहीं कही गयी जिससे आशा की जा सके कि वर्ष 1981-82 में उद्योगों का हम विकास कर सकते हैं। मान्यवर, शासक पक्ष के श्री बाजपेयी ने अभी चर्चा में भाग लिया और लाइसेन्स की बात कही। विरोध पक्ष के किसी भी माननीय सदस्य ने यह नहीं कहा कि लाइसेन्स न जारी किये जायं। लाइसेन्स जारी करना प्रदेश के विकास के लिये आवश्यक है इसमें कोई टिप्पणी नहीं है। लेकिन लाइसेन्स जारी करने में भ्रष्टाचार जो होता है वह कष्टदायी है। उसकी निन्दा होनी चाहिये।

मान्यवर, जनता पार्टी के समय में जो लाइसेन्स जारी किये गये उसमें किसी भी प्रकार के भष्टाचार का मामला प्रकाश में नहीं आया। शासक पक्ष को मैं चुनौती देता हूं कि न तो यहां विधान सभा में और न संसद में ही ऐसा मामला आया जिसमें जनता पार्टी द्वारा जारी की गयी लाइसेन्स नीति की आलोचना की गयी हो। इसके विपरीत 1971 के बाद जिस संसद का गठन हुआ, उसमें सत्ता पक्ष जो उस समय भी केन्द्र में थी, उसके लाइसेन्स के घोटाले के मामले वहां उठे थे, यह शर्मनाक बातें हुआ करती हैं। मान्यवर, जो श्री बाजपेयी ने कहा है वह हम लोगों के दिमाग को दूसरी तरफ मोड़ने की चेष्टा की गयी है। लाइसेन्स जारी करना कोई बुरी बात नहीं है लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि हम गांवों में और प्रदेश में उद्योग धन्धों को किस तरफ विकसित करें। ऐसी नीति और कार्यक्रम लागू करें जिससे प्रदेश के अन्दर औद्योगिक प्रगति बढ़ती रहे। इस तरह प्रयास हम सभी का होना चाहिये। बड़े खेद की बात है कि बजट में जो चर्चा होती है उसमें विरोध पक्ष के जो अच्छे सुझाव हैं, उनको मंत्री और माननीय सदस्य सुनें और उन पर अमल करें तब तो हम उसमें भागीदार हो सकते हैं लेकिन यदि हमारी अच्छी नीति और बात नहीं मानेंगे तो लेजिस्लेचर की मंशा, जो संविधान में प्राविधान किया गया है कि बजट में सामान्य चर्चा में सभी पक्षों का सहयोग रहे तो वह, निष्प्रभावी हो जाती है। इसलिये जब शासन के पास कोई नीति और कार्यक्रम नहीं हैं, जैसा कि चर्चा से स्पष्ट हो गया है, तो विरोध पक्ष के अच्छे सुझावों पर अमल होना चाहिये।

मान्यवर, मैंने शासन का ध्यान तीन मुद्दों की तरफ आकर्षित किया जिन पर यदि विचार और अमल किया जाय तो निश्चित रूप से औद्योगिक क्षेत्र में विकास होगा। सबसे पहला मुद्दा है कि उद्योगों का विकेन्द्रीकरण होना चाहिये। दूसरी बात लघु उद्योगों के लिये जो क्षेत्र हैं वह निर्धारित किये जाने चाहिये और तीसरी चीज है जो कार्यक्रम लागू किये जायं उनके कार्यान्वयन के

लिये सही काम हो। विभाग सही काम कर रहा है कि नहीं इसको देखा जाना चाहिये। यदि कोई बेरोजगार युवक रजिस्ट्रेशन कराता है उद्योग विभाग में और प्रार्थना-पत्र देता है तो उसकी तिथि घोषित किया जाना चाहिये और उसकी रिपोर्ट आनी चाहिये कि कितनी उसमें प्रगति किया गया है, मंथली रिपोर्ट शासन के पास उसकी होनी चाहिये। इन तीन मुद्दों की तरफ शासक दल ध्यान देगा तो मेरा निश्चित मत है कि इस प्रदेश के अन्दर क्रान्तिकारी परिवर्तन होगा।

मान्यवर, एक मां और बच्चे का मधुर रिश्ता होता है जो रिश्ता मां और बच्चे का होता है वही रिश्ता उद्योग विभाग और उद्यमियों का होता है। मां अपने बच्चे को केवल दूध नहीं पिलाती है बल्कि उसको दैवीय आपदाओं और संकट से बचाती है। वह यह चेष्टा करती है कि हमारे बच्चे को आघात न पहुंचे। आज उद्योग निदेशालय यह समझ रहा है कि एक आटोमेटिक मशीन की तरह हमारा काम केवल ऋण दिलाना है अगर यही काम रहा तो इससे विकास नहीं हो सकता है। उद्योग विभाग को मां के समान उद्यमियों के साथ व्यवहार करना चाहिये। उसका काम केवल ऋण दिलाना नहीं बल्कि जो रोड़े उसमें आते हैं उसको दूर करना भी काम है। मान्यवर, मैंने कटौती का प्रस्ताव रखते समय 3-4 मुद्दों की तरफ माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित किया। यह मेरा तात्पर्य नहीं है कि सारा दोष विभाग का है। मेरे कहनेका तात्पर्य है कि जो उद्योग खोले जा रहे हैं उनमें जो रुकावट आ रही है उनको आप अगर दूर नहीं करेंगे तो उद्योग विकसित नहीं होगा।

3-4 बातें हमारे विरोध पक्ष की तरफ से रखी गई। किन्तु शासक दल ने कोई कार्यक्रम नहीं रखा प्रदेश के विकास के लिए जिससे प्रदेश आगे बढ़े। माननीय संजय सिंह ने जो नवयुवकों के प्रेरणा के स्रोत कहे जाते हैं, उन्होंने नवयुवकों के बेरोजगारी के बारे में कोई नये कार्यक्रम की बात नहीं कहीं, उनसे मुझे निराशा हुई बाजपेयी जी ने जो कहा उससे भी मुझे निराशा हुई, मंत्री जी ने शुरू में ही निराश किया। सत्ता पक्ष के किसी विधायक ने उद्योग विभाग के बारे में कोई नये कार्यक्रम या नीति की बात नहीं कही। मान्यवर, एक बात मैं और कहना चाहता हूं ऐसी बात नहीं है कि हमारे प्रदेश की जनता उद्योग में रुचि नहीं ले रही। सन् 1977-78 में वित्त निगम में 978 आवेदन-पत्र आये और जबकि 79-80 में 4 हजार 268 आवेदन-पत्र आये। इससे साफ जाहिर होता है कि इस प्रदेश की जनता को उद्योग में रूचि है। प्रश्न है कि रुचि के साथ एटमासफियर का वातावरण क्रियेट करना सत्ता पक्ष का कर्त्तव्य है। अगर वह अपने कर्त्तव्य का निर्वहन करें तो निश्चित रूप से उद्योग का विकास होगा। लेकिन मान्यवर, प्रदेश की जनता की जो रुचि है औद्योगिक विकास की तरफ उस पर कुठाराघात हो रहा है शासकदल की तरफ से। यह मेरा स्पष्ट आरोप है। जनता पार्टी की रेजीम में लघु उद्योग धंधों में ग्रामोद्योग के अंदर जितना प्राविजन किया गया था उसके मुकाबले में आज की बढ़ती हुयी महंगाई में और बेरोजगारी के हिसाब से यह धनराशि बहुत ही नगण्य है। मैं कहना चाहता हूं कि जब सत्तापक्ष दिशाहीन हो गया है, कोई नीति और कार्यक्रम नहीं रह गया है तो आज खुले दिल से जो हमारी नीति है और जो

[श्री केदार नाथ सिंह--]

हमारे कार्यक्रम हैं उनका स्वागत करें। मेरा अनुरोध है कि सर्व सम्मति से इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करें और सर्व सम्मति से इसको स्वीकार करें। धन्यवाद।

श्री नियाज हसन खां--

अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय सदस्यों ने जो विचार व्यक्त किये हैं और जो सुझाव दिये हैं, उसके लिये मैं उनका आभारी हूं। केदारनाथ सिंह जी हमारे पुराने साथी हैं कटौती के प्रस्ताव से ज्यादा तो यह अपनी आवाज से प्रभावित कर देते हैं। मान्यवर, गवर्नमेंट प्रेस के सम्बन्ध में, जो बाहर काम दिया जाता है तो क्यों बाहर काम दिया जाता है यह भी एक कटौती का प्रस्ताव आया है। जब हमारे प्रेस में, हमारे दोनों प्रेस जो लखनऊ और इलाहाबाद में हैं, वहां जब ज्यादा काम हो जाता है खासतौर से चुनाव के जमाने में इलेक्टोरल रोल छापने पड़ते हैं तो मजबूरन बाहर काम देना पड़ता है। इसी वजह से हम बनारस और रामपुर के प्रेस को जल्द से जल्द इस काबिल बना रहे हैं कि बाहर काम न देना पड़े। हमारे माननीय रियासत हुसेन साहब ने चर्चा किया ट्रैक्टर के बारे में, तो मैंने जानबूझकर, आटो ट्रैक्टर लिमिटेड का जो हमारा कारखाना है, उसका जिक्र नहीं किया था, तो मैं उनको सूचित करना चाहता हूं कि आटो ट्रैक्टर्स लिमिटेड, ब्रिटिश फर्म ली लैंड के कोलेबरेशन से प्रतापगढ़ में स्थापित किया गया है और कम से कम समय में यानी 1981-82 में, मई में ट्रैक्टर बनने शुरू हो जायेंगे और आशा यह की जाती है कि 1981-82 में 500 ट्रैक्टर इस कारखाने से निकल जायेंगे। तो मैं रियासत हुसैन साहब से पूछना चाहूंगा कि कोई भी ऐसी मिसाल दें कि इतनी जल्दी कारखाना स्थापित हो और 500 ट्रैक्टर असेंबिल करके निकल जायं।

श्री रियासत हुसैन--

मेरे कहने का मतलब है कि आपका ट्रैक्टर मैसी फरगूसन से अच्छी क्वालिटी का होगा या नहीं, मेरे कहने का यह मतलब था।

श्री नियाज हसन खां--

मैं उस पर आता हूं। ब्रिटिश फर्म ली लैंड के कोलेबरेशन से हम बना रहे हैं, यह दुनिया में सबसे अच्छी मानी गयी है। जाहिर है, मैसी फरगूसन से इसकी कीमत कम है।

तो सन् 1985-86 के लगभग 6 हजार ट्रैक्टर बनने की आशा है। जब पूरी क्षमता पर कारखाना होगा तो 1,260 आदमी इसमें काम करेंगे। फिलहाल 233 आदमी इसमें काम कर रहे हैं।

जो कारखाने हैं सरकारी क्षेत्र में या केन्द्रीय क्षेत्र में या उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लगाये गये हों, तो मैं इस कोशिश में हूं कि जो फर्टीलाईजर के कारखाने हैं, जो शीघ्र ही लगने जा रहे हैं तो कम से कम हमारे प्रान्त में भी 4 कारखाने लगें। आशा है कि केन्द्र सरकार हमारी इस बात को मानेगी।

श्री मोहन सिंह--

हमने तो समाचार-पत्रों में पढ़ा था कि मिल गया है, माननीय मुख्य मन्त्री जी ने कहा और आप कह रहे हैं कि सरकार यदि मानेगी। इसमें सही क्या है?

श्री नियाज हसन खां--

जो आप समझ रहे हैं, वही सही है। (शोर) तो इस तरह से हमारी कोशिश है कि एरोनोटिक्स, भेल, एच० ए० एल० और फर्टीलाइजर प्लान्ट वगैरह हमारे प्रान्त में लगे कोयला ज्यादा से ज्यादा वैगन द्वारा मंगाये। दूसरे हमारे कुछ साथियों ने कहा गोलमाल और धपले के बारे में कहा तो मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कोई भी शिकायत धपले की अगर हमारे पास आती है तो हम उसे फौरन विजिलेन्स के सुपुर्द कर देते हैं और अगर आगे ऐसी कोई शिकायत आयेगी तो उसे भी फौरन विजिलेन्स के सुपुर्द करेंगे और यह नहीं ख्याल करेंगे कि यह हमारा विभाग है, हमारे ही विभाग के लोग हैं।

(व्यवधान)

हमारे पास जो भी मशीनरी है, उसका उपयोग हम कर रहे हैं। हमको पूरे तौर पर केन्द्र पर निर्भर रहना पड़ता है। हमने डेढ़ लाख वैगन कोयला मांगा और दिया गया 90 लाख और आया यहां 17 लाख वैगन। तो ऐसी सूरत में क्या हो? अभी केन्द्रीय मन्त्री जी यहां पर तशरीफ लाये थे तो यह तय हुआ कि उनके सामने यह बात रक्खी जाए कि जितने किस्म के कोयले हैं, उनके जगह-जगह पर डम्प खोले जाएं। गाजियाबाद, नैनी, कानपुर और हर रीजन में खोले जाएं।

(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, हम तो एक कदम आगे बढ़े कि अगर रेल परमिट हमको न मिले तो कम से कम ट्रक्स परमिट मिलने लगें और हम आशा करते हैं कि यह जो कोयले की कमी है, वह जल्द से जल्द दूर होगी। जहां तक बुनकरों का सवाल है अध्यक्ष महोदय, हम केन्द्र सरकार से बराबर इस बात के लिए लड़ रहे हैं कि उनको जो सब्सीडी मिल रही है इस वक्त 1.25 रुपया पर स्क्वायर मीटर तो मैं समझता हूं और आपके द्वारा माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि हमारे सपनों को केन्द्र ने साकार किया है। और जल्दी ही जो सबसीडी है वह कम से कम 1 रुपया 25 पैसे से लेकर 1 रुपया 60 पैसे कर दी जायेगी और मैं आशा करता हूं कि 2 रुपये तक कर दी जायेगी। हमने यह भी आदेश जारी किये हैं एक हजार बेल उनको 10 रुपये डिसकाउन्ट पर कम करके उनको दी जाय ताकि उनको सहायता मिल सके।

अध्यक्ष महोदय, उन्हीं बुनकरों की सहायता के लिए जैसा कि मैंने सुबह भी कहा था और इस समय भी कह रहा हूं कि रिजर्व बैंक ने उनको एक करोड़ कैश दिया है ताकि उन्हें कच्चा माल दिया जा सके और जो वे बनाये उसे उठाया जा सके। हमने यह भी इन्तजाम किया है कि अपने हैण्डलूम का कच्चा सूत का डिपो खोला जाय और उस डिपो से ही माल मिले। और वहीं से माल उठाया भी जाय, स्टेपिल यानें उनको दिया जाय ताकि बीच के यानी मिडिल मैन का सवाल न रहे।

अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां कच्चे माल की कमी नहीं है। अभी हमारे माननीय सदस्य ने देखा होगा कि हमारे मुख्य मंत्री जी ने ऐलान किया है कि

[श्री नियाज हसन खां--]

अलकोहल बेस इण्डस्ट्री अभी हमारे यहां नहीं लगी। इसके लिए 110 करोड़ की इण्डस्ट्रीज लगने की सम्भावना है और उसके लिए जो हमको अलकोहल अभी तक शुगर इण्डस्ट्रीज से खांडसारी से मिल रहा था उस पर लेवी लगा कर हम उसको स्थापित करने जा रहे हैं।

इसी तरीके से चाहे आलू कहो, चाहे पेपर कहो, मैं यह बताना चाहता हूं कि हमारे पास आलू से वोडका बनाने का प्रस्ताव आया, वोडका बनाने की दरखास्त आयी, तो हमने एक शर्त लगादी कि बजाय गाजियाबाद में यह लगे, जहां आलू पैदा होता है, फरुखाबाद में इसे लगाया जाय।

अध्यक्ष महोदय, हमें यह भी बताया गया कि 25 हजार रुपये तक अगर कोई उद्योग लगा रहा है, उसके लिए स्टैम्प ड्यूटी की जरूरत है, तो उसको स्टैम्प ड्यूटी सरकार की तरफ से दी जायेगी।

(मेजों की थपथपाहट)

तो अध्यक्ष महोदय, हमने जो बजट में अनुदान की मांग रखी है, जो हमारी नई इण्डस्ट्रियल पालिसी आ रही है, मुझे अफसोस है कि आज मैं उसे घोषित न कर सका क्योंकि उसकी नीतियों को अभी मंत्रिमण्डल के सामने जाना है। तो उस पालिसी की बात मैं समझता हूं कि इस बात को आप महसूस करेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार सही मानों में इस प्रान्त का औद्योगीकरण करने जा रही है और इस आशा से मैं आप सबसे उम्मीद करता हूं कि आप उसको स्वीकार करेंगे।

इसके साथ ही साथ मैं अपने विभाग के कर्मचारियों का भी आभारी हूं कि जो उन्होंने हमारी सहायता की और मैं समझता हूं कि उन्होंने मेहनत से हमारी मदद की और मैं उनका भी आभारी हूं।

श्री अध्यक्ष--

(श्री केदारनाथ सिंह) क्या आप अपना प्रस्ताव वापस ले रहे हैं?

श्री केदारनाथ सिंह--

वापस लेने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। मैंने कह दिया है कि कोई नीति या कार्यक्रम उनका नहीं है जो कुछ है हमारा ही तो है। इसलिए सर्वसम्मति से हमारा ही पास करें।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 27--उद्योग विभाग (लेखन सामग्री और मुद्रण) के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 27--उद्योग विभाग (लेखन सामग्री और मुद्रण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 7,51,26,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 63--उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

संख्या 27--लेखन सामग्री और मुद्रण, अनुदान संख्या 63--भारी एवं मध्यम उद्योग, अनुदान संख्या 65--ग्राम एवं लघु उद्योग, अनुदान संख्या 66--खानें तथा खनिज, अनुदान संख्या 88--उद्योग विभाग-पूंजीगत परिव्यय तथा अनुदान संख्या 116--उद्योग विभाग ऋण और अग्रिम

श्री अध्यक्ष --

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 63--उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,61,09,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 65--उद्योग विभाग (ग्राम एवं लघु उद्योग) सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 65--उद्योग विभाग (ग्राम एवं लघु उद्योग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 20,07,97,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 66--उद्योग विभाग (खानें और खनिज) सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 66--उद्योग विभाग (खानें और खनिज) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,04,37,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 88--उद्योग विभाग-पूंजीगत परिव्यय सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 88--उद्योग विभाग-पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 22,29,17,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 116--उद्योग विभाग-ऋण और अग्रिम सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 116--उद्योग विभाग-ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 9,79,90,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष--

नियम 51 में 6 सूचनायें प्राप्त हुई थीं जिसमें श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री प्रदीप कुमार यादव और श्री रियासत हुसैन की सूचना होली के अवसर पर मैनपुरी के थाना नगला शंकर के ग्राम उरावर में 25-30 सशस्त्र व्यक्तियों द्वारा एक ही परिवार के 8 व्यक्तियों की हत्या करने एवं आग लगाने के फलस्वरूप अनेकों पशुओं के जल जाने के सम्बन्ध में थी। वह वक्तव्य के लिए स्वीकृत हुई है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, तारीख बता दें।

श्री अध्यक्ष--

नियम 51 में वक्तव्य के लिए तारीख 26 है।

जालौन जिले के एटा थाना के थानाध्यक्ष श्री शारदा प्रसाद दीक्षित द्वारा चांदी लूटने के बाद फरार होने के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

गृह राज्य मंत्री (श्री राजेन्द्र त्रिपाठी)--

श्री शारदा प्रसाद दीक्षित, थानाध्यक्ष एटा, जिला जालौन द्वारा दिनांक 1-3-81 को प्रातः अपने थाने एट में दर्ज कराई रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने उसी दिन सुबह लगभग साढ़े छः बजे श्री मोहन तथा उनके भाई को रेलवे क्रासिंग एट के पास पकड़ा और उनके पास से एक अदद तमंचा, तीन कारतूस जिन्दा तथा करीब पांच किलो चांदी बरामद की। उन्होंने इन व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 25 आर्म्स ऐक्ट व 411 भा० दं० वि० के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज कराके उन्हें बन्द कर दिया।

2--इस सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतों की जांच से उपरोक्त कथित अभियुक्तों से अवैध तमंचा, कारतूसों की बरामदगी गलत पाई गई। थानाध्यक्ष ने वास्तव में 38 किलो० 840 ग्राम कच्ची चांदी पकड़ी थी किन्तु रिपोर्ट में केवल 5 किलो०

ही दर्शायी और बाकी चांदी हड़प ली । साथ ही उपरोक्त मोहन व उसके भाई के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कराते एवं हवालात में उन्हें दाखिल करते समय श्री दीक्षित ने उनकी जामा तलाशी से प्राप्त एक सोने की जंजीर, एक सोने की अंगूठी, ब्रीफ केस कपड़ों के साथ, लाकर की चाभी, घड़ी का केस व 230 रुपया नकद भी दाखिल न कर, हड़प लिए । इसके अतिरिक्त उनके इस कार्य में कुछ त्रुटियां भी दृष्टिगोचर हुई ।

3--क्षेत्राधिकारी की उक्त जांच के आधार पर श्री शारदा प्रसाद दीक्षित, थानाध्यक्ष के विरुद्ध अभियोग दिनांक 5-3-81 को पंजीकृत कराया गया है जो धारा 409/218/467/342/192/161 भा0 द0 वि0/5 (2) पी0 सी0 ऐक्ट/25 आर्म्स ऐक्ट में अंकित हुआ । इसकी विवेचना उपाधीक्षक पुलिस को दिनांक 7-3-81 को दे दी गई है । श्री दीक्षित उप निरीक्षक की गिरफ्तारी के सभी प्रयास विफल होते देख कर 16-3-81 को अदालत से आदेश प्राप्त कर श्री दीक्षित की कुर्की की गई ।

4--प्रारम्भिक जांच पर ही श्री शारदा प्रसाद दीक्षित, थानाध्यक्ष को दिनांक 2-3-81 को निलम्बित कर पुलिस लाइन में आमद करने के आदेश जारी किये गये थे । श्री दीक्षित ने 2-3-81 को निलम्बन आदेश पारित होने से पूर्व ही अन्य मुकदमें की विवेचना हेतु अपनी रवानगी की और 8 मार्च, 1981 को वापस पर वापस आये और अपनी रवानगी पुलिस लाइन उरई के लिए दर्ज की । उन्होंने सरकारी रिवाल्वर व कारतूस थाने में जमा कर दिये । रवानगी करने के पश्चात् पुलिस लाइन में इन्होंने अपनी आमद नहीं कराई । दिनांक 16-3-81 को सेशन जज इलाहाबाद द्वारा निलम्बित थानाध्यक्ष, श्री दीक्षित की जमानत स्वीकार कर ली गई जिसके आधार पर दिनांक 17-3-81 को चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, उरई ने श्री दीक्षित के जमानत मुचलका दाखिल करा लिए और इनकी कुर्क शुदा सम्पत्ति को तत्काल वापस करने के आदेश भी पारित कर दिये ।

5--यह असत्य है कि दिनांक 2 मार्च, 1981 को जनपद जालौन में सम्पूर्ण बाजार बन्द रहे, केवल उरई व कोंच के सांफा बाजार ही बन्द रहे थे । यह असत्य है कि सर्राफे बाजार में भय व्याप्त है तथा श्री मोहन और उनके भाई के जान माल को खतरा है । श्री मोहन और उसके परिवार की सुरक्षा के लिए स्थानीय पुलिस को निर्देश दे दिये गये हैं ।

*श्री शंकर सिंह--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि सौभाग्य से दिनांक 8/3 को माननीय मुख्य मंत्री जी के साथ वह भी जिला जालौन के दौरे पर गये हुये थे । मान्यवर, दस्यु उन्मूलन के सम्बन्ध में गये थे । दस्यु उन्मूलन की समस्या जहां एक तरफ है वह है ही उससे कहीं गम्भीर समस्या पुलिस द्वारा जनता को लूटे जाने की है । तो मान्यवर, मैं यह पूछना चाहता हूं कि 8/3 को जब आप कालपी पधारे पुलिस अधीक्षक वहां के आपके साथ रहे आपकी जानकारी में यह तथ्य लाया गया कि जिला जालौन के दरोगा ने स्वयं एक लाख की डकैती डाली ? दूसरा प्रश्न, आपके स्टेटमेंट से जाहिर है कि उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की गई लेकिन गिरफ्तार नहीं कर पाये । इस स्टेटमेंट में यह भी है कि 8/3 को वह दरोगा थाने आकर आमद लिखा कर, रिवाल्वर जमा कर चला गया । अगर कहीं पर भी जिला प्रशासन इसके प्रति सजग होता

*अध्यक्ष ने भाषण का पुनर्वलोकन नहीं किया ।

[श्री शंकर सिंह--]

अगर गिरफ्तार करने की उनकी नीयत रही होती तो थाने में पहुंचते ही उसको गिरफ्तार किया जाना चाहिए था । तो थाने में पहुंचते वक्त गिरफ्तार न करने का कारण आपको अगर जिला पुलिस ने दिया हो तो उसे बता दें । उनकी जमानत इलाहाबाद से 16/3 को होती है, 16/3 को ही उनकी कुर्की होती है क्या इससे जाहिर नहीं होता कि पुलिस और वहां के जिला प्रशासन के अधिकारी उस दरोगा से मिले हुये हैं उस कारण...

श्री अध्यक्ष--

माननीय शंकर सिंह जी

*श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

मान्यवर, माननीय सदस्य से यह उम्मीद करता था कि जब खड़े होंगे तो यह जो शासन ने दृढ़ कदम उठाया है उसकी तारीफ करेंगे लेकिन वह स्वयं उस बात को पूछ रहे हैं कि जानकारी है या नहीं है । जिस क्षण जानकारी हुई उसी क्षण सख्त कदम उठाने के निर्देश थे । इन निर्देशों का परिणाम यह है कि किसी थानाध्यक्ष की पहली बार जायदाद की कुर्की की गई है । इसके पहले शायद इस प्रकार का कदम आपकी जानकारी में नहीं होगा । शासन आपसे सहयोग की अपेक्षा करता है । जो आप यह पूछना चाहते हैं कि 16 तारीख को ही कुर्की हुई और 16 तारीख को ही जमानत भी हो गई । मान्यवर, यह ऐसा विषय है जिस पर हम कुछ नहीं कह सकते । माननीय न्यायाधीश, इलाहाबाद जो हैं उन्होंने इनकी जमानत मंजूर कर दी और आदेश दिया कि उरई के जो न्यायाधीश हैं मुचलका लेकर उन्हें तुरन्त छोड़ दें । इस आदेश का पालन किया गया है ।

श्री दलगंजन सिंह--

मान्यवर जो सवाल किया गया था जब 8/3 को थाना एट में दरोगा वापस आये तो 8-3 को ही उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया ? दूसरी बात यह है कि जब दरोगा जी 8-3 को आये तो उनको तुरन्त इन्टरोगेशन क्यों नहीं किया गया और रिकवरी क्यों नहीं की गई और जब वे बेल आउट हो गये तो उस चांदी को बरामद करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

मान्यवर, पहला प्रश्न उन्होंने यह किया कि 8/3 को ही उनको क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया । इस सम्बन्ध में शासन ने गम्भीरता का रुख लिया है और निश्चय किया है कि जो थाने पर सिपाही मौजूद था उसको लाइन हाजिर कर दिया गया है । इस सम्बन्ध में आप यह समझ लें कि जो व्यक्ति जिसके मातहत रहता है तो जब वे 8 बजे वहां पर पधारे तो संयोग से एक सिपाही और एक दीवान वहां पर मौजूद थे, उनके अफसर आये थे, एक घन्टे के अन्दर वे कुछ कार्यवाही न कर सके ।

(व्यवधान)

एक सदस्य--

चांदी के बरामद करने के लिए क्या प्रयास किये गये ...

(व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, बड़ी गम्भीर बात है। मैं जानना चाहता हूं कि जैसा कि आपने स्वयं स्वीकार किया है कि इतनी-इतनी चांदी और रुपया दरोगा जी ने उनसे लिया है और थाने में थोड़ा ही जमा किया। मैं जानना चाहता हूं कि वे बाहर हैं, उनसे बातचीत की होगी, आपने तफ्तीश की होगी, जो माल उनके पास रह गया उसको वापस लेने के क्या प्रयास किये गये और दूसरी बात यह है कि जो कुर्की अपने कर दी है उसमें सामान की सूची क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुर्की बराये नाम ही की गई हो। इसलिए सामान की सूची आवश्यक है। इसके अलावा जो सामान उनके पास चला गया, उसको बरामद करने के लिए क्या प्रयास किये गये। यह आप बता दें।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

कुर्की की सूची जानने में माननीय सदस्य रुचि रख रहे हैं। वह इन्टरनल कुर्की हुई है। फिर भी वह सूची में मंगाकर माननीय सदस्य को बता दूंगा। लेकिन इतना बतलाना चाहता हूं कि कुर्की में जितनी भी उनकी जायदाद थी, वह पूरी की पूरी की गई है, बरायनाम नहीं है। इसको आप मानकर चलें।

दूसरी बात यह है कि जो चांदी उन्होंने जमा नहीं की है उसके सम्बन्ध में, जो विवेचना आई है, उसमें लिखा है कि वह उन्होंने स्वयं हड़प लिया है। वह अपराधी हैं और दण्ड की प्रक्रिया जारी है और चांदी की तलाश की जा रही है। न्यायाधीश के सामने वह मामला है।

श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, मंत्री जी ने यह कहा कि 25 आर्म ऐक्ट और धारा 411 के अन्तर्गत मोहन और उनके भाई पकड़े गये, लेकिन बाद में जब पता चला कि तमंचे वाली बात गलत है और चांदी जो 38 किलो पकड़ा गया था, उसमें से केवल 5 किलो मिला बाकी को दरोगा जी खा गये, तो जब जांच से यह सिद्ध हो गया कि 25 आर्म्स ऐक्ट वाली बात गलत थी तो उसके लिए कोई पर्चा काट दिया गया और उनको उस ऐक्ट से मुक्त किया गया है या नहीं?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

मान्यवर, माननीय सदस्य तो हम लोगों के मार्गदर्शक हैं अगर 25 आर्म्स ऐक्ट से मुक्त न किये जाते तो दरोगा जी पर 25 आर्म्स ऐक्ट कैसे चलता? जो दफा उनके ऊपर लागू है उससे उनको मुक्त कर दिया गया है विवेचना के बाद यह दफा उल्टी दरोगा पर लागू किया गया है।

श्री शंकर सिंह--

मान्यवर, दरोगा जी की जमानत हो गयी और कुर्की का सामान उनका वापस हो गया। मैं पूछना चाहता हूं कि यह चांदी या दूसरा सामान सोने की जंजीर आदि जो है उनको बरामद करने के लिए क्या कार्यवाही मंत्री जी कर रहे हैं?

दूसरा प्रश्न यह कि जो कुर्की की गई वह केवल थाने पर उनके घर में की गई या उनके निजी घर में, जो दूसरी जगह है, में भी की गयी?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

मान्यवर, जहां वह रहते थे थाने के बगल में वहां उनकी कुर्की की गई।

श्री शंकर सिंह--

सामान बरामद करने के लिए क्या किया गया ?

श्री अध्यक्ष--

बताया कि उसके लिए प्रयास कर रहे हैं ।

श्री शंकर सिंह--

माननीय मंत्री जी सब बात का जवाब दे देते हैं लेकिन इस बात का जवाब नहीं देते कि सामान की बरामदगी के लिए सरकार की ओर से क्या प्रयत्न किए जा रहे हैं । दूसरी बात यह कि इसकी शिकायत मिलने पर किस अधिकारी ने जांच की और क्या सरकार उस अधिकारी को जिसने सर्वप्रथम इसकी जांच की है, उसको इनाम देने की कोई घोषणा करेगी ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

मान्यवर, इसकी जांच वहां के सी० ओ० श्री श्रीवास्तव जी ने की है, उनकी इस कर्तव्यपरायणता से शासन प्रभावित है और जब वह थानाध्यक्ष को न्यायालय से दंडित करा लेंगे तब उनके बारे में जरूर सोचेंगे ।

श्री मोतीलाल देहलवी--

मान्यवर, 2 मार्च, 1981 को एस०ओ० निलम्बित किये गये और उनको लाइन हाजिरी के आदेश थे वहां भी वह नहीं गये, तो मैं जानना चाहता हूं क्या पुलिस अधिकारियों ने कोई आदेश थाने में भेजे थे कि एस०ओ० साहब को गिरफ्तार कर लिया जाये ?

श्री अध्यक्ष--

कोई आदेश थे कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाये ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

यह आदेश तो थे कि जब आय तो उनको गिरफ्तार किया जाये ।

श्री प्रवीन कुमार शर्मा--

मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि इस मुकदमें में इस थानाध्यक्ष के विरुद्ध जितनी जायता की कार्यवाही थी सब कर दी गई है ।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

सभी कार्यवाही कर दी है, मान्यवर, जितनी भी कानून के अन्दर थी ।

श्री दलगंजन सिंह--

मान्यवर, मैंने जो पूछा है कि. . . .

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप फिर खड़े होकर बोलने लगे । आप ही बोलेंगे ? मैंने तो आपको इजाजत नहीं दी । आप बैठिये ।

(व्यवधान)

(बैठने पर)

जो, प्रश्न आपने किया है रिकवरी के बारे में, यही प्रश्न रियासत हुसैन साहब ने भी किया था। जो जवाब उन्होंने दिया है उसका, कहिये तो वही मन्त्री जी से दोहरवा दूं।

श्री बलगंजन सिंह--

जी, जवाब दिलवा दें।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

जितने भी कानून के अन्दर विहित अधिकार हैं, उसके तहत चांदी बरामद करने के लिए, उसको दंडित करने के लिए, न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए सभी कार्यवाहियां की जा रही हैं।

श्री शंकर सिंह--

वह मुकदमा 5/3 को पंजीकृत हुआ है, इसमें निलम्बन के आदेश 2/3 को हुये हैं। इससे स्पष्ट है कि 2/3 को यह इस्टैब्लिश हो गया कि वास्तव में उन्होंने चांदी हड़प ली है, तो तीन दिन बाद मुकदमा पंजीकृत करने का कारण क्या है ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

पहली तारीख को रात में तार मिला कि उस व्यक्ति से चांदी बरामद हुई। 12 घंटे के अन्दर प्राइमाफेशी स्पष्ट रूप से देखा गया कि इसमें कुछ अपराध है, तो उसकी विवेचना में 3 दिन लग गये।

जनपद जालौन के भूतपूर्व स्पेशल मजिस्ट्रेट श्री श्याम सुन्दर पुरवार का उनकी पत्नी सहित डाकुओं द्वारा अपहरण के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

गृह राज्य मन्त्री (श्री राजेन्द्र त्रिपाठी)--

दिनांक 11 मार्च, 1981 को प्रातः करीब छः साढ़े छः बजे श्री श्याम सुन्दर पुरवार, निवासी भरत चौक, उरई जब अपनी पत्नी के साथ उरई-अजनारी मार्ग पर टहलने गये तो रेलवे क्रासिंग पार करने के एक-डेढ फर्लांग आगे एक जीप अजनारी की तरफ से आई। उसमें सवार 4-5 सशस्त्र आदमी उन दोनों को खींच कर जीप में बैठा कर अजनारी की ओर ले गये। ग्राम टीमरा के पास बदमाशों ने श्रीमती पुरवार को जीप से उतार दिया और श्री पुरवार को अपने साथ ले गये, बदमाशों ने श्रीमती पुरवार को छोड़ते समय यह कहा था कि जाकर इन्तजाम करो, सूचना पहुंच जायेगी। किन्तु फिरौती की धनराशि की कोई सूचना श्री पुरवार के घर वालों को अभी तक प्राप्त नहीं हुई। उसी दिन अजहूत के पुत्र श्री हरी मोहन की सूचना पर थाना कोतवाली पर मुकदमा अपराध संख्या 145, धारा 365 भारतीय दन्ड विधान कोतवाली उरई में पंजीकृत हुआ।

2--अपहरण की सूचना मिलते ही स्वयं पुलिस अधीक्षक, जालौन ने तीन पुलिस पार्टियों के साथ अपहरण करने वाली जीप का पीछा किया। चूंकि जगह-जगह भागने वाली जीप के बारे में पूछताछ करनी पड़ती थी अतः उस जीप का

[श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--]

फासला बढ़ता ही गया। उरई से हरपालपुर (मध्य प्रदेश) तक पीछा किया गया, परन्तु हरपालपुर के पश्चात बदमाशों के सम्बन्ध में सही दिशा निर्देश नहीं मिल पाने के कारण जीप हाथ न लगी। जीप के नम्बर प्लेट व जीप पर बदमाशों ने गेरु पोत दिया था। पुलिस अधीक्षक, हमीरपुर तथा जालौन द्वारा श्री पुरवार को ठीक-ठाक हालत में छुड़ाने का अथक प्रयास किया जा रहा है। बदमाशों ने श्रीमती पुरवार की अंगूठी या अन्य कोई सामान नहीं लिया।

3--किसी भी व्यक्ति का अपहरण हो जाने, और विशेषकर जिला मुख्यालय के शहर से अपहरण होने पर, सनसनी होना स्वाभाविक है। किन्तु अपहरण होने के बाद जिस सक्रियता से पुलिस ने तत्काल कार्यवाही की उससे न केवल आम जनता में ही, बल्कि श्री पुरवार के परिवारवालों को भी संतोष है। यह कहना असत्य है कि उरई नगर व जनपद जालौन के अन्य नगरों में हाहाकार, भय, आतंक, रोष अथवा क्षोभ उत्पन्न हो गया है तथा समस्त बाजार बंद रहे। जनपद के सभी नगरों में स्थिति पूर्ववत् सामान्य है। सभी बाजार उस दिन भी खुले रहे और अब भी खुले हुये हैं। जनजीवन पूर्ववत्, सामान्य है।

4--दिनांक 8 मार्च, 1981 को ज्ञान सिंह मास्टर, निवासी अटरिया तथा अन्य को डाकुओं ने पकड़ा और रास्ते में अन्य लोगों को छोड़कर श्री ज्ञान सिंह को बदमाश यह कह कर ले गये कि दो लाख रुपया लेंगे। इसके सम्बन्ध में श्री पाती राम, निवासी अटरिया की सूचना पर दिनांक 9 मार्च, 1980 को थाना अटा में मुकदमा अपराध संख्या 25, धारा 365 भारतीय दन्ड विधान पंजीकृत हुआ जो विवेचनाधीन है। इस अपहरण की सूचना के बाद पुलिस अधीक्षक, जालौन पुलिस उपाधीक्षक एवं अन्य पुलिस दल द्वारा कोम्बिंग की गई। अपहृत को छुड़ाने के लिए पुलिस अधिकारी प्रयत्नशील हैं।

दस्यु उन्मूलन अभियान सक्रिय रूप से चलाया जा रहा है। जनपद जालौन में भी अनेक डकैत मारे गये जिनमें कुख्यात डकैत जगराम तथा बलवान गड़रिया शामिल हैं। मृत डकैतों से काफी हथियार भी बरामद हुये हैं। दस्यु उन्मूलन के सम्बन्ध में ही उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्रियों की कालपी में बैठक हुई थी।

श्री शंकर सिंह--

मान्यवर, मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं जैसा कि उन्होंने अपने बयान में कहा है कि यह घटना साढ़े 6 बजे की है और जो जीप थी उसपर गेरू पोत दिया गया था और उसका रंग लाल कर दिया गया था। इस रंग की जीपें बहुत कम होती हैं। अपहरण के बाद 15-20 मिनट के अन्दर ही सूचना पुलिस के पास पहुंच जाती है। आगे बयान में यह कहा गया है कि जिस सक्रियता से पुलिस ने तत्काल कार्यवाही की उससे न केवल आम जनता में ही बल्कि श्री पुरवार के परिवारवालों की भी संतोष है। आगे कहा गया है कि पुलिस अधीक्षक, जालौन ने 3 पुलिस पार्टियों के साथ अपहरण करने वाली जीप का पीछा किया, तो मैं जानना चाहता हूं कि वे 3 पार्टियां किस-किस दिशा में गईं? दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि हरपालपुर का उरई से कितना फासला है जहां तक उनका पीछा किया गया और इस बीच में कितने थाने पड़ते हैं, जहां पर वायरलेस सेट्स काम कर रहे हैं और क्या वहां की पुलिस ने उन थानों तक इस अपहरण की सूचना पहुंचाई थी?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

हरपालपुर वे किस समय पहुंचे इसकी घड़ी की कोई सूचना नहीं है लेकिन जो जानकारी मिली है उससे स्पष्ट है कि तत्काल ही बिना समय गंवाये उस दिशा की ओर जिधर की ओर से डकुओं के जाने की सूचना मिली थी, उधर से ही गये। जिधर से भी पुलिस वाले गये थे वे पूछते गये इसलिए बदमाश लोग आगे निकलने में कामयाब हो गये थे।

श्री अध्यक्ष--

कितने थाने पड़ते थे और क्या उनको वायरलेस से सूचित कर दिया गया था, यह भी बता दीजिए?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

इस घटना की सूचना वायरलेस द्वारा सभी जगह कर दी गई थी।

श्री रियासत हुसैन--

कुदरती तौर से जब कोई अपहरण हो जाय तो कैसे उनके घरवालों को रात में नींद आती होगी लेकिन मंत्री जी ने कह दिया कि उनके घर वाले मुतमईन हैं, तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या श्री पुरवार के घरवालों का कोई नोट उन्हें प्राप्त हुआ है या उन्होंने किसी इन्क्वायरिंग अफसर या मैजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया है कि हमें कोई चिन्ता नहीं है चाहे वे मुर्दा हैं या जिन्दा हैं? तो किस आधार पर माननीय मंत्री जी ने यह कहा कि उनके घर वालों को कोई चिन्ता या परेशानी नहीं है?

श्री अध्यक्ष--

वक्तव्य में यह दिया हुआ है कि अपहरण के बाद जिस सक्रियता से पुलिस ने तत्काल कार्यवाही की उससे उन्हें संतोष है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मंत्री जी के बयान में यह स्पष्ट है कि जीप पर नम्बर प्लेट पर गेरू पुता हुआ था। इसका अर्थ यह है कि पुलिस की जीप जो पीछा कर रही थी और जिसने उस प्लेट पर गेरू पुता हुआ देखा वह अवश्य उस जीप से कुछ ही पीछे रही होगी, तभी तो उसने देखा कि गेरू पुता हुआ है। वहां पर सभी थानों में वायरलेस सेट्स भी लगे हैं। अगर एक व्यक्ति कन्ट्रोल रूम से सब थानों को सूचना दे देता तो कोई वजह नहीं थी कि इन डाकुओं को न पकड़ा जा सकता, तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या उन थानों को सूचना दी गई थी? यदि हां, तो उन थानों की ओर से क्या प्रयास किया गया उन डाकुओं को पकड़ने का?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

मान्यवर, पुलिस को आधा पौन घंटा बाद सूचना मिली, पर जैसे ही सूचना मिली उसने तुरन्त अपनी कार्यवाही शुरू कर दी। उसी वक्त सभी थानों को एलर्ट कर दिया गया।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मैं यह जानना चाहता हूं कि जब उन थानों को एलर्ट कर दिया गया तो उन थानों की ओर से भी क्या कोई प्रयास किया गया? किया गया, तो क्या?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

जब उनको एलर्ट किया गया तो वे लोग गए होंगे सड़क पर, पर उनको कोई जीप नहीं मिली। अगर कोई चीज पकड़ी गयी होती तो वह आपके सामने आती।

श्री अध्यक्ष--

माननीय सदस्य का प्रश्न यह है कि जब थानों को एलर्ट कर दिया गया तो क्या वहां से भी जीप गयी डाकुओं का पीछा करने के लिए ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठ--

पुलिस गयी, पर उन लोगों का कोई पता नहीं चला सका।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मैं यह जानना चाहता हूं कि जिस समय और थानों को सूचना दी गयी तो उन थानों की ओर से क्या प्रयास किया गया, उसकी जानकारी माननीय मंत्री जी को हो तो वे दे दें, या कह दें कि उसकी जानकारी नहीं है।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

जिस समय पुलिस को सूचना मिली पुलिस ने प्रयास किया सड़क पर जाकर, पर जीप नहीं मिली।

श्री शंकर सिंह--

माननीय मंत्री जी के पास पूरी जानकारी नहीं है। मैं पूरी स्थिति बतला रहा हूं। वहां पर आस-पास जितने भी थाने हैं--डकोट, मोहनघाट, राटका थाना, पनवाड़ी थाना, यह सब सड़क के किनारे हैं और हर थाने में वायरलेस सेट है। उन थानों को समय से इसकी कोई सूचना नहीं दी गई। उन थानों को न तो जिला जालौन से कोई सूचना दी गयी और न ही हमीरपुर जिले से कोई सूचना दी गयी।

हरपालपुर तक फासला 100 किलोमीटर का है लेकिन पुलिस की पार्टी इधर-उधर न जाकर एक साथ चली गयी। 10 बजे पहुंच गयी और एक साथ लौट आई तो 10 बजे लौटने का क्या कारण है, शाम तक छानबीन क्यों नहीं की और थानों को अगर वायरलेस किया गया तो क्या एस0 पी0 का पीछा करना ही पर्याप्त था?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

सूचना उनको वायरलेस से दी गयी। सूचना किस समय दी गयी क्या-क्या कार्यवाही की गयी इसको फिर से दिखवा लूंगा। अगर कहीं ढील हो गयी होगी तो जो इसके लिए जिम्मेदार होंगे उनके खिलाफ कार्यवाही की जायगी।

श्री मोती लाल देहलवी--

मंत्री जी ने कहा कि आधे घंटे की देरी हुई, जीप रफ्तार से गयी और आगे बढ़ गयी लेकिन वायरलेस की रफ्तार जीप की रफ्तार से कहीं ज्यादा होती है। लिहाजा अगर वायरलेस गया होता तो निश्चित रूप से बदमाश पकड़ में आ गए होते तो क्या मंत्री जी इसकी विधिवत् जांच करायेंगे कि वायरलेस क्यों नहीं भेजा गया ?

श्री अध्यक्ष--

उन्होंने यह कह दिया है कि वायरलेस की सूचना भेजी गयी, कब भेजी गयी और कब प्राप्त हुयी इसके बारे में जांच करा लेंगे ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

रिपोर्ट में यह है कि डाकुओं की जीप के नम्बर पर गेरू पुता हुआ था । इसका सबूत यह है कि किसी सड़क पर अपहरणकर्ता की जीप आगे नहीं बढ़ी । उनके पास जानकारी नहीं है कि किस-किस थाने वाले ने क्या-क्या किया और माननीय मंत्री ने कहा कि दुबारा वह जांच करा लेंगे, तो क्या इस तथ्य की जांच करायेंगे कि जिन थानों से होकर यह जीप गयी होगी तो उन थानों वालों ने बेरियर गिराये या नहीं बाहर निकल कर और क्या-क्या कार्यवाही की ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

इसकी अवश्य जांच करा लूंगा ।

श्री शंकर सिंह--

यह अपहरण पौने 7 बजे हुआ है । ठीक 10 बजे के बाद एस० पी० का टेलीफोन गया है । जहां तक वायरलेस की बात कही जा रही है तो किसी भी थाने को वायरलेस नहीं किया गया । डकौर थाने के सामने अपहरणकर्ता की जीप निकल गयी । अपहरणकर्ताओं की जीप परसों उरई में थी और घटना के पूर्व 3 दिन तक वह जीप लगातार घूमती रही जिसमें बदमाश रिवाल्वर लेकर सवार थे और लोगों ने पुलिस को टेलीफोन भी किया कि संदिग्ध जीप इस तरह घूम रही है तो क्या मंत्री जी को इस सम्बन्ध में जानकारी है कि इस केस के अन्दर चार लोग पकड़े गए हैं हरी सिंह एडवोकेट, प्रेमचन्द, तुलसीराम और उनके भाई ज्ञान चन्द और एक डाक्टर बृज बिहारी गुप्ता, पिरौना और ये कम से कम 8 दिन से कोतवाली में बन्द हैं । क्या इसकी भी जानकारी आपको है ? एक तो इसके पीछे वह जीप संदिग्ध अवस्था में राइफलधारी के साथ पुलिस कस्टडी में रही, जिस जीप पर यह अपहरण किया गया है, उसको आगे पाइलट करने वाले एक बदमाशों की मोटर साइकिल थी और वह मोटर साइकिल के सवार और एक अन्य उरई के एडवोकेट और ये बराबर एस० पी० साहब से लगातार मिलते रहे हैं ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

मान्यवर, माननीय सदस्य ने कुछ अपराधियों को पकड़ने में सूचनाएं दी हैं, उसका लाभ उठाकर जिसके ऊपर माननीय सदस्य का इशारा है, उनको पकड़वाने का प्रयास किया जायगा । हमारा प्रयास जारी है । उनको छोड़ने के लिए कौन आदमी आया है, कौन नहीं आया है, इसकी जानकारी मेरे पास उपलब्ध नहीं है ।

श्री रियासत हुसैन--

थाने में जो बन्द हैं, उसकी सूचना है जो शंकर सिंह बता रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय मंत्री जी, थाने में जो बन्द हैं, उसकी सूचना आपके पास है ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

किसी के बन्द होने की सूचना हमारे पास इस वक्त मान्यवर नहीं हैं, मैं जानकारी कर लूंगा ।

श्री दलगंजन सिंह--

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि किस गैंग द्वारा अपहरण किया गया है ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

मान्यवर, जानकारी होती तो बता ही देता । लेकिन पकड़ में आ जायेंगे, यह मैं प्रयास करूंगा ।

श्री शंकर सिंह--

मान्यवर, इसमें आखिरी पैरा में है कि ज्ञान सिंह मास्टर की, जिस रोज आप कालपी तशरीफ ले गये थे, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि 8-3-81 को, जो ज्ञान सिंह मास्टर की पकड़ हुई है, वह किस समय हुई है, किस समय एफ0 आई0 आर0 लिखाई गयी और कम्बिंग किस वक्त शुरू की गयी ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

8-3-81 को ट्रेक्टर से जब अपनी फसल ला रहे थे, तब वह पकड़े गये हैं, 9 तारीख को मुकदमा दर्ज कराया है थाने में ।

श्री अध्यक्ष--

8-3-81 को किस वक्त ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

दोपहर को ।

श्री शंकर सिंह--

मान्यवर, 8-3-81 को पकड़ होती है, दोपहर को, और 9-3-81 को मुकदमा दर्ज होता है । मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जब यह तथ्य सामने आ गया है कि 8-3-81 को पकड़ होती है, 9-3-81 को एफ0 आई0 आर0 लिखाई जाती है, तो क्या पुलिस ने मुस्तैदी से काम नहीं किया । शिथिलता बर्ती है ? उनको दन्ड देने की कृपा करेंगे ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

मान्यवर, इस बिन्दु को भी दृष्टि में रख कर कार्यवाही की जायगी ।

(व्यवधान)

एक सदस्य--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी तो किसी प्रश्न का उत्तर ही नहीं दे रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष--

अब हम उठते हैं, कल 11 बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 45 मिनट पर अगले दिन 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया ।)

लखनऊ :

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव,
विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

23 मार्च, 1981

पी0 एस0 यू0 पी0--44 वि0 सभा--24-8-82--835 (पी0 डी0)